Friday, 26 August, 1960

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४५, १९६०/१८८२ (शक)

[१६ से २६ अगस्त १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४५ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला, खंड ४५—अंक ११ से २०—१६ से २६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक ११—मंगलवार, १६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४ से ३९७, ४०० से ४०७, ४०९, ४१० और ४१२ . . . १२५९—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९८, ३९९, ४०८, ४११ और ४१३ से ४३७ . . . १२८५—१३००

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७९७ . . . १३००—१३३७

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . १३३७

जानकारी का प्रश्न . . . १३३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १३३८

राज्य सभा से सन्देश . . . १३३८

समवाय (संशोधन) विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . १३३९

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य . . . १३३९

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित कार्य मंत्रणा समिति . . . १३३९

तिरेपनवां प्रतिवेदन . . . १३३९

वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग (रेलवे) . . . १३३९—४७

सभापति तालिका . . . १३४७

वर्ष १९५७–५८ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें . . . १३४८—५५

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (स्थिति, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार) विचार करने का प्रस्ताव . . . १३५६—७१

खंड २ से ५, अनुसूची और खंड १ पारित करने का प्रस्ताव . . . १३७०—७१

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . . १३७१—७४

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के नये टोकन कार्ड . . . १३७४—७७

दैनिक संक्षेपिका . . . १३७८—८५

अंक १२—बुधवार, १७ अगस्त, १९६०/२६ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४६, ४४८ से ४५० और ४५२ . . . १३८७—१४०७

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४०८-१४०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४७, ४५१ और ४५३ से ४८५ १४०९--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ से ८१६ और ८१८ से ९०७ १४२८--७५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४७६

राज्य सभा से सन्देश . १४७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में आंत्रशोथ (गेस्ट्रो-एन्ट्रेराइटिस) महामारी १४७७-७८

सदस्य के निरोध के बारे मे वक्तव्य . १४७८--८०

दक्षिण पूर्व रेलवे पर लाइन टूटने के बारे में वक्तव्य १४८०

समिति के लिये निर्वाचन--

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड १४८१

विधेयक--पुरस्थापित--

(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक , १९६० १४८१

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६० १४८१-८२

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १४८२--९४

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १४९५--१५११

दैनिक संक्षेपिका . १५१२--१५१९

अंक १३--गुरुवार, १८ अगस्त, १९६०/२७ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ से ४९१ और ४९३ से ५०० १५२१--४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या ४९२ और ५०१ से ५३६ . . १५४४--६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०८ से १००३ और १००५ से १०१९ १५६३--१६११

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६१२-१३

राज्य सभा से सन्देश . . १६१३

वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) के बारे में विवरण १६१४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

सड़सठवां प्रतिवेदन . . १६१४

तालचेर की हडीधुआ कोयला खान में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य १६१४-१५

विधेयक-पुरस्थापित—— पृष्ठ

(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दशमिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक १६१५

(२) भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक १६१५

विधेयक पारित——

(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६१५–१६

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक १६१६

पलाई सेन्ट्रल बैंक के मामलों के बारे में . १६१७

सभा का कार्य १६१७–१८

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन——
के बारे में प्रस्ताव . . . . १६१८——४२

नागा पहाड़ियां और तुएनसाग क्षेत्र के बारे में प्रस्ताव १६४३——६७

दैनिक संक्षेपिका . . १६६८——७६

अंक १४——शुक्रवार, १९ अगस्त, १९६०/२८ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४५, ५४६ से ५५१ और ५६३ . . . १६७७——१७००

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ५३७, ५४२, ५५२ से ५६२ और ५६४ से ५७७ १७००——१७१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२० से १०९५ . . १७१३——१७४९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १७५०

सभा का कार्य . . . १७५०

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक . . १७५०——६४

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १७५०——५६

खंड २ से १० और १—पारित करने का प्रस्ताव . . . १७५६——६५

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . १७६५——७७

सड़सठवां प्रतिवेदन १७७७

सदस्य की गिरफ्तारी——

आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प——अस्वीकृत १७७८——१८०४

समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प कल्प १८०४——०७

कार्य मंत्रणा समिति——

चौवनवां प्रतिवेदन १८६०

दैनिक संक्षेपिका १८०८——१३

अंक १५—शनिवार, २० अगस्त, १९६०/२९ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ५८२, ५८८ से ५९१, ५९३ और ५९४ . १८१५—३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८३ से ५८७, ५९२ और ५९५ से ६१७ १८३६—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०९६ से १२०० १८५२—९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८९६

राज्य सभा से सन्देश १८९६-९७

कांगों में लियोपोल्डविल—हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र कमान में तैनात भारतीय चालक वृन्द से सम्बन्धित घटना के बारे में वक्तव्य . १८९७-९८

पलाई बैंक के बारे में वक्तव्य १८९९—१९०१

सभा का कार्य १९०२

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन . १९०२

तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर की शुद्धि १९०२—३

समिति के लिये चुनाव—

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड १९०३

कार्य मंत्रणा समिति—

चव्वनवां प्रतिवेदन . . . १९०४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १९०४—४८

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि १९४८

कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिन्ह लगाना) संशोधन विधेयक विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९४८—५४

खंड २ और १—पारित करने के लिये प्रस्ताव १९५४

निष्क्रांत हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९५५

दैनिक संक्षेपिका १९५६—६३

अंक १६—सोमवार, २२ अगस्त, १९६०/३१ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६१९, ६२१ से ६२५, ६२७, ६३०, ६३२, ६३३, ६३७, ६३८, ६४१, ६४३, और ६४५ से ६४७ १९६५—९०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२६, ६२८, ६२६, ६३१, ६३४, ६३५, ६३६, ६३६, ६४०, ६४२, ६४४ और ६४८ से ६५१ . १६६१--६७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०१ से १२६७ . १६६७--२०२८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०२८

वित्तीय समितियां १६५६-६० (एक समीक्षा)--सभा पटल पर रखा गया--

बाल विधेयक २०२६

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य-- सभा पटल पर रखे गये २०२६

सदस्य की रिहाई २०२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काली मिर्च के वायदे के सौदे . २०२६-३०

निष्क्रांत हित (प्रथक्करण) संशोधन विधेयक--स्थगित २०३०

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २०३०--६६

पलाई सेंट्रल बैंक के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा २०६६--७६

दैनिक संक्षेपिका २०७७--८२

अंक १७--मंगलवार, २३ अगस्त, १६६०/१ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ से ६५६, ६५६ से ६६२, ६६६, ६६७, ६७०, ६७३ और ६७४ . . . २०८३--२१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५७, ६५८, ६६३ से ६६५, ६६८, ६६६, ६७१, ६७२ और ६७५ से ६८५ २१०७--१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३६२ २११६--५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१५७

राज्य सभा से सन्देश २१५७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया २१५८

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव . २१५८--२२००

पलाई सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा २२०१--११

दैनिक संक्षेपिका . २२१२--१७

पृष्ठ

अंक १८—बुधवार, २४ अगस्त, १९६०/२ भाद्र, १८८२ (शक)

मौखिक प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६ से ६९७ . . . २२१९–४६

लिखित प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ७४८ . . . २२४६–७२

१३६३–१४६०

अतारांकित प्रश्न संख्या . . . . . . २२७२—२३१२

निधन सम्बन्धी उल्लेख २३१२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन . . २३१२

अनुपस्थिति की अनुमति . . . २३१२–१३

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २३१३—६१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २३६२—६८

अंक १९—गुरुवार, २५ अगस्त, १९६०/३ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७६५ . . . २३६९—९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ से ७९६ . . . २३९१—२४०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५२६ और १५२८ से १५४४ २४०५–३८

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २४३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा में बाढ़ २४३८–४२

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २४४२–९९

समिति के लिये निर्वाचन के बारे में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड २४९९

दैनिक संक्षेपिका २५००

अंक २०—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९६०/४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९७ से ८०३, ८०५ से ८०८ और ८१० २५०७–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०४, ८०९ और ८११ से ८२३ २५३०–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६३० २५३६–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५७२

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बांसपानी में लोहे की खानों के बन्द होने की आशंका २५७३
सभा का कार्य २५७३–७४
तृतीय पंचवर्षीय योजना को रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २५७४—८३
निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २५८४—९७
खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव . २५९६–९७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अड़सठवां प्रतिवेदन २५९७
विधेयक पुरस्थापित—
१. विधि-व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ तथा १५ का संशोधन) [श्री हेमराज का] . २५९७
२. विधान परिषद (रचना) विधेयक, १९६० [श्री श्रीनारायण दास का] . . . २५९८
३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा ३०२ का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का) २५९८
४. हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा २३ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] २५९८
५. जल तथा वायु को दूषित करने से रोकना (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक १९६० [श्री झूलन सिंह का] . २५९८-९९
६. खान (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १२, ६४ आदि का संशोधन) [श्री झूलन सिंह का] . २५९९
७. कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९क का रखा जाना) [श्री झूलन सिंह का] . २५९९
८. श्रमिक दुरुपयोग (निषेध) विधेयक, १९६० [श्री झूलन सिंह का] २५९९–२६००
सामाजिक प्रथाय (व्यय में कभी) विधेयक [श्री झूलन सिंह का]
—वापिस लिया गया—
परिचालित करने का प्रस्ताव २६००—०९
वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक [श्री मोहन स्वरूप का]—
विचार करने का प्रस्ताव २६०९—१५
दैनिक संक्षेपिका २६१६—२१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1031(Ai)LSD—28-9-60—135

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, २६ अगस्त, १६६०
४ भाद्र १८८२, (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे के लिये विश्व बैंक के ऋण का उपयोग

+

†*७६७. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री सूपकार :
श्री प्र० के० देव :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **रेलवे** मंत्री २३ मार्च, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक ने रेलवे के विकास और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिये ५ करोड़ डालर का जो ऋण दिया था, रेलवे प्रशासन उस में से कितनी रकम का उपयोग कर सका है;

(ख) यह कार्यक्रम कितना क्रियान्वित किया जा चुका है;

(ग) क्या एक और ऋण के लिये अभी हाल ही में बातचीत की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उस ऋण का उपयोग किस काम के लिये किया जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ऋण का पूर्व उपयोग किया गया है ।

(ख) ५०० लाख डालर का लिये गये रेलवे सामान का रेलवे के आधुनिकीकरण और विकास कार्यक्रम के लिये पूर्ण उपयोग किया गया है ।

(ग) जी, हां, ७०० लाख डालर का ऋण ।

(घ) डीजल तथा बिजली के इंजनों, इन्जन डिब्बों आदि के पुर्जों तथा रेलवे सामग्री और उपकरण एवं उस से संबंधित सेवाओं को विदेश से लेने का खर्च पूरा करने के लिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या बैंक ने नया ऋण दे दिया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हां ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : जो निधि ली गई है उस में से कितनी राशि का विकास के लिये और कितनी का आधुनिकीकरण के लिये उपयोग किया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : समूची राशि का उपयोग विकास और आधुनिकीकरण के लिये किया गया है ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या ये ऋण किसी विशिष्ट लाइन के लिये हैं अथवा कोई और राशि नहीं है जो ऐसी महत्वपूर्ण लाइनों को दी जा सकती है, जो उस मंडल के अन्दर नहीं हैं जो हमने निर्धारित किया है और जो तुरन्त किये जाने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : नई लाइने बनाने के लिये नहीं। इन ऋणों का उद्देश्य विदेश से इंजन, इंजन डिब्बे आदि, पुर्जे और अन्य रेलवे सामग्री तथा उस से संबद्ध सेवाओं को खरीदना है, जिनकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेलों के लिये जरूरत है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस रूप में आरंभ हुआ है और इस से कितने रेलवे मंडलों पर सर्वाधिक प्रभाव हुआ है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : आधुनिकीकरण कार्यक्रम डीजलीकरण तथा विद्युतीकरण के रूप में आरम्भ हुआ है । सब से अधिक प्रभाव पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों पर हुआ है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : यदि मैं भाग (घ) के संबंध में माननीय मंत्री का उत्तर ठीक समझा हूं, तो उन्होंने कहा है कि इस ऋण के भाग से बिजली के इंजन भी खरीदे जा रहे हैं। चितरंजन में, अंग्रेजी बिजली फर्म के साथ जो सहयोग हो रहा है, तो क्या माल ब्रिटेन से खरीदा जाएगा या केवल अमरीका से ?

†**श्री शाहनवाज खां** : बिजली के इंजन यूरोपीय फर्मों के एक समूह से खरीदे जा रहे हैं। १०० इंजन समूह से खरीदे जाएंगे और दस बिजली के इंजन जापान की मितसुमुबी फर्म से खरीदे जा रहे हैं ।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो धन आपने अन्तर्राष्ट्रीय और विश्व बैंक से लिया है उस की मुख्य मुख्य शर्तें क्या थीं ब्याज सम्बन्धी जो कि हमें अदा करना है ?

श्री शाहनवाज खां : वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा लिया गया है वह मुख्तलिफ किस्तों में हमें अदा करना है । आखीर में जो हम ने ७० मिलियन डालर या तकरीबन ३३.३३ करोड़ रुपया लिया है उसे हमें २० साल के अर्से में अदा करना है और वह ३४ किस्तों में दिया जायेगा । उस के ऊपर जो इंटरेस्ट है वह ५ ३।४ फी सदी है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या इस नये ऋण की शर्तें और निबंधन वही हैं जो पिछले ऋणों की थीं या कुछ फर्क है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : वे मुख्यतया वही हैं। ब्याज की दर में मामूली सा अन्तर है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : वह अन्तर क्या है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : पिछले ऋण में ब्याज दर ६ प्रतिशत था जब कि इस ऋण में ५ ३/४ प्रतिशत है ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : चितरंजन बिजली के इंजन बनाने वाला है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, सरकार को विदेशों से ये इंजन मंगवाने में शीघ्रता क्यों करनी चाहिये ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम शीघ्र ही सैक्शनों का विद्युतीकरण करना चाहते हैं, जिन का परिपूर्णता बिन्दु आ चुका है और भाप वाले इंजन बढ़े हुए यातायात को पूरा करने में असमर्थ हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या सरकार ने २०,६०० हौर्स पावर के इंजनों के संभरण के लिए समूचे संसार से टेंडर मंगवाये हैं, और क्या किसी देश ने देना स्वीकार किया है तथा किस मूल्य पर ?

†**श्री शाहनवाज खां** : विश्व से टेंडर मांगे गये थे और उन के अनुसार कुछ फर्मों को आर्डर दिये जाएंगे ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : मेरा प्रश्न विश्व के टेंडरों के बारे में था और किन देशों ने इंजन देना स्वीकार किया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं ने अपने उत्तर में विश्व के टेंडरों का भी ज़िक्र किया है ।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि कोई नई लाइन बनाने के लिये भी कोई नया कर्जा लिया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : अभी तक तो कोई ऐसा कर्जा नहीं लिया गया है ।

श्री खुशवक्त राय : ऐसा कोई कर्जा लिये जाने का विचार है ?

श्री शाहनवाज खां : फिलहाल तो नहीं है ।

मिलों के लिये निर्धारित कोयले का रेलवे द्वारा प्रयोग

†*७६८. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च और अप्रैल, १९६० में अमृतसर की कपड़ा मिलों के लिये निर्धारित कोयले के २९ वैगनों को रेलवे ने अपने प्रयोग के लिये ले लिया ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण था और ऐसा किस नियम के अन्तर्गत किया गया ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) २९ वैगनों में से, २६ वैगन वास्तव में रेलवे के उपयोग के लिये दिये गये थे और शेष किसी भी चिह्न के बिना प्राप्त हुए थे, और वे असंबंद्ध पड़े रहे।

(ख) कोयले का वितरण कोयला खान नियंत्रण आदेश, १९४५ के अनुसार होता है, जिसमें समय समय पर संशोधन होता रहता है, जिसके द्वारा सरकार को अधिकार प्राप्त है कि वह किसी व्यक्ति के नाम की कोयले की गाड़ी को रास्ते में से किसी अन्य व्यक्ति के पास भेज सकती है। आकस्मिकता के बीच अत्यावश्यक गाड़ी सेवाओं को चलाने के लिये कोयला रेलवे के उपयोग के लिये भेजना पड़ता है।

(ग) जी, हां। कपड़ा निर्माता संघ, अमृतसर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और उस पर उत्तर रेलवे ने कार्यवाही की, तथा कोयला नियंत्रक को प्रार्थना की कि वह उस पार्टी को नया आवंटन दे और नियमों के अनुसार कोयले का मूल्य देने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

†**श्री सं० अ० मेहदी** : क्या किसी आकस्मिकता के कारण ऐसा किया गया था, अथवा नीति के कारण यह किया गया था?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : नीति के नाते नहीं। यह आकस्मिकता के कारण किया गया था।

श्री नाना पाटिल : क्या मैं जान सकता हूं कि जो कोल वैगन डाइवर्ट किये गये और रेलवे में लाये गये, उस से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो नुक्सान हुआ और टेक्स्टाइल वर्कर्स को जो नुक्सान हुआ, उसके लिये कोई कम्पेन्सेशन देने का विचार किया जा रहा है?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्रवाई के लिये सुझाव है।

†**श्री त्यागी** : रेलवे द्वारा वैगन लिये जाने से पूर्व क्या माल के स्वामी को कोई पूर्व सूचना दी गई थी?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : नियमों और उनके अधीन किये गये उपबन्धों के अनुसार हमने कोयला भेजने के बारे में कोयला नियंत्रक को सूचित कर दिया था।

†**श्री त्यागी** : जिसको माल भेजा गया हो क्या नियमों के अनुसार उसकी अनुमति के बिना माल लिया जा सकता है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी, हां, इस आदेश में यह लिखा है, "कोयला नियंत्रक में निहित कोयला वैगन को अन्य व्यक्ति के पास भेजने के अधिकार का प्रयोग उसी प्रकार से और उन्हीं शर्तों के अधीन, उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।" कोयला नियंत्रक ने रेलवे को इस प्रकार का अधिकार दे रखा है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : पहले भी कुछ कोयले के वैगन, जो फिरोजाबाद जा रहे थे, अन्यत्र भेज दिये गये और अभी तक केवल कुछ ही वैगन दिये गये हैं। क्या शेष वैगन जो अन्यत्र भेजे गये थे, दे दिये गये हैं? क्या सरकार ने इस स्थिति की जांच की है कि जो नियम रेलवे को वैगनों को अन्यत्र भेजने का अधिकार देते हैं वे संविधान द्वारा दी गई शक्ति से परे हैं और क्या सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार नियमों में संशोधन करेगी?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार यह मानती है कि नियम शक्ति से परे हैं? यह प्रश्न पूछने का क्या उपयोग है? यह उनका मत है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या इन नियमों के लिये संसद का अनुमोदन प्राप्त किया गया था ? क्या वे सभा पटल पर रखे गये थे ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : नियम संविधान की प्रस्थापना से पूर्व प्रभावी थे । यह कठिनाई है । वे बिल्कुल संविधान की शक्ति से परे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य संविधान को देखें । उसमें कहा है कि सब नियम, विनियम, संविधियां, विधियां, उपविधयां और अधिनियम जो संविधान से तुरन्त पहले प्रभावी थीं, तब तक जारी रहेंगी जब तक उनमें संशोधन नहीं किया जाता । मैं यह बात अपनी स्मरणशक्ति से कह रहा हूं ।

†**श्री साधन गुप्त** : अनुच्छेद १३ के अन्तर्गत यदि वे मूल अधिकारों के प्रतिकूल और उनसे असंगत हैं तो वे उस असंगतता तक शून्य हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हमें यह फैसला करना है कि वे शक्ति परस्तात हैं या नहीं ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: हम यहां विधि का निर्वचन करने के लिये नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस पर बाद में विचार कर सकते हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या रेलवे को दिया गया यह अधिकार निर्बाध है या प्रत्येक मामले के लिये अनुमति लेने की जरूरत होती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतीत होता है कि यह सामान्य अधिकार है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह १९४५ का आदेश है । यह तब से प्रभावी है और इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि प्रत्येक मामले में जब रेलवे माल को अन्यत्र भेजना चाहती है तो क्या उसे कोयला नियंत्रक से प्रार्थना करनी पड़ती है या कोयला नियंत्रक ने उसे सामान्य अधिकार दे रखा है कि जब कभी रेलवे का कोई अधिकारी ऐसा अनुभव करे, तो वह कोयला वैगन को अन्यत्र भेज सकता है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह सामान्य प्राधिकार है । मैंने उपबन्ध भी पढ़ दिया है । यह प्रत्यायोजित किया गया है ।

†**श्री सै० अ० मेहदी** : क्या ये गाड़ियां अमृतसर पहुंचने के बाद अन्यत्र भेजी गई थीं अथवा क्या लोगों को पहले सूचना दी गई थी और उनके अमृतसर स्टेशन पर पहुंचने से पूर्व ही वे ले जाये गये थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : वे रास्ते से ही ले जाये गये थे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : औचित्य प्रश्न के हेतु पूछना चाहता हूं । इन नियमों के बारे में आपने कहा है कि यहां कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक नियम सभा पटल पर रखा जाता है । ये नियम १९४५ में प्रख्यापित किये गये थे जब कि संविधान प्रभावी नहीं था । इस सभा को स्वायत्तशासी होने के नाते यह जानने का अधिकार है कि क्या वे संविधान के पर्यालोकन में आते हैं । ये संविधान की शक्ति से परे हैं और सरकार को इनका परीक्षण करके इनमें संशोधन करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : हम प्रभावी नियमों और विनियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। यदि कोई सदस्य अनुभव करता है कि नियम शक्ति परस्तात हैं तो वह इसे पृथक से उठा सकता है। सभा की एक नियम समिति तथा एक अधीनस्थ विधान समिति है। जब तक कि संविधान में ऐसा अधिनियमित नहीं किया जाता कि उस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये सब नियम और विनियम सभा पटल पर रखे जाने चाहिएं, प्रत्येक नियम सभा पटल पर नहीं रखा जाता। अब हम इस पर जोर दे रहे हैं। पहले ऐसी बात नहीं थी। इस का वास्तविक क्षेत्र क्या है? क्या मैं एक घंटा इस पर खर्च कर दूं? यदि कोई सदस्य चाहता है कि किन्हीं नियमों का समय समय पर परीक्षण किया जाए, तो वह अधीनस्थ विधान समिति को लिख सकता है या मुझे लिख सकता है। मैं मामला अधीनस्थ विधान समिति को सौंप दूंगा। इस विशिष्ट मामले में, यदि कोई माननीय सदस्य इस मामले की जांच करके मुझे लिखेंगे तो निश्चय ही अधीनस्थ विधान समिति उसका परीक्षण करेगी। माननीय मंत्री भी यह जानने को उत्सुक होंगे कि इस मामले में उनकी क्या स्थिति है।

†**श्री त्यागी** : रेलवे को किस स्तर पर स्वविवेक का अधिकार दिया गया है? क्या स्टेशन मास्टर, रेलवे बोर्ड या मंत्री के स्तर पर फैसला किया जाता है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जनरल मैनेजर के स्तर में, परन्तु मुझे पक्का पता नहीं है।

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे भी पक्का पता नहीं, किन्तु मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि यह काफी ऊंचे स्तर पर होता होगा और स्टेशन मास्टर के स्तर पर नहीं।

†**श्री रघुनाथ सिंह**: किस के आदेश से ये वैगन अन्यत्र भेजे गये थे?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनको मालूम नहीं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : वास्तव में रेलवे को सौंपे गये माल के वे न्यासी हैं .....
(अन्तर्बाधायें)

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यहां इस का फैसला नहीं कर सकता।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या यह करने से पूर्व प्रभावित व्यक्तियों को सूचना दी गई थी?

†**अध्यक्ष महोदय** : रेलवे ने कोयला नियंत्रक को लिखा, और उन्हें सूचना देना नियंत्रक का काम है।

†**श्री जगजीवन राम** : साधारणतया पूर्व सूचना देना कठिन होता है। परन्तु जब वैगन रोक कर अन्यत्र भेजे जाते हैं तो सूचना दी जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस मामले की जांच करने के लिये अधीनस्थ विधान समिति से प्रार्थना करूंगा।

नौवहन उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा

†*७९९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १३ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवहन उद्योग की आयात आवश्यकताओं को पूरा

---

†मूल अंग्रेजी में

करने के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा नौवहन के महानिदेशक को उपलब्ध करने का प्रस्ताव इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान लगाने की दृष्टि से नौवहन, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत करने वाले सार्थों से प्रार्थना की गई है कि वे आयात की जाने वाली विभिन्न चीजों के बारे में अपनी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना दें। उनके उत्तर आने पर मामले की अग्रेतर जांच की जाएगी ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : चालू वर्ष के लिये नौवहन उद्योग को कितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी और इसके लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं यह सूचना तुरन्त नहीं बता सकता ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : तीसरी योजना के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत है ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरा मुख्य उत्तर स्पष्ट है । सहायक समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप, हमने प्रविधिक अधिकारियों के परामर्श से नौवहन समवायों, जहाज मरम्मत तथा जहाज निर्माण निकायों को एक प्रश्नावलि भेजी है । वे किसी आधार पर अपनी वार्षिक आवश्यकता बताएंगे । हमारे पास जब अपेक्षित जानकारी आ जाएगी, तो हम नौवहन महानिदेशक, वाणिज्य तथा उद्योग और वित्त मंत्रालयों की सलाह से इसे अन्तिम रूप देंगे ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पिछले प्रश्न के उत्तर में, माननीय मंत्री ने जहाज निर्माण उद्योग के लिये देश में पुर्जों के निर्माण के बारे में उल्लेख किया था । इसके लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : ठीक इस उद्देश्य के लिये नवंबर १९५७ में, हमने जहाज निर्माण के लिये पुर्जों, सामान और मशीनरी आदि के आयात की निर्भरता को कम करने की दृष्टि से, सहायक उद्योगों सम्बन्धी सलाहकार समिति बनाई थी । रियर ऐडमिरल टी० बी० बोस उस के सभापति हैं और यह इस बारे में विचार कर रही है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या यह सच है कि कोई भी बाहर का देश भारतीय नौवहन के लिये ऋण या सहायता देने को तैयार नहीं है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह सही नहीं है । अभी हाल ही में, जर्मन शिपयार्ड हावाल्डस्वर्क ने जहाज बनाने में हमारी सहायता करना स्वीकार किया है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या यह सरकारी शिपयार्ड है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह सरकारी शिपयार्ड है और उसने हमें २००० लाख मार्क्स तक के ऋण की सहायता देना स्वीकार किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वाइकाउन्ट विमानों का क्रय

+

†*८००. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दिनेश सिंह :
श्री महन्ती :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ७ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुराने वाइकाउंट विमान के प्राप्त करने की सम्भावनाओं की जांच करने के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : निगम अभी पुराना वाइकाउंट विमान लेने का प्रयत्न कर रहा है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस मामले में हमारी चालू मांग क्या है ? इसके लिये कितने देशों से बातचीत हो रही है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : यदि हमारे पास १४ वाइकाउंट हों तो हमें अधिक सुविधा होगी । हमारे पास केवल १० हैं । हमारी वर्तमान विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति के कारण हम कम से कम दो लेने का प्रयत्न कर रहेहैं । वास्तव में, हम बर्मा सरकार को अपने चार विमान बेचने के लिये कह रहे थे, परन्तु उन्होंने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा चालू रखने का फैसला कर लिया । अतः वे उपलब्ध नहीं । इसलिये नये वाइकाउंट खरीदना संभव नहीं, चाहे हम कितना भी उन्हें खरीदना चाहें, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुये, क्या भारत सरकार ने किसी देश से हमें रुपया भुगतान आधार पर वाइकाउंट देने की प्रार्थना की है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी, नहीं । हम प्रत्येक आवश्यकता के लिये मांगते नहीं रहते ।

†**श्री दिनेश सिंह** : क्या सरकार ने सुपर कंस्टेलेशन खरीदने के प्रश्न पर विचार किया है जो अब एयर इण्डिया इन्टरनेशनल के पास फालतू हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : हम अन्य कामों के लिये सुपर कंस्टेलेशनों का उपयोग करेंगे । इन की अपेक्षा वाइकाउंट देशीय उपयोग के लिये अधिक उत्तम होंगे ।

†**श्री आसर** : नये वाइकाउंट की तुलना में पुराने की कीमत कितनी होगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : नये वाइकाउंट पर लगभग ५७ लाख रुपये खर्च होंगे ।

†**श्री आसर** : पुराने की कितनी लागत होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसा कि सदस्यों को पता है कि पुराने माल की लागत मुख्यतया टूट फूट, उपयोग में लाये गये वर्षों, अवक्षण आदि पर निर्भर होती है । कोई मूल्य निश्चित नहीं हो सकता

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : पुराने वाइकाउंट प्राप्त करने की कठिनाई को ध्यान में रखते हुये, क्या सरकार इससे कम बढ़िया फोक्कर फ्रेंडशिप को लेने का प्रयत्न कर रही है ?

†**डा० पं० सुब्बरायन** : हमारे पास वे पांच हैं, जो जनवरी/फरवरी/मार्च १९६१ तक आ जाएंगे ।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : क्या वर्तमान डकोटों के स्थान पर वाइकाउंट या कोई और उत्तम जहाज रखने की कोई योजना है क्योंकि वर्तमान डकोटे बहुत पुराने हो गये हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : यह बिल्कुल सही है। हम अपने जहाज बनाने का भी विचार कर रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि पुराने जहाजों का विमान सेवाओं की कुशलता पर सदा बुरा प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो हम पुराने विमान क्यों खरीद रहे हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मेरे प्रविध्रिक सलाहकारों का ऐसा मत नहीं है। संभवतः माननीय सदस्य के पास दूसरे प्रविधिक सलाहकार हैं ।

†**श्री त्यागी** : हमारे मंत्रालय ने जब इनको खरीदा तो ये विमान कितने मील उड़ चुके थे ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : हमने यह जानने के लिये कोई पुराना विमान नहीं खरीदा कि वह कितने मील उड़ चुका है। हम केवल पुराने विमानों के लिये बात चीत कर रहे हैं। निस्संदेह उन्हें प्राप्त करने से पूर्व हमें यह देखेंगे कि वे कितने मील उड़ान कर चुके हैं। हम बेकार विमान नहीं खरीद रहे हैं ।

आयुर्वेद की पुरानी पांडुलिपियां

*८०१. **श्री पद्म देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आयुर्वेद की बहुतसी पुस्तकें, जिनके नाम अन्य आयुर्वेदिक पुस्तकों में उल्लिखित हैं, अब उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या उन्हें यह भी मालूम है कि उनमें से कई पुस्तकें कुछ एक पुराने परिवारों के पास हैं परन्तु वे किसी को नहीं दिखाते ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या सरकार इस विषय में अनुसंधान और पूछ-ताछ की कोई योजना बनाने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि कई पांडुलिपियां लोगों के पास हैं ।

(ग) केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद् की साहित्यिक अनुसंधान उपसमिति ने इस प्रश्न पर विचार किया है तथा कतिपय सिफारिशें की है जिन पर केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद् विचार करेगी ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि आयुर्वेद के सम्बन्ध में, जो भूत भव्य भारत में चिकित्सा की एक ही प्रणाली थी, किन किन बातों में अनुसन्धान सरकार कर रही है ?

श्री करमरकर : इस विषय पर इस सभा में जो वाद-विवाद पहले हो चुका है, मैं उसका उल्लेख उनसे करूंगा मैं ने उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि आयुर्वेद के इस प्रकार के जो कुछ अलभ्य ग्रन्थ हैं, जो उपलब्ध तो हैं, परन्तु अभी तक प्रकाशित नहीं हुये हैं, उनको प्रकाशित करने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ।

श्री करमरकर : हम उस को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ।

श्री जांगड़े : अभी हाल में शासन ने घोषित किया है कि केन्द्र में चिकित्सा प्रणाली की पुस्तकों का एक संग्रहालय स्थापित किया जायगा । क्या मैं जान सकता हूं कि इस संग्रहालय में आयुर्वेद की पुस्तकों का भी संग्रह किया जायगा ?

श्री करमरकर : आज भी हैं और आईन्दा भी किया जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने कहा कि उप-समिति इस पर विचार कर रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक इस पर विचार होगा और क्या इस बारे में कोई विशेष व्यवस्था की जायगी ।

श्री करमरकर : यदि मुझे ठीक याद है, तो शायद एक महीने में अनुसन्धान समिति की बैठक होने वाली है । उस में उसका विचार किया जायगा ।

श्री पद्म देव : तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आयुर्वेद के अनुसन्धान कार्य के लिये कितनी धन राशि नियत की गई है ?

श्री करमरकर : अभी वह असामयिक है, प्रीमेच्योर है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** अब इस के सम्बन्ध में कुछ पाण्डुलिपियां कुछ लोगों के पास हैं । सरकार उन्हें किस प्रकार प्राप्त कर रही है ? क्या वह उन्हें लेगी या खरीदेगी ?

†**श्री करमरकर :** जी हां, । यह विचार है । अन्तिम उद्देश्य उन्हें लेने या उनकी प्रतियां ले कर उनके ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाने का है ।

†**श्री नारायण स्वामी :** क्या सरकार सिद्ध प्रणाली द्वारा चलाये गये दुर्लभ और पुरानी पाण्डुलिपियों को प्रकाशित करने को तैयार है, जो मद्रास के प्राय: सभी गांवों में प्रसिद्ध हैं और सस्ती प्रणाली है ?

†**श्री करमरकर :** हम इस पर भी उचित विचार करेंगे ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या सरकार कुछ विशेषज्ञ नियुक्त करेगी जो विभिन्न राज्यों में जाएंगे । देश में आयुर्वेद और अन्य प्रणालियों का प्रचार करने के लिये उपयुक्त बहुमूल्य पाण्डुलिपियों का पता लगायेंगे जो एकत्रित की जा सकें और प्रकाशित की जा सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री करमरकर : जो लोग इसके प्रभारी हैं वे स्वयं विशेषज्ञ हैं। यदि अन्य विशेषज्ञ उनको मंत्रणा देंगे, तो हम उस पर भी सहर्ष विचार करेंगे।

पश्चिमी तट पर तूफान

+

†*८०२. { **श्री आसर :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** यह सच है कि मई, १९६० में पश्चिम तट पर बड़ा भीषण तूफान आया था ;

(ख) **क्या यह** भी सच है कि उस तूफान के कारण बहुत से पालदार जहाज़ डूब गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७]**

†श्री आसर : क्या तूफान से प्रभावित लोगों को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ?

†श्री राज बहादुर : इन में से किसी भी मामले में प्राणहानि नहीं हुई। अतः वित्तीय सहायता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री आसर : विवरण से पता चलता है कि केवल एक जहाज का बीमा हुआ था। क्या सरकार समुद्र में चलने वाले जहाजों का अनिवार्य बीमा करने के बारे में विचार कर रही है ?

†श्री राज बहादुर : पुराने भारतीय व्यापार नौवहन अधिनियम के अन्तर्गत समुद्र में चलने वाले जहाज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं था। अब नया अधिनियम पास होने के पश्चात् समुद्र में चलने वाले जहाजों के बारे में कुछ उपबंध सम्मिलित किये गये हैं और जब वे लागू हो जाएंगे तो हमें कुछ शक्ति होगी, परन्तु हम ठीक से नहीं कह सकते कि बीमा के बारे में क्या किया जायगा।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या उस क्षेत्र में जहाज के जाने से पूर्व उसे कोई चेतावनी दी गई थी ?

†श्री राज बहादुर : यह सामान्य तरीका है और मुझे विश्वास है कि चेतावनी दी गई थी।

†श्री वारियर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह सामान्य बात है, क्या सरकार जहाजों को तूफान के बारे मे पूर्व सूचना देने और उनकी रक्षा करने के लिये कोई उपाय करने का विचार रखती है ?

†श्री राज बहादुर : ऋतु विज्ञान सम्बन्धी गवेषणशाला की सेवायें और ऋतु विज्ञान सम्बन्धी भविष्यवाणी जहाजों को हमेशा की जाती है। विभिन्न पतनों और जहाजों को तूफानों, चक्रवातों, ऋतु आदि के बारे में हमसे भविष्यवाणी की जाती है। यदि संभव होता है तो उनको सुधार सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरक

†*८०३. { श्री रामी रेड्डी :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री दलजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ के लिये विभिन्न राज्यों की विभिन्न प्रकार के उर्वरकों सम्बन्धी आवश्यकता का अन्तिम अनुमान लगा लिया गया है ;

(ख) विभिन्न राज्यों की मांग इस सम्बन्ध में कितनी थी ;

(ग) विभिन्न राज्यों को कितना आवंटन किया गया है ;

(घ) इस वर्ष की पहली तिमाही में कितनी मात्रा दी गई है ; और

(ङ) विभिन्न राज्यों को दूसरी तिमाही में कितना उर्वरक देने का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** (क) जी हां ।

(ख) से (ङ). तीन विवरण—अनुबन्ध १, २, ३ सभा पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८]**

†**श्री रामी रेड्डी** : विवरण से यह मालूम होता है कि कुल आवश्यकता लगभग २३ लाख टन की है जिसमें से देशी उत्पादन लगभग ५ लाख टन है और ३ लाख टन विदेशों से मंगाया जाता है । इस ८·२६ लाख टन के बारे में भी जो संभवत: देश में तैयार किया जायगा और विदेशों से मंगाया जायगा, कुछ कठिनाइयां हैं .

†**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या जानना चाहते हैं ?

†**श्री रामी रेड्डी** : सरकार इन सब कठिनाइयों का किस प्रकार सामना करेगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमें ऐसी कोई कठिनाई की संभावना नहीं है । देशी उत्पादन बराबर जारी है और सामान्यतया आयात भी हमारी आशा के अनुसार प्राप्त होते रहेंगे । यदि जहाजों के पहुंचने में कोई अड़चन हुई तो कुछ थोड़ी देर होगी । लेकिन साधारणतया ऐसा नहीं होगा ।

†**श्री रामी रेड्डी** : एक विवरण से यह मालूम होता है कि सिन्दरी में उत्पादन १४,००० टन कम हुआ है । पूर्व जर्मनी से अमोनिया के सल्फेट का आयात २३,००० टन कम हुआ है । जहाज की कठिनाई के कारण कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट का आयात भी कम हुआ है । फिर . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या जानना चाहते हैं ?

†**श्री रामी रेड्डी** : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन सब कठिनाइयों का सामना किस प्रकार करने जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि ये आंकड़े तिमाही आंकड़े हैं । यदि एक तिमाही में सिन्दरी में उत्पादन कम हुआ हो तो वे संभवतः दूसरी तिमाही में उसे पूरा कर लेंगे । आशा है कि वे आखिर में वार्षिक उत्पादन पूरा पूरा कर लेंगे ।

†श्री रामी रेड्डी : विवरण से यह मालूम होता है कि सरकार आवश्यकता का केवल ३५ प्रतिशत ही मुहैया कर सकेगी । सरकार कब इस स्थिति में होगी कि वह किसानों की पूरी आवश्यकता के लिए मुहैया कर सके ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : हम भी इस बात के लिए आतुर हैं कि किसानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हम यथासंभव अधिक से अधिक मुहैया कर सकें किन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण हम विदेशों से नहीं मंगा सकते । स्थानीय उत्पादन केवल ५$^1/_2$ लाख टन है जबकि मांग २३ लाख टन है । हम बड़ी मुश्किल से ३ लाख या ३$^1/_2$ लाख टन विदेशों से मंगा पाते हैं । ज्यों ही हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति ठीक हो जायगी, हम अधिक आयात कर सकेंगे । तब हम मांग पूरी कर सकेंगे ।

†श्री जगन्नाथ राव : विवरण से यह दिखायी पड़ेगा कि रेलवे द्वारा लगाये गये संचालन सम्बन्धी निर्बन्धनों के कारण देश में उर्वरक एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है । क्या इस मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय को वे निर्बन्धन हटाने के लिए कहा है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : हमने यह विषय उठाया है । रेलवे की भी यही धारणा है । उनकी कठिनाई यह है कि हड़ताल तथा कई दूसरी बातों के कारण उन्हें कुछ समय के लिए संचालन संबंधी कुछ निर्बन्धन लगाने पड़े । वे हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं । उर्वरक लाने ले जाने में शीघ्रता करने के लिए वे हमें पूरा पूरा सहयोग दे रहे हैं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस कमी में से कितने की भरपायी करली गयी है ? उन्होंने बताया कि सिन्दरी में १३,००० टन की कमी है । क्या यह सच नहीं है कि यह कमी पूरी होने के बजाय बढ़ रही है और इस वर्ष वह ५५,००० टन हो गयी है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : आशा है कि सिन्दरी यह कमी पूरी कर लेगा ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वह १३,००० टन के बजाय ५५,००० टन हो गया है । इस कमी को पूरा करने के लिए आप निर्धारित क्षमता से अधिक कैसे काम करते हैं ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यदि सिन्दरी कमी पूरा नहीं करता तो हम लाचार हैं । विदेशी मुद्रा की स्थिति को देखते हुए जितना भी संभव है हम विदेशों से मंगाते हैं । सिन्दरी ने भी आश्वासन दिया है कि वह अपने कार्यक्रम में शीघ्रता करेगा और अधिक से अधिक उत्पादन करेगा । अब भी यदि कमी रहे तो हमें कठिनाई सहन करनी पड़ेगी ।

†श्री रंगा : इस कमी के बावजूद कुछ राज्य और जिले उन्हें दी गयी खाद निर्धारित समय के भीतर काम में नहीं ला पाते । क्या सरकार के पास ऐसी कोई पद्धति है जिससे कि किसी एक खास मौसम की अतिरिक्त खाद उन क्षेत्रों में भेज दी जाये जहां बहुत जरूरी मांग हो ताकि कम से कम बराबर बराबर सप्लाई हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : साधारणतया किसी राज्य के पास अतिरिक्त नहीं बचता। सिन्दरी से प्राय: प्रत्येक दिन का उत्पादन रेल द्वारा भेज दिया जाता है। किन्तु यदि किसी राज्य में अथवा जिले में वर्षा न होने या पानी की कमी या बोग्राई में देर के कारण कुछ अतिरिक्त बच जाये तो वह उसी राज्य के पास छोड़ दिया जाता है ताकि वह अपने आप ही हिसाब बैठा ले।

†श्री रंगा : क्या किसी समय सरकार के ध्यान में यह बात नहीं लायी गयी कि उर्वरकों की कुछ मात्रा बम्बई राज्य से आन्ध्र राज्य में भेज दी जाती है क्योंकि आन्ध्र राज्य में अधिक मांग है और वहां उसकी खपत भी अधिक है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इसका यह अर्थ नहीं कि बम्बई राज्य अपने पूरे उर्वरक का उपयोग नहीं कर सकता। जब आन्ध्र में काफी अधिक मांग होती है तब चोरी छिपे व्यापार होता है क्योंकि आन्ध्र के किसान ऊंची कीमत देते हैं।

†श्री वी० चं० शर्मा : १९५९ और १९६० में विदेशी मुद्रा की कितनी कमी थी और वह कैसे पूरी की गयी ? १९६०-६१ में विदेशी मुद्रा की कमी के बारे में क्या हो रहा है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : जहां तक हमारे मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमें सब राज्यों से २३ लाख टन उर्वरक की मांग प्राप्त हुई थी जबकि देशी उत्पादन केवल ५ लाख १६ हजार टन है। इसका मतलब यह कि शेष हम आयात करना चाहते हैं। लेकिन हम ३ लाख टन से ज्यादा आयात नहीं कर सकते। जब कि हम १७ लाख टन से अधिक आयात करना चाहते हैं हमें केवल ३ लाख टन की विदेशी मुद्रा दी गयी है। इसलिए बहुत बड़ा अन्तर रह जाता है। वित्त मंत्रालय भी यथासंभव इस ओर ध्यान देता है कि जब कभी कुछ विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो वह हमें दी जाये।

†श्री हेडा : माननीय मंत्री ने पहले ही बताया कि कुछ क्षेत्रों से चोरी छिपे व्यापार होता है। इस बात को देखते हुए क्या सरकार ने इन क्षेत्रों को ध्यान में रखा है और भविष्य में नियतन करते समय इन क्षेत्रों को वर्तमान की अपेक्षा कम मात्रा दी जायगी ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : जी हां, हम पंजाब और उड़ीसा जैसे राज्यों को. कभी कभी पश्चिमी बंगाल और बम्बई को भी, सचेत कर रहे हैं कि उर्वरकों का दुरुपयोग न हो। दुरुपयोग के मामले में हम उनकी सप्लाई कम कर रहे हैं। हर बार उनका ध्यान इस ओर दिलाया जाता है।

†श्री रंगा : यह क्या बात है कि सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया कि वे राज्य जिनके पास किसी खास अवधि में अतिरिक्त सप्लाई हो, अपनी परस्पर व्यवस्था के जरिये अपने पड़ोसी राज्य को दे दें, बजाय इसके कि उनका कोटा कम करने की धमकी दी जाये ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : माननीय सदस्य का ख्याल गलत है कि चूंकि कुछ उर्वरक चोरी छिपे बम्बई से आन्ध्र भेजे जाते हैं, बम्बई में अतिरिक्त उवरक है। ऐसी बात नहीं

†मूल अंग्रेजी में

है । बम्बई तो और अधिक उर्वरक चाहता है । किन्तु इधर उधर कुछ व्यक्तियों अथवा दलों के कारण ऐसा हुआ होगा क्योंकि आन्ध्र के लोग बहुत अच्छा दाम देते हैं । किन्तु इससे जरा भी यह संकेत नहीं मिलता कि बम्बई में अतिरिक्त उर्वरक है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : हम काफी समय से अलवाये में उर्वरक कारखाने के विस्तार कार्यक्रम के बारे में सुन रहे हैं। क्या वह कार्यक्रम वास्तव में शुरू हो गया है ? यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यद्यपि यह मेरे क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है, फिर भी, तीसरी योजना अवधि में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, तीसरी योजना में २४० करोड़ रुपये के विनियोजन की एक बहुत बड़ी योजना है । भारत में आज जितना उर्वरक तैयार हो रहा है उसका लगभग दस गुना तीसरी योजना के अन्त तक भारत तैयार करने लगेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अलवाये के मामले के बारे में उनका कहना है कि वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं । वह नहीं जानते । अगला प्रश्न, श्री केशव ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाहता बल्कि एक निवेदन करना चाहता हूं । हम माननीय मंत्री की कठिनाई समझते हैं किन्तु मेरा ख्याल है कि सिन्दरी उर्वरक के बारे में इस सभा में गलतफहमी पैदा की जा रही है । वास्तव में, कोयले की किस्म के बारे में दो मंत्रालयों में झगड़े के कारण सिन्दरी कारखाने में ५५,००० टन कम उत्पादन हुआ है । यह बता कर कि एक मौसम की कमी दूसरे मौसम में पूरी कर ली जायगी, एक गलत ख्याल पैदा करना बिलकुल गलत है । इसलिए हम यह उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री यहां स्पष्ट और ठीक ठीक उत्तर दें । उत्पादन में ५५,००० टन की कमी हुई है और उसे पूरा किये जाने की कोई संभावना नहीं है ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि वे इस विषय में उपयुक्त मंत्रालय को संबोधित करें ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : विवरण में महाराष्ट्र और गुजरात की आवश्यकताएं नहीं दिखायी गयी हैं । मैंने इस ओर आपका ध्यान दिलाने का कई बार प्रयत्न किया है । महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की आवश्यकताएं अलग अलग नहीं दिखायी गयी हैं । वे किस आधार पर निर्धारित की जायेंगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जब ये नियतन किये गये थे, तब महाराष्ट्र का जन्म नहीं हुआ था । इसलिए बम्बई राज्य के लिए नियतन किया गया है । बंबई का मतलब महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : आप उसे कैसे निर्धारित करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अभी उसे विभाजित कर लेंगे । अगला प्रश्न, श्री दी० चं० शर्मा ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में रासायनिक उर्वरकों का वितरण

†*८०५. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में दिल्ली के किसानों को कुल कितने रासायनिक उर्वरक बांटे गये और सरकार ने उन के सस्ते दामों पर बेचे जाने के प्रयोजन से कितनी वित्तीय सहायता दी ; और

(ख) स्थानीय खाद को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) : १९५९–६० में दिल्ली के राज्य क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों की निम्नलिखित मात्राएं किसानों में बाटी गयी थीं :—

उर्वरकों के नाम	बांटी गयी मात्रा (आंकड़े टनों में)
अमोनियम सल्फेट	१,२६०
यूरिया	१४१
सुपर फास्फेट	१०१

केवल सुपर फास्फेट के लिए लागत के २५ प्रतिशत की दर से राजसहायता दी गयी थी ।

(ख): दिल्ली में स्थानीय खाद के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गयी :—

(१) गावों में स्थानीय खाद के उत्पादन का विशेष रूप से विकास करने के लिए पांच कम्पोस्ट इन्स्पेक्टर और विस्तार कर्मचारी (एक्स्टेन्शन स्टाफ) राज्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

(२) स्थानीय खाद के स्रोतों के उचित संरक्षण के संबंध में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रदर्शन और प्रदर्शनियां आयोजित की गयीं।

(३) खाद तैयार करने की शैली का प्रशिक्षण चुने हुए किसान नेताओं को दिया गया ।

(४) सरकारी ट्रकों स खाद बांटने की योजना कार्यान्वित की गयी है ।

(५) बदली संग्रह से किसानों को अपनी आवश्यकतानुसार बिना कोई दाम दिये खाद उठाने की अनुमति दीं गयी ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : इस स्थानीय खाद के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : दिल्ली राज्य में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के अधीन उर्वरकों, कृत्रिम तथा कम्पोस्ट दोनों ही के उपयोग के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने की एक बड़ी योजना है। वे आगे बढ़ रहे हैं और प्रगति काफी संतोषजनक है।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस प्रकार के काम के लिए कोई विशिष्ट धनराशि अलग रखी गयी है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : वह तो सामुदायिक परियोजनाएं मंत्रालय बना सकता है किन्तु हम उस के लिए राज सहायता दे रहे हैं और हमारे मंत्रालय ने इस वर्ष ८,३३७ रुपये दिये हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस स्थानीय खाद से उर्वरकों की कितनी आवश्यकता पूरी होगी ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : हम उनकी मांग के ३५ प्रतिशत तक दे रहे हैं । बाकी स्थानीय खाद से पूरा करना होगा।

चीनी पर नियंत्रण

\+

†*८०६. श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री विश्वनाथ राय :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आसर :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी की वार्षिक खपत २० लाख टन है और १९५९-६० में इसका उत्पादन २४ लाख टन से अधिक हुआ और १.७३ लाख टन चीनी पिछले साल की बची रही, क्या सरकार चीनी पर से नियंत्रण हटाने का इरादा कर रही है ; और

(ख) क्या उत्पादन में वृद्धि होने के कारण चीनी का निर्यात भी किया जायेगा ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) नहीं, अभी नहीं ।

(ख) जी हां, निर्यात के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या यह सच नहीं है कि पिछले नवम्बर में माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने बंगाल में यह घोषणा की थी कि यदि २२.५० लाख टन तक का लक्ष्य पूरा हो जाये तो नियंत्रण हटा दिया जायगा ; यदि हां, तो अब किन परिस्थितियों के कारण नीति बदल दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमारे मंत्री ठीक घोषणा करते हैं। किन्तु नियंत्रण उठा लेने अथवा चीनी के निर्यात के बारे में इतने जल्दी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता । यह ठीक है कि गन्ना उत्पादकों, कारखाना मालिकों और सरकार के प्रयत्नों के कारण पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष लगभग ५ लाख टन चीनी अधिक तैयार हो सकी । हम निर्यात करने की स्थिति में हैं किन्तु फिर भी अभी यह नहीं कहा जा सकता कि हम कितना निर्यात और किन किन देशों को कर सकेंगे । अनेक अन्तर्राष्ट्रीय बातें हैं जो इन चीजों को नियंत्रण करती हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : प्रश्न तो नियंत्रण उठा लेने के बारे में है । जब माननीय मंत्री ने पिछले अक्तूबर में यह घोषित कर दिया था कि २२.५० लाख टन का लक्ष्य पूरा हो जाने पर नियंत्रण उठा लिया जायगा तो अब कौन से कारण बीच में आ गये हैं। फिर क्या यह उद्योग के या उपभोक्ताओं के हित में है कि नियंत्रण कायम रखा जा रहा है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : नियंत्रण उठा लेने का प्रश्न भी निर्यात के प्रश्न से सम्बद्ध है । यदि देश में इन दोनों प्रश्नों पर चर्चा होती है तो हमें अत्यधिक सावधान रहना चाहिये, खास कर चीनी के मामले में जिसकी पूर्ति हमेशा कम रहती है । फिर, चूंकि इस वर्ष ५ लाख टन अधिक उत्पादन हुआ है, निर्यात करने अथवा नियंत्रण उठा लेने के बारे में हमें तुरन्त ही कोई निर्णय नहीं कर लेना चाहिये । स्थिति सुधर गयी है और अब हम राज्य सरकार जितना चाहती है हम दे सकते हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : श्रीमान, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका उत्तर नहीं दिया जायगा । माननीय सदस्य 'क्यों' का प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रत्येक माननीय सदस्य यथा संभव अधिक से अधिक जानकारी दे कर समस्या सुलझाने का प्रयत्न करता है । प्रश्न काल में माननीय सदस्य केवल जानकारी मांग सकते हैं, और अपनी राय मंत्री पर जबर्दस्ती नहीं लाद सकते। मुझे सचमुच ही यह देख कर आश्चर्य होता है कि किसी मामले में सुझाव देने या एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने के लिए मंत्री को बाध्य करने में किस प्रकार प्रश्न काल का उपयोग किया जाता है । माननीय सदस्य को पर्याप्त जानकारी दी गयी है । माननीय सदस्य अन्य अवसरों की प्रतीक्षा करें। श्री प्र० चं० बरूआ ।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या यह सच है कि नियंत्रण से पहले काफी लोग इस व्यापार में लगे हुए थे और वे अब तकलीफ में हैं और उन्हें पुनर्वास की जरूरत है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : दूसरी ओर व्यापारियों का यह कहना है कि नियंत्रण के कारण उनका काम छिन गया है और उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है । छोटे छोटे व्यापारी और दूसरे लोग यह आग्रह करते हैं कि तुरन्त ही नियंत्रण उठा लिये जाने चाहिये। हम भी यह महसूस करते हैं कि यद्यपि हम नियंत्रण उठा लेने की स्थिति में हैं फिर भी अभी उपयुक्त समय नहीं है और हमें बड़ा सावधान रहना चाहिये। इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही हमें कोई निर्णय करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आंकड़ों से यह मालूम होता है कि उत्पादन करीब २४ लाख टन हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चीनी के इतने अधिक उत्पादन के बाद भी चीनी का मूल्य अभी तक कम क्यों नहीं हुआ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमारे मंत्री महोदय ने इस सभा में कई बार यह बताया है कि वितरण राज्यों के हाथ में है, और हम उनकी सभी मांगें पूरी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में, एक या दो राज्यों को दिया गया कोटा उन्होंने नहीं उठाया है। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश और राजस्थान को दी गयी चीनी वह पूरी पूरी नहीं उठा सके हैं। यदि मूल्य ऊंचे हैं तो उस के लिए उत्तरदायी अपर्याप्त पूर्ति नहीं है। अन्य बातें भी हैं जैसे स्थानीय चुंगी, अनेक अन्य कर, चीनी लाने ले जाने में सरलता, परिवहन की कठिनाइयां तथा अन्य बातें।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि चीनी के व्यापारियों ने कृषि मंत्री महोदय के सम्मुख कोई ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिस से उत्पादकों को उचित मूल्य पर चीनी भी मिलती रहे और कंट्रोल की भी आवश्यकता न रहे? यदि हां, तो उस पर क्या कारवाही की गयी है?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : व्यापारियों ने हमारे मंत्री से प्रार्थना की है कि यह नियंत्रण उठाने की। इस के सोचने में अभी हमें थोड़ी देर लगेगी। हमारा उत्पादन ज्यादा है तो भी हमें थोड़ा सोच कर नियंत्रण उठाने के बारे में निर्णय करना पड़ेगा।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में निर्यात के लिए कितना कोटा दिया गया था और वास्तव में कितना निर्यात किया गया?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। किन्तु मैं जानता हूं कि वह लगभग १ लाख टन चीनी थी और भारत वह सारी चीनी निर्यात नहीं कर सका।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सरकार का यह विचार है कि ५० प्रतिशत कोटा सामान्य व्यापारियों को दे दिया जाय और ५० प्रतिशत राज्य के मनोनीत व्यापारियों को दिया जाये ताकि उपभोक्ताओं को कम दाम पर चीनी मिल सके?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमने राज्य सरकारों को बताया है कि वे जो भी सुझाव देंगी, केन्द्रीय सरकार उन्हें मानने के लिए तैयार है। यदि वे चाहती हैं कि नियंत्रण उठा लिया जाये, तो हमे उसी प्रकार करना पड़ेगा।

†**श्री त्यागी** : क्य यह निर्यात कोटा सीधे मिलों से या व्यापारियों से लिया जाता है? यदि वह मिलों से लिया जाता है, तो मैं नहीं समझ पाता कि निर्यात करने में क्या कठिनाई है और क्यों नियंत्रण आवश्यक है?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : निर्यात की कठिनाई यह है कि यद्यपि भारत निर्यात करने की स्थिति में है फिर भी कौन से देश ऐसे हैं जो हमारी चीनी खरीदेंगे? हमारी चीनी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव से महंगी होती है। यदि कोई देश चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव से अधिक दाम, विभिन्न कारणों से, देने के लिए तैयार हो, तभी भारत निर्यात के बारे में सोच सकता है। प्रश्न यह है कि क्या हमें ऐसी पार्टी मिलेगी और तब हमारी अपनी आवश्यकताओं और अधिक उत्पादन का

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि गन्ने का उत्पादन कितना होगा, अगले वर्ष उत्पादन इस वर्ष गन्ने की फसल से ज्यादा या कम होगा। इन सब बातों पर विचार करना होगा। इस विषय में बड़ी सावधानी से निर्णय करना चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : देश के बाहर मूल्य हमारे मूल्य से कम होने के कारण हानि क्या काफी समय तक जारी रहती है और वह उपभोक्ताओं से पूरी की जाती है ? क्या यही इसका अर्थ है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : वह सरकार पर छोड़ दिया जाता है। जब वे निर्यात करते हैं तो उन्हें यह निर्णय करना पड़ता है कि क्या हानि उत्पादन शुल्क में से पूरी की जायगी या किसी अन्य निधियों से पूरी की जायगी ? इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई निश्चय नहीं किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे वास्तव में इस पर आश्चर्य होता है कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। जानकारी प्राप्त करने के बजाये माननीय सदस्य सरकार पर अपने दृष्टिकोण लादना चाहते हैं। मुझे सभा को यह बताने का अधिकार है कि प्रश्नकाल का क्षेत्र कितना है। मैं किसी माननीय सदस्य को इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं कि अपने दृष्टिकोण लादने के लिए अथवा इस विषय के सम्बन्ध में नीति बदलने के लिए वह प्रश्नकाल पर अपना एकाधिकार जमा लें। सरकार एक नीति अपनाती है और उसी नीति के परिसीमनों के अधीन ही केवल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नीति में परिवर्तन कराने के लिए प्रश्नकाल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्हें यह नहीं पूछना चाहिये कि आपने निर्यात क्यों नहीं किया। वह यह कहते हैं कि अभी यह निर्णय नहीं किया जा सकता, हो सकता है आगामी फसल उतनी अच्छी न हो ? फिर क्या वह क्यूबा या अन्य देशों की ओर दौड़ ? मैं एक माननीय सदस्य को एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा और यह नहीं कि अनेक माननीय सदस्य उठ खड़े हों और सवाल पूछें ताकि एक ही प्रश्न प्रश्नकाल के सारे समय पर एकाधिकार जमा ले। अगला प्रश्न।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये छात्रावास

†*८०७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये छात्रावास (होस्टल) किन स्थानों पर खोले गये हैं ;

(ख) क्या इन छात्रावासों के वार्डन अथवा सुपरिन्टेन्डेन्ट वर्तमान रेलवे कर्मचारियों में से नियुक्त किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किस श्रेणी के कर्मचारियों में से ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) सिकन्दराबाद, पूना, पटना, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, त्रिचनापल्ली, मैसूर, ओलावकोट, खड़गपुर, कटक, आनन्द तथा अजमेर।

(ख) जी, हां ।

(ग) सामान्यतया निरीक्षकों तथा शिक्षकों में से ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वहां पर कितने विद्यार्थियों के लिये स्थान है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : कुल १३ छात्रावास हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कुल कितने विद्यार्थी रहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : कुल लगभग १४०० विद्यार्थी रहते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या ततीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से कोई किराया लिया जाता है ? यदि हां, तो किस दर से किराया लिया जाता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : १०० रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से ७.५० रुपये ; १०१ से २०० रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से १२.५० रुपये और २०१ से ३०० रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से २० रुपये लिये जाते हैं । ३०० रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी भी अपने बच्चों को छात्रावासों में दाखिल करवा सकते हैं, परन्तु उन्हें पूरा किराया देना पड़ेगा ।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे मंत्रालय की कुछ अन्य स्थानों में भी ऐसे छात्रावास खोलने की योजना है, और यदि है तो कहां कहां पर ?

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी नहीं, इस वक्त इस तरह के और छात्रावास खोलने की कोई योजना नहीं है । यह तो हर एक रीजनल लैंग्वेज के क्षेत्र में एक एक खोला गया है ताकि यदि वहां के लड़कों के अभिभावकों को उस क्षेत्र से बाहर रहना पड़े तो उनकी पढ़ाई में कठिनाई पैदा न हो ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इन छात्रावासों में कुल कितने छात्रों के लिये स्थान है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैंने अभी अभी बताया है कि कुल लगभग १४५० व्यक्तियों के लिये स्थान है ।

†**श्री जांगड़े** : क्या सरकार ने इन छात्रावासों में रहने वाले तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के लिये वर्दियां खरीदने का फैसला किया है ?

†**श्री जगजीवन राम** : इन छात्रावासों के बच्चों के लिये नहीं । वे अधिकांश मैट्रिक के बाद की शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिये हैं ।

भारत में जापानी नाविक

†*८०८. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
डा० राम सुभग सिंह : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोबे नौवहन कम्पनी और जापानी नाविक संघ ने जापान के विदेश मंत्री को अभ्यावेदन भेजे हैं जिनमें यह शिकायत की गई है कि भारत में जापानी नाविकों को कलकत्ते में लुटेरों के गिरोहों द्वारा लूटने का बार-बार प्रयत्न किया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सन्देश प्राप्त हुआ है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) भारत सरकार को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि कोबे नौवहन कम्पनी द्वारा जापानी विदेश मंत्री को इस प्रकार की कोई शिकायत की गयी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या भारत सरकार को ज्ञात है कि जापानी नाविक संघ ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें यह कहा गया है कि कलकत्ते के पत्तन में जापानी नाविकों को तंग किया गया था और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था ?

†**श्री राज बहादुर** : हमारे अपने भारतीय राजदूतावास ने हमें सूचित किया है कि जापानी विदेश मंत्री को इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गयी थी । हां, एक दो पत्रों में, जैसे कि जापान में 'मैनिची' और भारत में 'हिन्दू' में इस रिपोर्ट का उल्लेख था । इसके अतिरिक्त हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : भारत में और विशेषतया कलकत्ता में विदेशी नाविकों की रक्षा के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : कलकत्ता के डिप्टी कमिश्नर हमें इस सम्बन्ध में सूचित करते रहते हैं । कोयलों की गोदी के द्वारों तथा कोयला स्थान सड़क पर भी पुलिस की चौकियां रहती हैं । पत्तन पर की जाने वाली सुरक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियां विदेशी नाविकों के लिये भी उपलब्ध हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार को कोई ऐसी सूचना मिली है कि कलकत्ते के पत्तन पर जापानी नाविकों को तंग किया गया था ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि मैंने पहले बताया है, सिवाय समाचार पत्रों में छपे हुए उल्लेख के हमारे पास और कोई जानकारी नहीं है । और यह भी ज्ञात हुआ है कि कलकत्ते के पुलिस के डिप्टी कमिश्नर को स्थानीय जापानी एजेन्ट से कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी । परन्तु इस सम्बन्ध में पूछताछ नहीं की जा सकी, क्योंकि वे नाविक वापिस जा चुके थे ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार की बातों का न ही केवल हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्धों पर, अपितु पर्यटन पर, जिससे कि हम विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं, बुरा प्रभाव पड़ता है, क्या सरकार आवश्यकतानुसार विदेशी नाविकों की सुरक्षा का अधिक ध्यान रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं इस प्रकार की घटनाओं के घटित होने पर खेद प्रकट करता हूं । परन्तु, जैसा कि मैंने बताया है, इस सम्बन्ध में हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । जहां तक पर्यटन के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि इस घटना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा । परन्तु जहां तक नाविकों की सुरक्षा का सम्बन्ध है, उसकी व्यवस्था पूर्ण रूपेण ठीक है और पत्तन के प्राधिकारियों तथा पुलिस के डिप्टी कमिश्नर द्वारा इसका पूरा ध्यान रखा जाता है । जब उन्हें जापानी एजेन्ट से यह रिपोर्ट मिली तो उन्होंने मामले की जांच करने का प्रयत्न किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : हम यही तो जानना चाहते हैं कि क्या कलकत्ते के डिप्टी कमिश्नर को इसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, और यदि हां, तो क्या कायवाही की गई है ?

†श्री राज बहादुर : शिपिंग मास्टर द्वारा पूछे जाने पर उत्तर में डिप्टी कमिश्नर ने यह कहा था कि जापानी एजेन्ट के उक्त पत्र, तथा एक दो समाचार पत्रों में उल्लेख के अतिरिक्त उन्हें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली है ।

रेलवे लाइनें

+

†*८१०. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री सूपकार :
श्री न० म० देव :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री सुबिमन घोष : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (१) सम्भलपुर––तितिलागढ़ (२) बेला दिल्ला––कोट बलस्सा और (३) विमलगढ़––किरिबुरू लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) सम्भलपुर-तितिलागढ़ लाइन पर ४ थे मील से ४०वें मील तक के लगभग सभी निर्माण कार्यों के लिये तथा सम्पूर्ण मार्ग में आने वाले ७ बड़े पुलों के लिये ठेके दे दिये गये हैं । उनके लिये भूमि वसूली का कार्य इस समय चल रहा है ।

(ख) अन्तिम स्थान सर्वेक्षण जारी है । निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में भी प्रारम्भिक कार्य शुरू किये जा रहे हैं ;

(ग) अन्तिम स्थान सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और निर्माण-कार्य के लिये प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** वास्तविक निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही, इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या इस नयी लाइन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने के लिये रेल विभाग में कोई विशेष संगठन तैयार किया गया है । और यदि हां, तो उस संगठन का कार्य क्या है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी, एक संगठन स्थापित किया गया है जिसमें जनरल मैनेजर, चीफ़ इंजीनियर तथा तीन डिप्टी चीफ़ इंजीनियर और कुछ अन्य कर्मचारी हैं ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : सम्भलपुर–तितिलागढ़ रेल लाइन ११० मील लम्बी है । इसमें से कितने मील की लाइन तैयार हो चुकी है और क्या सम्पूर्ण लाइन १९६२ तक बन जायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अभी तक तो कुछ भी तैयार नहीं हुआ है । आशा है कि सम्पूर्ण कार्य १९६२ के अन्त तक या १९६३ के आरम्भ तक पूरा हो जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अमजद अली** : माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में यह बताया है कि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने का काम रेल बोर्ड पर निर्भर करता है। क्या सरकार इस लाइन को व्यापारिक दृष्टि से सुन्दर लाइन बनाने के लिये ५ प्रतिशत के लाभ पर जोर देगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। यह काम तो जापान को जाने वाले लौह-अयस्क विशेषज्ञ का है। सम्भलपुर और किरिबुरु लाइनें इस प्रयोजन के लिये हैं कि १९६४ तक २० लाख टन लौह-अयस्क का निर्यात किया जा सके। १९६५ तक दूसरी लाइन से ४० लाख टन अयस्क का निर्यात किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेलवे का विद्युती करण

†*८०४. { **श्री केशव** :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलों की विद्युतीकरण योजनाओं के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६]।**

स्त्रियों के डिब्बों में 'पुश बटन'

†*८०६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी रेलों पर स्त्रियों के डिब्बों में खतरे के समय इस्तेमाल किये जाने के लिये 'पुश बटन' लगाने की व्यवस्था कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न ज़ोनों में अब तक क्या अनुभव प्राप्त हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां, सिवाये दक्षिण और दक्षिण पूर्व रेलों के।

(ख) इसे अभी हाल ही में प्रारम्भ किया गया है। इसके इस्तेमाल के लिये अभी तक कोई घटना घटी नहीं है।

कोचीन पत्तन

†*८११. **श्री नारायण कुट्टि मेनन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तमि वर्ष में कोचीन पत्तन के लिये साज सामान के लिये विदेशी मुद्रा की मांग की गई है ;

(ख) क्या मांगी गई विदेशी मुद्रा की मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो कौन कौन से उपकरण खरीदे जाने हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) कुल मांगी गई १३.४३८ लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा में से ६.१८८ लाख रुपयों के लिये मंजूरी दे दी गई है ।

(ग) जिन वस्तुओं के आयात के लिये मंजूरी दी गई है वे हैं––घाटों का नवीकरण करने के लिये सामान, क्रेनों, नावों और ड्रेजरों के लिये फालतू पुर्जे, तार के रसे, "ब्लेक ऑयल इंस्टालेशन" के लिये अतिरिक्त "फिटिंग्स" बेतार के सेटों के लिये फालतू "गार्ड रिसीवर", एक "लिस्टर आटो-ट्रक", एक ट्रेक्टर और दो ट्रेलर, एक टग के लिये सामान, वोल्टेज रेगूलेटर के लिये अतिरिक्त सामान, सड़कों के प्रकाश के लिये भूमिगत तारें तथा बिजली का सामान । जिन वस्तुओं के लिये ७.२५ लाख रुपयों की मंजूरी देनी रहती है, वे वस्तुयें हैं––एक फायर फ्लोर और एक टग के लिये एक स्टीम डाइनेमो ।

कलकत्ता पत्तन के लिये बिजली के क्रेन

†*८१२. { **श्री प्र० के० देव :**
　　　　 श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन पर बिजली के क्रेन लगाये जाने वाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना व्यय होगा और उन्हें कहां से मंगवाया जायेगा ; और

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमान है कि ६२ क्रेनों पर लगभग १,५८,२३,३६१ रुपये खर्च होंगे । ये पश्चिमी जर्मनी और जापान से खरीदे जा रहे हैं ;

(ग) ६३.४ लाख रुपये ।

भारतीय रेलों के लिये इस्पात आदि के टैंडर

†*८१३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारतीय रेलों के लिये इस्पात और इस्पात की बनी अन्य वस्तुओं की सप्लाई के लिये विदेशों से टैंडर मांगे हैं, और

(ख) यदि हां, तो जिन चीजों के लिये टैंडर मांगे गये हैं उनका ब्योरा क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित दो टेण्डर जारी किये गये हैं :––

(१) रेलों के लिये ११०० टन चक्करों तथा तारों के लिये टैण्डर एस––७ ।

†मूल अंग्रेजी में

(२) ६५,००० टन इस्पात के लिये--जिसमें अधिकांश प्लेटें तथा चद्दरें और इंजन डिब्बों तथा रेलवे वर्कशापों के लिये अपेक्षित विशेष 'सेक्शन' शामिल हैं--के लिये टैण्डर एस--८।

संतति निरोधक औषधि

***८१४. श्री प० ला० बारूपाल :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जिला जैसलमेर के एक ग्रामीण ने सरकार को परीक्षण करने के लिये एक संतति-निरोधक औषधि का नमूना भेजा है जो उसने स्वयं तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां। संतति-निरोधक औषधि के निर्माता से उस औषधि की रचना-सम्बन्धी विस्तृत जानकारी मांगी गई है ताकि उसका परीक्षण किया जा सके। उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गम क्षेत्र समिति

***८१५. श्री भक्त दर्शन :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री २८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गम क्षेत्र समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : सभा की टेबल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

समिति की बाकी रिपोर्टें सम्बन्धित राज्य सरकारों। प्रशासनों को भेज दी गई हैं। कार्यान्वित करने के लिये समिति की सिफारिशों पर आधारित योजनायें अब उनको बनानी हैं।

फतेहपुर-चूरू लाइन पर किराये और भाड़े की दरें

†*८१६. श्री कुन्हन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फतेहपुर नागरिक संघ, कलकत्ता से फतेहपुर-शेखावाटी-चूरू सैक्शन पर लिये जाने वाले किराये और भाड़े के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो ये दरें किस आधार पर निश्चित की गयी हैं;

(ग) क्या दरों में वृद्धि की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). फतेहपुर-चरू सैक्शन में लिये जाने वाले किराये और भाड़ों का आधार पर वे स्टैण्डर्ड किराये और भाड़े हैं जो कि सम्पूर्ण भारतीय सरकारी रेलों में लागू होते हैं। परन्तु उस सेक्शन में किराये भाड़े के लिये स्थान की दूरी १०० मील तक बढ़ा दी गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यह कार्य पूंजीगत लागत पर आय बढ़ाने की दृष्टि से किया गया है ।

बैलगाड़ियों के पहिये

†*८१७. **श्री चांडक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १० मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका से बैलगाड़ियों के पहियों का पुराना सामान आयात करने के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) बैलगाड़ियों के लकड़ी के पहियों में बाल बियरिंग लगाने के प्रयोगों का क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार में मंत्रालय राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). बैलगाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिये विभिन्न साइज के पहियों को टैस्ट करने के लिये और उन की उपयोगिता के सम्बन्ध में निर्धारण करने के लिये अमरीका के संभरणकर्ताओं से कुछ एक पुराने पहियों के कुछ नमूने प्राप्त किये जा रहे हैं। इन नमूनों को टैस्ट कर लेने के बाद ही १०,००० पहियों के पुर्जों के आयात के प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा ।

(घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

भारतीय सड़क कांग्रेस की बैलगाड़ी सम्बन्धी उप-समिति द्वारा कुछ समय पूर्व की गयी जांच से यह ज्ञात होता है कि लोहे के टायरों वाले लकड़ी के पहियों पर यदि बाल बियरिंग लगा दिये जाय, तो उससे घर्षण का प्रभाव तो कम हो जायेगा, परन्तु उस से पहिये जाम हो जायेंगे और उससे एक्सल आजादी से काम न कर सकेगा । इस से सड़क पर आने वाली प्रत्येक बाधा का पहिये पर बुरा असर पड़ेगा वैसे यदि बाल बियरिंग किसी ऐसे टायर के साथ लगायी जाये जिस में हवा भरी हुई ट्यूब हो, तो उस में वह पहिया सड़क पर आने वाली बाधाओं में भी अपने आप को स्थिर रख सकता है, परन्तु एक सख्त लोहे के टायर वाला लकड़ी का पहिया अपने आप को स्थिर नहीं रख सकता । पहिये में सख्ती होने से लोहे के टायरों के प्रायः सिरे ही जमीन पर लगेंगे और उस से सड़क में कटाव पड़ता जायेगा ?

केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था से यह निवेदन किया गया है कि वहां पर लोहे के टायरों वाली लकड़ी के पहियों के उस प्रकार से बाल बियरिंग फिट करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य करे जिससे उस का बुरा असर न हो ।

†मूल अंग्रेजी में

कृषि-आयोग

†*८१८. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री अन्सार हरवानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि व्यवस्था के तमाम पहलुओं का सर्वेक्षण करने के लिये कृषि आयोग नियुक्त करने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** मामला अभी विचाराधीन है ।

पोचमपाद परियोजना

†*८१९. { श्री रामी रेड्डी :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री वेंकटा सुब्बैया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोचमपाद परियोजना के बारे में महाराष्ट्र सरकार की आपत्तियों को इस बीच निपटा दिया गया है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने परियोजना के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट भेजी थी, उस पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग, योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है;

(ग) क्या परियोजना को दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है;

(घ) क्या इस परियोजना को दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये जनता और राज्य सरकार की ओर से कई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) परियोजना प्रतिवेदन पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा विचार कर लिया गया है, और सिंचाई, विद्युत् तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति द्वारा १५ जुलाई, १९६० की बैठक में विचार किया गया था। समिति का विचार था कि आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के बीच होने वाली बातचीत के परिणाम की प्रतीक्षा की जानी चाहिये ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) भाग (ख) में स्थिथि स्पष्ट कर दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा संयुक्त भारत-अमरीकी दल

†*८२०. { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रघुवीर सहाय : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पाच वर्षों में कृषि शिक्षा, अनुसन्धान और विस्तार के सम्बन्ध में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त दूसरे संयुक्त भारत-अमरीकी दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : जी, हां ।

टेलीफोन के ट्रंक मार्ग

†*८२१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन के प्रमुख ट्रंक मार्गों में जमीन के अन्दर लगाये गये कोएकसियल तारों से सम्पर्क स्थापित करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बा रायन)** : (क) और (ख). बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा अन्य प्रमुख शहरों को जमीन के अन्दर लगाये गये कोएकसियल तारों से सम्पर्क स्थापित करने का काम प्रारम्भ किया जा चुका है और आशा है कि १९६२ के अन्त तक कार्य पूरा हो जायेगा । शेष मार्गों का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रारम्भ किया जायेगा ।

मन्हेरू के निकट रेल पर हुई घटना

†*८२२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **रेलवे** मंत्री १० मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ दिसम्बर, १९५९ को चरखी दादरी और मन्हेरू के बीच चलने वाली आई० बी० डी० वी० गाड़ी पर हुई घटना के बारे में कोई जांच की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). जी, हां, पुलिस इस घटना के बारे में जो भिवानी खेडा तथा सत रोड स्टेशनों के बीच हुई थी, चरखी दादरी और मन्हेरू स्टेशनों के बीच नहीं अभी तक जांच कर रही है, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवार नियोजन

†*८२३. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवाओं के महा-निदेशक द्वारा देश भर में परिवार नियोजन ओरियेन्टेशन ट्रेनिंग कोर्स की व्यवस्था करने की योजना प्रारम्भ की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का संक्षिप्त ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) ब्योरे निम्मलिखित हैं :—

(१) इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि स्थानीय नेताओं विशेषतया ग्राम निवासियों और समुदायिक परियोजना कर्मचारियों को परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा महत्व से परिचित कराया जाये और परिवार नियोजन को स्वीकार करने के लिये उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करने के लिये स्वेच्छा से प्रचार करने के लिये उन्हें तैयार कराया जाये ।

(२) देश के विभिन्न भागों में राज्य सरकारों, अवैतनिक परिवार नियोजन नेताओं, भारतीय रेड क्रास सोसाइटी आदि स्वयं सेवी संगठनों, परिवार नियोजन सन्था तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा ५० से ६० व्यक्तियों के लिये तीन तीन दिन के अल्पकालीन ओरियेन्टेशन कोर्स चलाये जा रहे हैं ।

(३) फिलहाल १४० परिवार नियोजन ओरियेन्टेशन ट्रेनिंग कोर्स चलाने का विचार है। (१०० कोर्स राज्य सरकारों के द्वारा और ४० कोर्स गैर-सरकारी निकायों द्वारा चलाने का विचार है।

(४) अनुमान है कि प्रत्येक प्रशिक्षण कोर्स पर भोजन तथा अन्य कार्यों पर लगभग ४०० रुपयों का खर्च आ जायेगा ।

मध्य रेलवे में आय

†१५४५. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के पूर्वार्ध में मध्य रेलवे में माल तथा सवारी यातायात से अलग अलग कितनी आय हुई थी ; और

(ख) वह आय १९५९ की उसी अवधि में होने वाली आय की तुलना में कैसी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)

	सामान यातायात	यात्री यातायात
	२५,७० लाख रुपये	१२,९२ लाख रुपये
(ख) जनवरी से जून, १९५९	२४,५१ लाख रुपये	११,८८ लाख रुपये

†मूल अंग्रेजी में

मध्य रेलवे में आउट एजेंसी

†१५४६. **श्री पांगरकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में १०,००० या उससे अधिक की जन संख्या के कितने नगरों में रेलवे आउट एजेंसियां हैं ; और

(ख) जितने नगरों में आउट एजेन्सियां नहीं हैं, उनकी कितनी संख्या है और उनके क्या क्या नाम हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ६ ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०]

सिकन्दराबाद डिवीजन में रेलवे में भ्रष्टाचार

†१५४७. श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद डिवीज़न में रेलवे कर्मचारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचारों के कितने और किस प्रकार के मामले प्रकाश में आये हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : कुल ८१ मामले ध्यान में आये हैं जो कि निम्नलिखित प्रकार के हैं :—

(क) रिशवत ।

(ख) रेलवे के मजदूरों तथा स्टोर का अनुचित उपयोग ।

(ग) गबन तथा धोखा ।

(घ) टिकटों को दुबारा बेचा जाना तथा अन्य अनियमिततायें जिनमें रेलवे पासों का दुरुपयोग आदि सम्मिलित हैं ;

(ङ) रेलवे सम्पत्ति की चोरी/गबन ।

(च) रेलवे कर्मचारियों तथा रेलवे उपभोगताओं के साथ दुर्व्यवहार ।

मराठवाड़ में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

†१५४८. श्री पांगरकर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में किस किस स्थान पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले गये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : १९६०-६१ में १२ जून, १९६० तक मराठवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के लिये मंजूरी दी गयी है :—

संख्या	स्थान	जिला
१	कोली (उसमें निबधा, चिचगांव, आष्टी और ज्वालागांव में चार उपकेन्द्र स्थापित किये जायेंगे)	नान्देड़
२	काडा उसमें अष्टी, पिम्पला और सांगली में तीन उप-केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ।	भीड़

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सरकार निम्नलिखित स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं :—

संख्या	जिला	खण्ड का नाम	स्थान	उपकेन्द्र
१	नान्देड़	. स्टेज १, खण्ड भोखड़	उमरी .	. भोखड़ किनी गोलगांव
२	नान्देड़	. स्टेज १, खण्ड भोखड़	लिम्ब गांव	. मालेगांव अर्धपुर डोनगांव ।

कुष्ठ रोग

†१५४९. श्री सांगरकर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में कुष्ठ रोग की रोक थाम तथा इलाज के लिये बिहार को केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता दी गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी, हां । १९५९–६० में केन्द्रीय योजनाओं के लिये निर्धारित की गयी २५,११ लाख रुपयों की कुल राशि में से बिहार सरकार ने कुष्ठ रोग की रोक थाम के लिये ४. ११४ लाख रुपये इस्तेमाल किये हैं ।

दोरणाकल स्टेशन

†१५५०. { श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या रेलवे मंत्री २८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश के दोरणाकल स्टेशन पर प्लेटफार्मों पर छत डालने और ऊपर के पैदल के पुल के निर्माण के कार्य में और क्या प्रगति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : प्लेटफार्मों पर छत डालने के लिये इस्पात कार्य करने का काम प्रारम्भ किया जा रहा है । ऊपर के पुल के विस्तार के लिये आवश्यक स्टैण्डर्ड स्टील सेक्शन अभी उपलब्ध नहीं हैं । इस कार्य को भी शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

गाड़ियों में सोने के लिये स्थान

†१५५१. डा० क० ब० मेनन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ अप दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रैस के लिये जयपुर और माऊंट आबू के बीच प्रथम श्रेणी के लिये इतने अधिक टिकट जारी कर दिये जाते हैं कि उतनी जगह ही नहीं होती ; और

(ख) यदि हां, तो रात की यात्रा के लिये सोने के लिये स्थान संभरित करने के सम्बन्ध में क्या क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). ये टिकट उपयुक्त किराये पर जारी किये जाते हैं और उपलब्ध स्थान से अधिक संख्या में मांगे जाने पर भी टिकट जारी करने से कोई इन्कार नहीं किया जा सकता । उससे रेलवे की मांग के सम्बन्ध में अनुमान लगा लेती है और यथासंभव मांग के अनुसार अतिरिक्त डिब्बे भी लगा दिये जाते हैं । स्थान के उपलब्ध न होने पर पूरा किराया वापिस कर दिया जाता है ।

जयपुर में भी कभी कभी आबू के लिये ३ अप दिल्ली–अहमदाबाद एक्सप्रैस के लिये प्रथम श्रेणी के उपलब्ध स्थानों से अधिक टिकट जारी कर दिये गये थे और मांग के बढ़ जाने पर मई और जून, १९६० में ६ अवसरों पर जयपुर स्टेशन से अतिरिक्त डिब्बे लगा दिये गये थे ।

स्थान के सम्बन्ध में गारंटी चाहने वाले यात्रियों के लिये रिजर्वेशन की सुविधा विद्यमान हैं । ३ अप दिल्ली–अहमदाबाद एक्सप्रैस से यात्रा करने वाले जयपुर से चढ़ने वाले यात्रियों के लिये ४ प्रथम श्रेणी के स्थान निर्धारित किये गये हैं । कई बार उस कोटे से अधिक सीटें भी रिजर्व करायी जा सकती हैं और पहले आने वाले यात्रियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

बिहार में छोटी सिंचाई योजनायें

†१५५२. श्री श० च० गोडसोरा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये बिहार राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) वर्ष १९६०–६१ के दौरान बिहार सरकार ने कितना धन मांगा है तथा केन्द्र का कितना देने का विचार है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) केन्द्रीय सहायता (ऋणों तथा अनुदानों) के रूप में बिहार को १२५.६२ लाख रुपये देने का विचार किया गया था । इसमें से राज्य सरकार ने ४६.९१ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता ले ली जो कि अधिकांशतः अनुदानों के रूप में दी गई तथा अधिकांश योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता न लेने का निश्चय किया है ।

(ख) आरम्भ में जो १६७ लाख रुपये के कुल व्यय का प्रस्ताव था, उसमें से १३.५७२ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी गई । किन्तु क्योंकि अन्त में यह तय हो गया कि कुल व्यय १६२ लाख रुपये होगा ; अतः केन्द्रीय सहायता के रूप में जो १३०.७२ लाख रुपये दिये जा सकते हैं, वे दे दिये जायेंगे ।

हिमाचल प्रदेश वन विभाग

†१५५३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ के वित्तीय वर्षों में हिमाचल प्रदेश के वन विभाग को निम्नलिखित मदों के लिये कितनी धनराशि नियत की गई ;

(१) सामान्य प्रशासन ;

(२) बस्ती बसाना तथा पुनर्वास ; और

(ख) कितना धन काम में लाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). जो धन नियत किया गया अथवा काम में लाया गया उसका ब्योरा इस प्रकार है :

वर्ष	के लिये आवंटित		उपयोग में लाया गया	
	सामान्य प्रशासन	बस्ती बसाना तथा पुनर्वास	सामान्य प्रशासन	बस्ती बसाना तथा पुनर्वास
१९५६–५७ (१-११-५६ से ३१-३-५७ तक)	६,७२,६१०	७,७४,६८०	६,८०,०२९	७,५६,२७७
१९५७–५८	२०,०७,२७०	१३,७६,७४६	२०,०२,२३५	१३,६६,३१९
१९५८–५९	२१,२८,४६०	१४,९०,२९२	२१,२५,१७६	१४,५३,९९६

कृषि कालेज

†१५५४. श्री सूपकार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २९ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में कितने कृषि कालेज हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य में कृषि कालेजों में कितने विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में ४९ कालेजों में बी० एस० सी० (कृषि) पाठ्यक्रम के लिये विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं । इन कालेजों का राज्यवार विवरण तथा यह दिखाने वाला विवरण कि १९५९ के शैक्षिक वर्ष में प्रत्येक कालेज में कितने भर्ती किये गये, संलग्न किया जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११] । १९६० में किये गये दाखिलों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर विभागीय रूप से भोजन व्यवस्था

†१५५५. श्री सरजू पांडेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों पर विभागीय भोजना व्यवस्था है; और

(ख) कितने स्टेशनों पर गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा भोजन की व्यवस्था की जा रही है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ६ ।

(ख) ३४४ ।

रेलवे कर्मचारियों की पदच्युति

†१५५६. श्री बी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रेलवे सेवा से उत्तर रेलवे के कितने कर्मचारी हटाये गये, पदच्युत किये तथा सेवामुक्त किये गये;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त अवधि में रेलवे सेवा से उत्तर रेलवे की लोको वर्कशाप के कितने कर्मचारी नौकरी से हटाये गये, पदच्युत किये गये तथा सेवामुक्त किये गये;

(ग) उपरोक्त भाग (क) में बताये गये इन मामलों का प्रतिशत मार्च, १९५६ से पूर्व के किसी वर्ष के मुकाबले में कैसा है; और

(घ) यदि प्रतिशतता ऊंची है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

उड़ीसा में टेलीफोनों के कनेक्शन

†१५५७. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमशः वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में उड़ीसा में टेलीफोनों के कितने नये कनेक्शन दिये गये; और

(ख) १९५८–५९ और १९५९–६० में क्रमशः इस सम्बन्ध में कुल कितना व्यय किया गया ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :

(क)	१९५८–५९	१९५९–६०
	६१३	४७८

(ख) टेलीफोन के प्रत्येक कनेक्शन पर कितना व्यय हुआ इसका हिसाब लगाना सम्भव नहीं है किन्तु केवल टेलीफोन लगवाने वालों के घरों आदि में टेलीफोन लगाने पर ही १९५८–५९ में १,१२,७८९ रुपये और १९५९–६० में ८०,६६४ रुपये व्यय हुये ।

मंडी अस्पताल, हिमाचल प्रदेश

१५५८. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "मण्डी अस्पताल, हिमाचल प्रदेश" के अधीन एक दन्त चिकित्सा अस्पताल, दो अस्पताल और एक डी० डी० टी० स्क्वैड स्थापित करने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अस्पताल और उसके उपरोक्त विभाग कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जी हां । एक दन्त चिकित्सा क्लिनिक जोगिन्दर नगर में १९५८–५९ में स्थापित कर दिया गया है । देहर एवं तिहरा में एक-एक एलोपेथिक औषधालय क्रमशः १९५६–५७ और १९५८–५९ में स्थापित किये गये हैं । १९५७–५८ में जिला मुख्यालय में एक डी० डी० टी० स्क्वैड भी स्थापित किया गया है ।

मौलाना आजाद मैडिकल कालेज

१५५९. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौलाना आजाद मैडिकल कालेज के भवन के निर्माण पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भवन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ग) यह भवन कब तक बन जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या सभी विषयों के अध्यापक नियुक्त कर लिये गये हैं;

(ङ) इस वर्ष कितने छात्र प्रविष्ट किये गये हैं; और

(च) इनमें से कितने छात्र दिल्ली के हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) कालेज के मुख्य भवन पर (स्टाफ क्वार्टर तथा छात्रावासों को छोड़कर) लगभग ५० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ख) और (ग). विकृति-विज्ञान-खण्ड का निर्माण कार्य चल रहा है और आशा है कि यह दिसम्बर, १९६० तक पूर्ण हो जायेगा। दूसरे खण्ड, जिसमें शरीर विज्ञान तथा प्रशासकीय विभाग होंगे, का निर्माण कार्य तब प्रारम्भ किया जायेगा जब छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास तैयार हो जायेंगे। आशा है कि ये छात्रावास १९६१ के अन्त तक तैयार हो जायेंगे।

(घ) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के छात्रों के अध्यापन के लिये अपेक्षित लगभग सभी अध्यापकों का चुनाव हो चुका है और उनमें से बहुत से अध्यापकों ने कार्यभार सम्भाल लिया है।

(ङ) बहत्तर।

(च) चव्वन।

सुग्नू बस्ती इम्फाल में अस्पताल

१५६०. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुग्नू बस्ती (इम्फाल) में बीस बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार हो गया है : और

(ख) यदि नहीं तो वह कब तक तैयार हो जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां। अस्पताल का निर्माण मार्च १९६० में पूर्ण हो चुका था और इसे क्षेत्रीय परिषद्, मणिपुर को सौंप दिया गया था।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

स्टेशनों के नाम तथा टिकटों के किराये

†१५६१. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री १० फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सवारी गाड़ी के टिकटों पर अंग्रेजी, हिन्दी व अन्य प्रादेशिक भाषाओं में स्टेशनों तथा उनका किराया छापने के बारे में, जिसपर विचार किया जा रहा था, इस बीच क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : इस बीच यह निर्णय किया गया है कि तृतीय श्रेणी के डाक / एक्सप्रेस तथा साधारण टिकटों पर निम्नलिखित रूप में छापा जाये :—

(१) गाड़ी का दर्जा
(२) प्रस्थान का स्थान
} हिन्दी में और जहां हिन्दी नहीं है प्रादेशिक भाषा में।

†मूल अंग्रेजी में

(३) गन्तव्य स्थान; और किराया } हिन्दी में और जहां हिन्दी नहीं है वहां प्रादेशिक भाषा तथा अंग्रेज़ी में ।

उच्च श्रेणी के टिकटों के सम्बन्ध में, प्रस्थान के तथा गन्तव्य स्टेशन हिन्दी में और जहां हिन्दी नहीं है वहां प्रादेशिक भाषा तथा अंग्रेज़ी में छापे जायेंगे ।

राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम

†१५६२. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री १८ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम के क्षेत्र को बढ़ाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस का ब्यौरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). यह तय किया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल की शेष अवधि में राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम (ग्रामीण) का क्षेत्र एक ही स्रोत से ग्रामों के समूहों को जल की व्यवस्था करने तक सीमित रखा जायेगा और अलग-अलग गांव की योजनायें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के योजनावार बजट के अन्तर्गत अथवा स्थानीय विकास कार्यों के लिये नियत धन के अन्तर्गत ली जायेंगी ।

गंगा-ब्रह्मपुत्र जलमार्ग

†१५६३. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १० फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति की ७०वीं रिपोर्ट में की गई इन सिफारिशों के बारे में, कि गंगा-ब्रह्मपुत्र जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाये, इस बीच निर्णय कर लिया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : नहीं, श्रीमान् । अभी मामले पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ।

आर० एम० एस० पुनर्गठन समिति

†१५६४. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १० फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१ के

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच आर० एम० एस० पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) और (ख). अभी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में बसों तथा ट्रकों के आधुनिक टर्मिनल

†१५६५. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ७ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बसों तथा ट्रकों के आधुनिक टर्मिनल स्थापित करने की योजना पर इस बीच विचार कर लिया गया है तथा उसे तय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). सम्बन्धित लोगों से इस सम्बन्ध में परामर्श किया जा रहा है और यह विषय अभी विचाराधीन है । योजना को अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगेगा ।

टेलीफोन करने के लिये टोकन

†१५६६. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टेलीफोन करने के लिये टोकन बनाने का प्रस्ताव क्या इस बीच वित्त मंत्रालय के परामर्श से तय हो चुका है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : वित्त मंत्रालय के विचार प्राप्त हो गये हैं और उन की जांच की जा रही है ।

सड़क परिवहन सेवा का विस्तार

†१५६७. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६०-६१ में सड़क परिवहन सेवाओं के विस्तार के लिये राज्य सरकारों की योजनाओं की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की योजना का ब्यौरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

क्रमांक	राज्य का नाम	मांगी गई राशि (लाख रु० में)	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)	राज्य द्वारा वर्ष के दौरान जितनी नई मोटर गाड़ियां बढ़ाने का विचार है
१	२	३	४	५
१	आन्ध्र प्रदेश	१.८३	१.८३ बशर्ते कि राज्य सरकार इस राशि को "सड़कों और सड़कों का विकास" के लिये १६७ लाख रु० की अधिकतम राशि में समायोजित कर सकती हो।	उपलब्ध नहीं
२	आसाम .	१६.०४	कोई व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि राज्य सरकार ने सड़क परिवहन निगम की स्थापना नहीं की है।	२८
३	बिहार .	२०.००	१७.००	उपलब्ध नहीं
४	बम्बई .	१०७.००	८७.४७	१५३
५	जम्मू तथा काश्मीर .	..	..	..
६	मद्रास .	..	..	..
७	मैसूर .	२१०.८७	५०.००	२५४
८	उड़ीसा .	..	..	..
९	पंजाब			
	(एक) पेप्सू सड़क परिवहन निगम	८.६९	८.६९	२८
	(दो) विभागीय रूप से चलाई जाने वाली सेवाओं के लिये।	४३.४०	कोई व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि राज्य सरकार द्वारा सड़क परिवहन निगम की स्थापना नहीं की है	उपलब्ध नहीं
१०	राजस्थान .	..	..	..
११	उत्तर प्रदेश .	..		..
१२	पश्चिम बंगाल .	३८.४१	२४.००	उपलब्ध नहीं

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३	४	५
	संघ राज्य क्षेत्र			
१	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	०.६५	०.४१	१
२	हिमाचल प्रदेश .	१५.६७	१५.६७	३७
३	मनीपुर .	१०.२१	७.५०	८

नोट : स्तम्भ ४ में दिये गये आंकड़े उस राशि के द्योतक हैं जिसे राज्यों की योजना में शामिल करना मंजूर किया गया है किन्तु इस में वह राशि शामिल नहीं है जो रेलवे मंत्रालय ने राज्य सड़क परिवहन निगमों की, जहां जहां उन की स्थापना हो चुकी है, पूंजी में योगदान के रूप में दी है।

रेल-सड़क परिवहन में तालमेल

†१५६८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवहन के विभिन्न प्रकार के तरीकों, विशेषतः रेल और सड़क परिवहन में तालमेल के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) भविष्य में और अधिक तालमेल के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). देश की विकसित अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, परिवहन के विभिन्न प्रकार के तरीकों, विशेषतः रेल और सड़क परिवहन के तालमेल और भविष्य में उनके विकास सम्बन्धी समस्याओं पर योजना आयोग द्वारा जुलाई, १९५९ में श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी परिवहन नीति और समन्वय सम्बन्धी समिति विचार कर रही है। नियोगी समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उस रिपोर्ट के आधार पर, विभिन्न प्रकार के परिवहन के तरीकों में और अधिक तालमेल लाने के लिये आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

ब्रह्मणी नदी पर पुल

†१५६९. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १३ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में धर्मशाला के निकट राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ पर ब्रह्मणी नदी के ऊपर पुल के निर्माण सम्बन्धी टैंडरों की इस बीच छानबीन की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माणकार्य शुरू करने के लिये कितना धन दिया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†परिहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) उड़ीसा के लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी टैंडरों की छानबीन की जा रही है। अभी तक वे मंत्रालय के पास नहीं पहुंचे।

(ख) ब्रह्मणी नदी पर पुल बनाने जैसे कार्यों पर व्यय करने के लिये राष्ट्रीय राजपथ नामक मद के अन्तर्गत उड़ीसा मंडल के लिये पर्याप्त राशि निर्धारित की गयी है।

ग्राम्य ऋण

†१५७०. { श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री रामी रेड्डी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियों के माध्यम से कितना कृषि-ऋण उपलब्ध हो सकता था;

(ख) क्या १९५९-६० और १९६०-६१ के लिये सहकारी समितियों द्वारा कृषि ऋण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो वह लक्ष्य क्या था ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) १९५९-६० में सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध किये गये कुल ऋण के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सहकार-वर्ष अभी ३० जून, १९६० को समाप्त हुआ है और गांवों से लेकर ऊपर तक आंकड़े एकत्र करने में कुछ समय लगेगा। तदापि १९५९-६० के पुनरीक्षित प्राक्कलनों (राज्य वार) के बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२]।

(ख) और (ग). दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक वर्ष के लिये अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। योजना में १९६०-६१ के दौरान अल्प अवधि और दर्मियानी अवधि के ऋणों के लिये २०० करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

१५७१. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की १९५९ में जो तीन बैठकें हुई थीं उनमें की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३]

दिल्ली में हुमायू के मकबरे के निकट सड़क-पुल

१५७२. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के निकट यमुना पर एक सड़क पुल के निर्माण की इस समय क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : पुल के लिए जगह का चुनाव किया जा चुका है । केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग द्वारा मंगाये गये टेण्डर प्राप्त हो चुके हैं और इन की जांच निर्माण सलाहकार समिति (वर्क्स एड्वाइज़री बोर्ड) द्वारा की जा रही है । इन टेण्डरों के जल्दी तय किये जाने और बरसात के बाद ही काम शुरू कर दिये जाने की पूरी सम्भावना है ।

दिल्ली में फसलों को क्षति

१५७३. श्री नवल प्रभाकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के किसान इस बारे में बड़े चिन्तित हैं कि उनके खेतों में 'पोहली' नामक पौधे निकल आते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस पौधे के कारण उनकी ५ से १० प्रतिशत तक फसल नष्ट हो जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का व्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां । यह घासपात (वीड) रबी फसलों को खेती के लिये बहुत खतरनाक है ।

(ख) केवल 'पोहली' घासपात के कारण फसल की उपज की कमी का पता नहीं लगाया गया है, लेकिन ५ से १० प्रतिशत का नुकसान होने का अनुमान गलत नहीं हो सकता है ।

(ग) (१) दिल्ली प्रशासन और भारतीय कृषि अनुसन्धानशाला ने बहुत से प्रदर्शनों का प्रबन्ध करके बताया है कि इस घासपात को कम खर्चे पर एक केमिकल वीडी किलर (२,४–डी) से अच्छी प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है ।

(२) दिल्ली प्रशासन इस केमिकल वीड किलर को किसानों को ५० प्रतिशत कीमत पर और वनस्पति रक्षा संगरोध और संचयन निदेशालय, नई दिल्ली इसको पूरी कीमत पर बेचता है । दिल्ली प्रशासन किसानों को स्प्रेइंग मशीनें भी मुफ्त में कार्य करने को देता है और वनस्पति रक्षा, संगरोध और संचयन निदेशालय इनको किराये के नियत दरों पर देता है ।

बाढ़ के कारण पाकिस्तान को बह जाने वाले लकड़ी के रेलवे स्लीपर

†१५७४. { श्री आसर :
श्री पहाड़िया :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू से बीस मील दूर अखनूर के निकट चनाब नदी में पानी के तेज़ प्रवाह से अभी हाल ही में लकड़ी के दस हज़ार स्लीपर पाकिस्तान को बह गये;

(ख) यदि हां, तो इससे कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) ये स्लीपर किन व्यापारियों के थे ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) चनाब नदी में बाढ़ आने से अभी हाल में लकड़ी के स्लीपरों के किसी नुक्सान के सम्बन्ध में जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सरकार से कोई रिपोर्ट नहीं मिली ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में वन

१५७५. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के निजी वनों में इस समय कितने ठेकेदार काम कर रहे हैं;

(ख) सरकारी और निजी वनों के मूल्यों में कितना अन्तर है; और

(ग) यदि कोई ठेकेदार निजी बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि वन के मालिक को नहीं देता है तो उसके लिये सरकार ने क्या उपाय निकाला है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) एक सौ।

(ख) अन्तर का निश्चय करना मुमकिन नहीं है क्योंकि प्राप्त दरें वन-वन के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं।

(ग) ऐसे मामले में जब कि वन के मालिक निजी तौर पर वन को ठेकेदार को बिक्री करें, तो सरकार के लिये यह मुमकिन नहीं है कि वह ठेकेदार को पूरी बिक्री को देने के लिये मजबूर कर सके। यह मालिक का काम है कि वह अपनी रकम को अपने और ठेकेदार के साथ हुए करार के आधार पर, यदि आवश्यकता पड़े तो कानूनी कार्यवाही करके वसूल करे।

पंजाब में सड़कें

†१५७६. श्री डी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से १९६०–६१ में राज्य में सड़कों के विकास के लिये वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक लगभग ४९ लाख रु० सहायतानुदान के रूप में स्वीकार किया गया है।

बिहार में अनाज की बिक्री

१५७७. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के और खासकर उत्तर बिहार के अभावग्रस्त क्षेत्रों में सस्ती दरों पर अनाज बेचने के लिये १९५१ से ३१ मार्च, १९६० के बीच सहायता के तौर पर सरकार ने कितनी धन-राशि खर्च की;

(ख) सरकारी दुकानों पर सस्ती दरों से अनाज बेचने के लिये केवल केन्द्रीय सरकार को या राज्य सरकार को भी सहायता देनी होती है; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने किस अनुपात में सहायता दी है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन में प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) और (ग). कुछ निर्धारित सीमा के आगे निःशुल्क सहायता, जिसमें अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों की रियायती दर पर बिक्री भी सम्मिलित है, पर किया गया खर्च, भारत सरकार और राज्य सरकार में बांटा जाता है। २ करोड़ रुपये तक हुये खर्च में केन्द्र का हिस्सा ५० प्रतिशत और इससे अधिक खर्च होने पर ७५ प्रतिशत होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन क्षेत्रों में जो अभावग्रस्त नहीं है भारत सरकार सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा वितरित खाद्यान्नों पर बिहार सरकार को कोई विशेष सहायता नहीं दे रही है । बिहार सरकार स्वयं इन क्षेत्रों में गेहूं, ज्वार और चने की बिक्री पर सहायता दे रही है ।

राज्यों के सहकार मंत्रियों का सम्मेलन

†१५७८. श्री राम रेड्डी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री हेम बरुआ :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में अभी हाल ही में राज्यों के सहकार मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) इस सम्मेलन में किन किन बातों पर विचार किया गया; और

(ग) इनके सम्बन्ध में क्या निश्चय किये गये ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी हां । १४ जून, १९६० को श्रीनगर में राज्यों के सहकार मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ ।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया :—

(एक) सहकारी ऋण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ।

(दो) सहकारी खेती सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट ।

(तीन) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास की स्थूल रूपरेखा ।

(चार) सहकारिता विधि और प्रक्रिया को सरल बनाना ।

(पांच) सहकारिता सम्बन्धी शिक्षा और प्रशिक्षण ।

(ग) सम्मेलन की सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४] ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली

†१५७९. श्री पांगरकर : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में सफाई सम्बन्धी स्थिति का सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : विलिंगडन अस्पताल को हमेशा जहां तक हो सके साफ रखा जाता है । इसलिये सफाई सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई दिल्ली में गैर-सरकारी इमारतों के लिये बिजली

१५८०. श्री नवल प्रभाकर : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पर गैर-सरकारी इमारतों के मालिकों को उन इमारतों में इस्तेमाल के लिये स्वयं बिजली पैदा करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कितने इमारतों के लिये यह मंजूरी दी गई है; और

(ग) इन इमारतों में कितने यूनिट बिजली तैयार की जाती है ?

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम १९५७ (१९५७ का ६६) की धारा २३२ के अधीन पार्लियामेंट स्ट्रीट के निम्नलिखित दो भवनों के मालिकों को निजी खपत के लिये बिजली पैदा करने की इजाजत दे दी है।

भवन का नाम	उत्पादित बिजली (यूनिटों में)
(१) आकाशवाणी भवन . . .	४९५.५५ (१९५९)
(२) दी यूनाइटेड कर्मशियल बैंक लिमिटेड . . .	१,८०,४२० (१५-१-६० से ३०-६-६०)

दिल्ली में बीजों का वितरण

१५८१. श्री नवल प्रभाकर : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में दिल्ली के प्रत्येक विकास खण्ड में बढ़िया किस्म के बीजों का कितनी मात्रा में वितरण किया गया; और

(ख) इन में सब्जियों और अनाज के बीजों की अलग-अलग मात्रा क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). १९५९-६० में दिल्ली के विभिन्न विकास खण्डों में वितरित बढ़िया किस्म के बीजों की मात्राएं निम्न प्रकार थीं :—

मात्रा मनों में

खण्ड	अनाज	सब्जियों के बीज	दूसरे बीज	योग
१. नजफगढ़ .	४,८५१	२	२४६	५,०९९
२. अलीपुर	४,४०८	४२६	४४	४,८७८
३. महरौली .	१,८३९	१०२	९६४	२,९०५
४. कंझावला .	२,४२१	३६	४,०३८	६,४९५
५. शाहदरा . . .	२,५८२	१४	८	२,६०४
योग	१६,१०१	५८०	५,३००	२१,९८१

दिल्ली के विकास खंडों में खाद तथा उर्वरक का वितरण

१५८२. श्री नवल प्रभाकर : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में खण्ड विकास पदाधिकारियों ने दिल्ली के प्रत्येक खण्ड में कितनी प्राकृतिक खाद, हरी खाद तथा रासायनिक खाद बांटी है; और

(ख) क्या यह उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिये पर्याप्त थी ?

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिकविकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) पांच खण्डों में से प्रत्येक को वितरित मात्राएं :—

आंकड़े मनों में

मद	नजफगढ़ खण्ड	अलीपुर खण्ड	महरौली खण्ड	कंझावला खण्ड	शाहदरा खण्ड	योग स्तम्भ २ से ६
१	२	३	४	५	६	७
(१) कम्पोस्ट खाद .	४५३,३२२	५३१,३३४	८६,४१८	१६३,५१०	४८६,३४८	१७२६,९३२
(२) हरी खाद के बीज . .	२६८	५१६	११०	३५७	११	१,२६२
(३) रासायनिक उर्वरक :						
(१) अमोनियम सल्फेट .	१७,७८२	७,६५१	७२६	१०,०२२	३,०५९	३९,२४०
(२) सुपर फॉसफेट .	१,२९१	२३१	१३४	१५३	६०	१,८६९
(३) अन्य . .	४४८	१,१५५	१४८	१,०३४	१३	२,७९८
योग (१ से ३) . . .	१९,५२१	९,०३७	१,००८	११,२०९	३,१३२	४३,९०७

(ख) जी नहीं।

दिल्ली में पशुओं को टीका लगाना

१५८३. श्री नवल प्रभाकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में दिल्ली के ग्राम्य क्षेत्रों में कितने पशुओं को रिंडरपेस्ट का टीका लगाया गया; और

(ख) उससे हुये लाभ का व्यौरा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) ८२,६३९ ।

(ख) वे ढोर जिन्हें टीका लगाया गया है, इस रोग से प्रतिरक्षित हो गये हैं और यह प्रतिरक्षितपन आम तौर पर पशु के जीवन समय तक बना रहता है । सन् १९५८–५९ में रिंडरपेस्ट इरेडिकेशन स्कीम के अन्तर्गत कार्य आरम्भ करने से पूव, रिंडरपेस्ट का रोग १३ बार फैला था, इसकी तुलना में १९५९–६० में एक बार भी नहीं हुआ । इस रोग की अनुपस्थिति ने ढोर-स्वामियों की कृषि के कार्यों, दूध उत्पादन इत्यादि में सहायता की है ।

दिल्ली में गोशाला विकास योजना

१५८४. श्री नवल प्रभाकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में गोशाला विकास योजना के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) कितनी गोशालाओं का विकास किया गया; और

(ग) किस प्रकार का विकास कार्य किया गया ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) (१) दिल्ली में ४ गोशालाओं को रजिस्टर्ड किया गया है और उनको दिल्ली गोशाला संघ के नाम से एक फैडरेशन में एकीकृत कर दिया गया है ।

(२) गोशालाओं को निम्न कार्यों के लिये वित्तीय सहायता दी गई है :—

(क) सुधरी नसल की गाय और सांडों को खरीदना ।

(ख) उत्पादित पशुओं के समूह की देखभाल पर अधिक व्यय करना ।

(ग) उन्नतशील बछड़ों के पालने के लिये राजकीय सहायता देना ।

(घ) भवनों के निर्माण में बढ़ोतरी और तब्दीली करना ।

(३) इस योजना को देखने के लिये एक पशु-चिकित्सा सहायक सर्जन की नियुक्ति कर दी गई है ।

(ख) दो ।

(ग) (१) पुराने और अनुत्पादित ढोरों का पृथक्करण ।

(२) छूत के रोगों से ढोरों की रक्षा करना ।

(३) वैज्ञानिक ढंग से ढोरों का प्रजनन और भोजन देना ।

(४) जनता को दूध का उत्पादन और वितरण ।

(५) प्रजनन के लिये सरकार और अन्य को अच्छे सांडों की बिक्री ।

दिल्ली में उद्यान विद्या का प्रशिक्षण

१५८५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में उद्यान लगाने का प्रशिक्षण देने की एक योजना तैयार की की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र कहां खोला जायेगा ?

कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) आजादपुर गांव के पास याकूतपुर नर्सरी में यह प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है ।

इर्विन अस्पताल, दिल्ली में कोबाल्ट संयंत्र

†१५८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री २८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के इर्विन अस्पताल में कैंसर के रोगियों का इलाज करने के लिये कोबाल्ट संयंत्र लगाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब चालू हो जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). इर्विन अस्पताल में कोबाल्ट किरणों द्वारा चिकित्सा करने के यूनिट की सप्लाई का कार्यक्रम १९६०–६१ के लिये कोलम्बो योजना के अन्तर्गत पूंजी-सहायता कार्यक्रम में शामिल करने का विचार है । संयंत्र के प्राप्त होने के पश्चात् ही इस संयंत्र को चालू किया जा सकता है ।

'कोस्टस' नामक जड़ी

†१५८७. **श्री आसर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हिमालय पर्वत-मालाओं में 'कोस्टस' नामक एक जड़ी पायी जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि इस जड़ी का बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों को निर्यात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसका निर्यात किन देशों को होता है और उसका कुल मूल्य कितना है ;

(घ) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि इसका उपयोग कौनसी औषधि में होता है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कौन सी औषधि है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां । 'कोस्टस' जड़ी उत्तरी हिमालय की नमदार ढलानों पर ८००० फुट से १३००० फुट की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है ।

(ख) और (ग). भारत के पुनरीक्षित व्यापार वर्गीकरण में 'कोस्टस' जड़ी को अलग से नहीं दिखाया जाता इसलिये इस के निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत इस के निर्यात पर कोई नियंत्रण नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) से (ङ). इस जड़ी में १ · ५ प्रतिशत उड़नशील तेल और सासुरिन (Saussurine) तथा ० · ०५ प्रतिशत अल्कलायड (alkaloid) होता है । देशी चिकित्सा प्रणाली में इस जड़ी को कामवर्धक तथा शक्तिवर्धक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है । यह समझा जाता है कि इस जड़ी में एन्टी-स्पैसमोडिक ब्रोन्को-डाइलेटर और एक्सपेक्टोरन्ट एक्शन (anti-spasmodic broncho-dilator and expectorant action) है इसलिये इस का प्रयोग कफ और श्वास रोगों (Bronchial asthma) के उपचार के लिये किया जाता है ।

समस्तीपुर-नरकटियागंज बड़ी लाइन

१५८८. श्री विभूति मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समस्तीपुर (बिहार) से नरकटियागंज तक बड़ी लाइन बढ़ाने के लिये कोई योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में सिंचाई की दमियाने दर्जे की परियोजनायें

†१५८९. श्री आसर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में १९६०-६१ में मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिय कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई है और कितनी सहायता देने का विचार है ; और

(ख) किन परियोजनाओं के लिये मंजूरी दी गई है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) महाराष्ट्र की सरकार से १९६०-६१ में सिंचाई की दमियाने दर्जे की परियोजनाओं के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ;

मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण (१) विविध विकास योजनाओं और (२) कमी वाले क्षेत्रों के स्थायी सुधार के कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है । १९६०-६१ के लिये महाराष्ट्र राज्य की दमियाने दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के लिये कोई रकम निर्धारित नहीं की गई ।

(ख) १९६०-६१ के लिये दमियाने दर्जे की मंजूरशुदा सिंचाई परियोजनाओं की सूची संलग्न की जाती है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५] ।

देशी चिकित्सा प्रणाली

†१५९०. श्री केशव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में जो दिल्ली में प्रतिरक्षा मंत्रालय के असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों पर लागू होती है, देशी चिकित्सा प्रणाली से भी इलाज किया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली और नई दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी गई चिकित्सा सुविधायें, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा) नियमों, १९४४ के अन्तर्गत, सामान्य रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये निर्धारित स्वरूप के अनुसार होती हैं । इन नियमों के अधीन केवल आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को ही केन्द्रीय सरकार ने मान्यता दी है । सी० एच० एस० योजना के बारे में, निश्चित प्रणाली से भिन्न प्रक्रिया संभव नहीं है जब तक कि सब सरकारी कर्मचारियों के बारे में सामान्य रूप से आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा प्रणालियों द्वारा इलाज का सिद्धान्त स्वीकार न कर लिया जाय और केन्द्रीय सेवाओं (चिकित्सा) नियमों में तदनुसार संशोधन न कर दिया जाय ।

गौहाटी-शिलांग सड़क

†१५९१. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने गौहाटी-शिलांग सड़क को चौड़ा करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस काम का उपबन्ध संशोधित दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया है । १५ लाख रुपये के उपबन्ध में से अभी तक १२·४० लाख रुपये मंजूर किये जा चुके हैं ।

लद्दाख में पवन से बिजली

†१५९२. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में अति प्रवेग पवनों के द्वारा बिजली तैयार करने और पानी निकालने का प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है और उस में कितनी प्रगति की गई है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :(क) और (ख). चुमूल में पवनचक्कियों की स्थापना का प्रस्ताव राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला बंगलौर में, जम्मू तथा काश्मीर के व्यापार आयुक्त से प्राप्त हुआ था । प्रयोगशाला ने हाल ही में एक अप्राधिकारी को उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने तथा पवन के प्रवेगों सम्बन्धी सांख्यिकी एकत्रित करने के लिये भेजा है । इस काम के लिये अभी कोई निश्चित योजना तैयार नहीं हुई है ।

कुर्नूल में मेडिकल कालेज

†१५९३. श्री राम रेड्डी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुर्नूल (आन्ध्र प्रदेश) में मेडिकल कालेज में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश ने श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय की मंजूरी से मैडिकल कालिज, कुर्नूल में, प्राक्-व्यवास पाठ्यक्रम (चिकित्सा) में १९५९-६० और १९६०-६१ में क्रमश: ५० से ७५ और ७५ से १०० तक संख्या बढ़ा दी है। भारत सरकार ने १९५९-६० और १९६०-६१ में कुर्नूल में मैडिकल कालेज के विस्तार के लिये राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

मंडी–कुल्लू सड़क

†१५९४. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडी-कुल्लू सड़क को, विशेष कर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान सड़क का भाग पंदोह बांध के बनने के कारण जल में डूब जायगा, मिलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का व्यौरा क्या है और यह कब आरंभ किया जायगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मंडी और कुल्लूको मिलाने वाली एक मोटर चलने योग्य सड़क विद्यमान है। भारत सरकार को पंदोह बांध बनने पर वर्तमान सड़क के जल में डूब जाने की स्थिति में मंडी और कुल्लू के बीच दूसरी सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बिना टिकट यात्रा

†१५९५. { श्री अनिरुद्ध गुप्त :
श्री च० क० भट्टाचार्य :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कितने बिना टिकट यात्री पकड़े गये ;

(ख) इस अवधि में उन से कितनी राशि वसूल हुई ; और

(ग) इसी अवधि में टिकट परीक्षकों और टिकट कलक्टरों पर कितनी राशि खर्च की गई ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ९० लाख।

(ख) १·८२ करोड़ रुपये।

(ग) ३·१० करोड़ रुपये।

लुधियाना में टेलीफोन

†१५९६. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुधियाना शहर में टेलीफोन की कितनी अर्जियां लंबित हैं ; और

(ख) टेलीफोन शीघ्रतापूर्वक देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) ११५५।

(ख) अधिक ऐक्सचेंज क्षमता का प्रबन्ध करने के लिये कार्रवाई की जा रही है और इस के उपलब्ध होते ही अधिक टेलीफोन दे दिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

नर्मदा की बिजली पैदा करने की क्षमता

†१५९७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी की विद्युत् क्षमता का अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) नदी की विद्युत् क्षमता का अनुमान ६० प्रतिशत लोड फैक्टर पर २० लाख किलोवाट लगाया गया है ।

आण्विक जहाजों का नौपरिवहन

†१५९८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आण्विक जहाजों के नौपरिवहन के लिये अफसरों और नाविकों को प्रशिक्षण देने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कुछ समुद्र तटवर्ती देश वाणिज्य देशों में जहाज चलाने के लिये नाभिकीय शक्ति का उपयोग करने की व्यवहारिक संभावना के विषय में प्रयोग कर रहे हैं । हमारी विकास की वर्तमान स्थिति में, आर्थिक या वाणिज्यिक आधार पर नाभिकीय शक्ति से चलने वाले जहाजों को महत्व प्राप्त करने में कई वर्ष लगेंगे । सरकार वाणिज्य नौवहन सम्बन्धी विकास को देख रही है और आण्विक जहाजों के नौपरिवहन के लिये जब आवश्यक समझा जायगा, अफसरों और नाविकों को प्रशिक्षण देने के लिये कार्रवाई की जायगी ।

रेलवे पर कुत्तों के दल

†१५९९. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पर अपराधों का पता लगाने में कुत्तों के दल लगाने की प्रणाली सफल सिद्ध हुई है ;

(ख) १९५९–६० में मंडलवार कितनी बार कुत्तों का दल उपयोग में लाया गया और उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) प्रति मास या प्रति वर्ष इन दलों पर मंडल वार कितना आवर्तक और अनावर्तक व्यय हुआ ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस समय केवल दक्षिण रेलवे पर कुत्तों का दल लगाया गया है और अपराधों को ढूंढने तथा रेलवे यार्डों में अपराधों को रोकने में इनका कार्य संतोषजनक रहा है ।

(ख) ढूंढने के काम के लिए दक्षिण रेलवे पर कुत्तों का दल १९५९–६० में १६ बार लगाया गया था । अधिकांश मामलों में कुते रहस्यों का पता लगाने में सफल रहे हैं जिन्हें बाद में पुलिस ने सफलता पूर्वक संभाल लिया ।

(ग) दक्षिण रेलवे द्वारा १९५९–६० में ३०० रुपये अनावर्तक तथा ८२०० रुपये आवर्तक व्यय किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूपाल में स्विचगियर विकास तथा टेस्टिंग प्रयोगशाला

†१६००. श्री प्र० के० देव : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार भोपाल में स्विचगियर विकास और टैस्टिंग प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आएगी ; और

(ग) भोपाल में लगाने के क्या कारण हैं ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) २०० लाख रुपये ।

(ग) वहां पर भारी बिजली संयंत्र फैक्टरी के निर्माण कार्य के लिये पहले से उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने के लिये यह वहां स्थापित की जाएगी ।

शिलांग में प्राकृतिक चिकित्सालय[1]

†१६०१. श्री प्र० के० देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग में एक प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जा रहा है ;

(ख) उस में किन बीमारियों का इलाज होगा ;

(ग) क्या देश के अन्य स्थानों में भी ऐसे चिकित्सालय खोले जायेंगे ; और

(घ) शिलांग में यह चिकित्सालय खोलने के क्या कारण हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारत सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है क्योंकि चिकित्सालय खोलने का फैसला करना राज्य सरकार का काम है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

औषध तथा चामत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन अधिनियम

†१६०२. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या स्वास्थ्य मंत्री १ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औषध तथा चामत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन अधिनियम की धारा ३ और ८ के संशोधन के बारे में और क्या क्या प्रगति हो चुकी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : औषध तथा चामत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन अधिनियम की धारा ३ और ८ में संशोधन करने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

कटिहार के समीप गाड़ी का पटरी से उतरना

†१६०३. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ४ जून, १९६० को एक माल गाड़ी कटिहार के पास पटरी से उतर गई ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था, और इस से कितनी हानि हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Nature cure clinic.

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) २ जून, १९६० को (४ जून १९६० को नहीं) जब ७०३ अप माल गाड़ी उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के कटिहार–सिलीगुरो सैक्शन सोनैली तथा झौआ स्टेशनों के बीच जा रही थी गाड़ी के ९ वैगन पटरी से उतर गये ।

(ख) दुर्घटना का कारण मशीनी उपकरण का फेल हो जाना है । रेलवे सम्पत्ति को १७०० रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है ।

बी० आर० सिंह अस्पताल, सियालदह डिवीजन

†१६०४. श्री सुबिमन घोष : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीज़न में बी० आर० सिंह अस्पताल में कितने बिस्तरे, डाक्टर (श्रेणीवार), कम्पाउंडर, नर्सें और अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत बार बहुत से बिस्तर खाली पड़े रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) बिस्तरों और अन्य मैडिकल कर्मचारियों की संख्या नीचे दी जाती है :

१.	बिस्तरों की संख्या (१-६-६० को)	२४५
२.	डिवीज़नल मैडिकल अफसर	२
३.	असिसटेंट मैडिकल अफसर	२
४.	असिसटेंट सर्जन	१३
५.	लेडी असिसटेंट सर्जन	४
६.	असिसटेंट सर्जन (विशेषज्ञ)	५
७.	डेंटल सजन (पूरे समय के लिये)	१
८.	डेंटल सर्जन (कुछ समय के लिये)	१
९.	अवैतनिक सलाहकार	३
१०.	मैट्रन	१
११.	सिस्टर इन चार्ज	२
१२.	वरिष्ठ नर्सें	१८
१३.	कनिष्ठ नर्सें	२८
१४.	हैल्थ विज़ीटर (क्षय रोग प्रशिक्षित)	१
१५.	डिस्पैंसर	९
१६.	एक्सरे टैक्निशन	१
१७.	लैबोरेट्री असिसटेंट	३
१८.	ड्रैसर	७
१९.	स्टोर कीपर	१
२०.	कैमिस्ट ऐंड असिसटेंट कैमिस्ट	२
२१.	कल्चर असिसटेंट	१
२२.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	१७०

(ख) जी, नहीं । पिछले चार महीनों में औसत रोगियों की १०३ प्रतिशत थी ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की बिक्री

†१६०५. श्री सुबिमन घोष : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम ने १९५९–६० में कितने किलोवाट बिजली बेची ;

(ख) किन बिजली घरों से, पृथक् पृथक्;

(ग) इस बिक्री से कितनी आय हुई ; और

(घ) १९५९–६० में इन बिजली करों का कितना खर्च आया ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १३११९.१० लाख किलोवाट ।

(ख) दामोदर घाटी निगम की बिजली प्रणाली अन्तर्सम्बद्ध प्रणाली के आधार पर चलाई जा रही है। इसलिये प्रत्येक बिजली घर से बेची गई बिजली की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ग) ६,१६,०४,००० रुपये ।

(घ) ४,५३,२३,००० रुपये ।

हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन का विकास

†१६०६. श्री दलजीत सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्यपालन के विकास के लिये पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में हिमाचल प्रदेश को कितनी राशि आवंटित की गई थी ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : हिमाचल प्रदेश को मत्स्यपालन विकास के लिये पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह राशि आवंटित की गई थी :

पहली पंचवर्षीय योजना . . .	१.५ लाख रुपये
दूसरी पंचवर्षीय योजना . . .	२ लाख रुपये

टेलेक्स संचार प्रणाली

†१६०७. श्री कालिका सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९ जून, १९६० को बम्बई और लन्दन के बीच उद्घाटन की गई टेलेक्स संचार प्रणाली का नई दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास तक भी विस्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कब विस्तार किये जाने की संभावना है ;

(ग) समुद्रपार ट्रंकों और तारों की अपेक्षा टेलेक्स संचार के क्या लाभ हैं ; और

(घ) इस प्रणाली का संसार के किन देशों में विस्तार किये जाने की संभावना है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) और (ख). जी, हां । आशा की जाती है कि टेलेक्स संचार का नई दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास तक १९६१–६२ तक विस्तार किया जाएगा, अर्थात् जब तक इन स्थानों पर टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित होने की संभावना है ।

(ग) समुद्रपार तारों के मुकाबले में, अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स प्रणाली में यह सुविधा है कि इसके द्वारा भेजने वाले के दफ्तर में टेलीप्रिंटर मशीन के साधन से, संदेश सीधा पाने वाले के पते पर

†मूल अंग्रेजी में

पहुंच जाता है । यदि टेलेक्स का अधिकतम क्षमता तक उपयोग किया जाए तो इस से सामान्य तार द्वारा भेजे गये इसी प्रकार के संदेश के व्यय में दो तिहाई की बचत हो सकती है ।

समुद्रपार टेलीफून की तुलना में इस में यह सुविधा है कि इस के द्वारा भेजे गये संदेशों का छपा हुआ अभिलेख भी रह जाता है, जिस में अपरिचित विदेशी ध्वनियों के कारण होने वाली अस्पष्टता नहीं होती । यदि इसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं होता, तो उस व्यक्ति की मशीन आने वाले संदेश को स्वयमेव प्राप्त कर लेती है ।

(घ) टेलेक्स सेवा का ब्रिटेन के अतिरिक्त १६ देशों, अर्थात् आस्ट्रेलिया, बेलजियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी (फेड्रल रिपब्लिक), ग्रीस, हंगरी, आयर गणतंत्र, इटली, लुगजम वर्ग, नीदरलैंड, नार्वे, स्पेन, स्विटजरलैंड और रूस में विस्तार किया जा चुका है । कुछ अन्य देशों को विस्तार करने का मामला विचाराधीन है ।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये खादी के कपड़े

†१६०८. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले उन बच्चों के लिये, जिनके माता पिता कम आय वाले कर्मचारी हैं, कपड़े बनाने के लिये केवल खादी का प्रयोग करने के बारे में हिदायतें दी गई हैं ;

(ख) क्या यह कपड़ा मुफ्त दिया जाएगा ;

(ग) क्या उन कम आय वाले रेलवे कर्मचारियों के लिये भी ऐसी योजना बनाने का विचार है, जो ऐसे स्थानों पर लगे हुए हैं जहां रेलवे के प्राइमरी स्कूल नहीं हैं और जिनके बच्चे रेलवे से भिन्न प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं ; और

(घ) इस योजना पर कितनी लागत का अनुमान है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्दियां उन रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को मुफ्त दी जाती हैं, जिनका वेतन मंहगाई वेतन समेत २०० रुपये मासिक से कम होता है, और बच्चे रेलवे के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं । जिन कर्मचारियों का वेतन तथा मंहगाई वेतन २०० रुपये मासिक और अधिक है और जो रेलवे कर्मचारी नहीं हैं, उन्हें रेलवे के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले अपने बच्चों के लिये वर्दियां अपने पास से देनी पड़ती हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) लगभग ८ लाख रुपये वार्षिक ।

मद्रास में चीनी की मिलें

†१६०९. श्री सै० अ० मेहदी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी से अगस्त १९६० के बीच की अवधि में मद्रास राज्य में एक चीनी मिल खोलने के लिये कोई नया लाइसेंस दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस को और उस मिल की क्षमता कितनी होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). जनवरी, १९६० से, सरकार ने मद्रास राज्य में तीन नई चीनी मीलों की स्थापना के लिये लाइसेंस दिये हैं :—

पार्टी का नाम	फैक्टरी स्थापित करने का स्थान	गन्ना पेरने की दैनिक क्षमता (टनों में)
१. मैसर्स कोठारी ऐंड संज़, ओरिएंटल बिल्डिंग्ज़, पी० बी० २६७, आर्मेनियन स्ट्रीट, मद्रास ।	तेहसील लालगुडी जिला त्रिची ।	१२५०
२. मैसर्स सुन्दरराजन ऐंड कंपनी लिमिटेड, २२१, गोविन्दघा, नैक्क स्ट्रीट, मद्रास ।	तेहसील पेन्नाडाम, जिला दक्षिण अर्काट ।	१२५०
३. श्री सी० सुब्रामानयम चीफ प्रोमोटरनायाक्कल सहकारी चीनी मिल सीमित "गणपति विलास" पालापट्टी डाकघर, जिला सेलम ।	तेहसील नायाक्कल जिला सेलम	१२५०

सरकारी कर्मचारियों की आम हड़ताल

†१६१०. श्री रंगारणि : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६० में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आम हड़ताल में डाक, तार, टेलीफोन और असैनिक उड्डयन के कितने कर्मचारियों ने भाग लिया;

(ख) हड़ताल की स्थिति को संभालने के लिये कितने नये लोग भर्ती किये गये;

(ग) उन नये कर्मचारियों पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) मंत्रालय ने हड़ताल का सामना करने के लिये कुल कितना अतिरिक्त व्यय किया ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) ८६,८३८ ।

(ख) २४,२९३ ।

(ग) लगभग ५,५३,६३७ रुपये ।

(घ) लगभग १२,८६,००० रुपये (केवल डाक, तार, टेलीफोन और असैनिक उड्डयन द्वारा)।

हड़तालियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

†१६११. { श्री रंगारणि :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री दा० कृ० गायकवाड़ :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६० में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सामान्य हड़ताल में भाग लेने के लिये डाक और तार, टेलीफोन, असैनिक उड्डयन तथा मंत्रालय के अन्य विभागों में कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) कितने कर्मचारी राज्यवार (१) बर्खास्त, (२) हटाये गये या (३) मुअत्तल किये गये ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन): (क) अभी तक २०१७ कर्मचारियों के विरुद्ध अन्तिम कार्रवाई की जा चुकी है।

(ख) (१) दंड मिलने पर बर्खास्त हटाये गये/निकाले गये . ७३२

(२) विभागीय कार्यवाई के पश्चात् बर्खास्त/हटाये गये/निकाले गये ८८

(३) बर्खास्त हटाया जाना/निकाले जाना के अतिरिक्त दंड दिया गया . . . ११९७

(ग) राज्यवार अपेक्षित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। यह एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे कर्मचारियों को गृहनिर्माण ऋण

†१६१२. { श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से १९६० तक दक्षिण पूर्व रेलवे के कितने कर्मचारियों ने निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा चलायी गयी योजना के अधीन गृह-निर्माण ऋण के लिये आवेदन किया है;

(ख) कितने व्यक्तियों को ऋण दिये गये हैं;

(ग) कितने व्यक्तियों को ऋण देने से इन्कार कर दिया गया है; और

(घ) कितने आवेदन पत्र अभी तक निलम्बित अवस्था में हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) २२।

(ख) ४।

(ग) १७।

(घ) १।

अन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग

†१६१३. श्री अ० मु० तारिक : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष तक अन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग को अन्तर्राज्यिक परिवहन व्यवस्था के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन समस्याओं को हल करने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ४० शिकायतें/अभ्यावेदन ।

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग ने राज्य सरकारों/परिवहन प्राधिकारियों से विचार विमर्श किया था । यह कार्य पत्र व्यवहार तथा आयोग के आध्यक्ष द्वारा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से पारस्परिक चर्चा के द्वारा किया गया । उसके परिणामस्वरूप २८ शिकायतें अभ्यावेदन अन्तिम रूप से हल कर दी गयी हैं और शेष १२ के सम्बन्ध में अभी विचार किया जा रहा है ।

आंध्र प्रदेश में विद्युत विकास के लिये बृहद् योजना

†१६१४. श्री रामी रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश के विद्युत् विकास के लिये कोई बृहद् योजना केन्द्र के पास भेज दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आंध्र प्रदेश में गाड़ियों के समय में परिवर्तन

†१६१५. श्री रामी रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह निवेदन किया है कि आन्ध्र प्रदेश में गाड़ियों के समयों में परिवर्तन कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सम्बद्ध है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६]

पश्चिम रेलवे के डिवीजनल सुपरिटेंडेंट

†१६१६. श्री वड्जकर : क्या रेलवे मंत्री २९ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २९७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जयपुर स्थित डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार के आरोप के सम्बन्ध में विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा जांच कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सफदरजंग अस्पताल में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय

†१६१७. श्री राम गरीब : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अंशदाताओं को सफदरजंग अस्पताल में एक्स रे कराने तथा स्क्रीनिंग कराने में बहुत समय लगाना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अस्पताल के कुछ विभाग सामान्य समय से बाद में खुलते हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) व्याधि तथा एक्सरे की परीक्षणों के सम्बन्ध में रिपोर्ट के मिलने में सामान्यतया लगभग कितना समय लग जाता है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) सभी एक्स रे बारी बारी से लिये जाते हैं, भले ही कोई अंशदायी स्वास्थ्य सेवा का अंशदाता हो या कि सामान्य जनता में से कोई व्यक्ति हो । विशेष परीक्षण जैसे कि बेरियम तथा इन्ट्रावीनस फाइलोग्राफ़ी के परीक्षण निर्धारित समय पर ही किये जाते हैं और उस में आवेदन के अधिमान के अनुसार समय निर्धारित किया जाता है । क्योंकि विशेष परीक्षण अधिक संख्या में करने होते हैं, इसलिये रोगियों को ३ से ४ सप्ताहों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । परन्तु अत्यावश्यक मामलों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है ।

(ख) आउट पेशेन्ट विभागों तथा प्रयोगशाला का कार्य ८ बजे प्रातः प्रारम्भ हो जाता हैं, परन्तु एक्स रे विभाग का कार्य ९ बजे से ४ बजे तक रहता है और आकस्मिक मामलों के लिये यह २४ घण्टों तक खुला रहता है ।

(ग) इस से पहले गरमियों में एक्स रे विभाग का कार्य समय ८ बजे प्रातः से दोपहर २ बजे तक था । परन्तु वह समय उपयुक्त नहीं था, इसलिये समय को ९ बजे से ४ बजे तक कर दिया गया । इन रोगियों का एक्स रे सामान्यतया बाद दोपहर किया जाता है, इसलिये एक्स रे विभाग को २ बजे से ४ बजे तक भी काम करना पड़ता है ।

(घ) सामान्यतया अधिकांश एक्स रे रिपोर्टें २४ घण्टे के अन्दर अन्दर अस्पताल के पूछताछ के दफ्तर में भेज दी जाती हैं और जिन की अधिक जांच करनी पड़ती है उन पर ४८ घण्टे लग जाते हैं । इससे अगले दिन स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल उन रिपोर्टों को सम्बन्धित औषधालय को भेज देते हैं । कभी कभी स्वयं रोगी या उनके सम्बन्धी भी उन रिपोर्टों को प्राप्त कर लेते हैं ।

आम हड़ताल के दौरान डाक तथा तार विभाग को हानि

†१६१८. श्री मा० ब० ठाकुर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि (११ जुलाई से १७ जुलाई, १९६० तक) आम हड़ताल में डाक तथा तार विभाग को कुल कितनी हानि हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस हानि को पूरा करने के लिये क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) जी, हां । लगभग ६८ लाख रुपयों की हानि हुई है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिन कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था, उन्हें वेतन नहीं दिया गया है, केवल उतनी ही राशि की बचत की गयी है और हड़ताल से कुछ पहले और कुछ बाद में राजस्व में वृद्धि हुई है। उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं जिससे इस हानि को पूरा किया जा सके।

पश्चिमी रेलवे पर पानी का संभरण

†१६१९. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के कुछ स्टेशनों पर जो पानी संभरित किया जाता है वह नमकीन है ; और

(ख) यदि हां, तो भाप के इंजनों पर उस पानी का असर न पड़ने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पश्चिम रेलवे पर कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहां पर पानी में मात्रा से अधिक नमक पाया जाता है।

(ख) (१) जहां पानी साफ़ नहीं होता वहां पर ब्वायलरों को अधिक बार धोया जाता है।

(२) इंजनों के ब्वायलरों को रासायनिक परिशोधित पानी संभरित करने के लिये पानी साफ़ करने के संयंत्र लगाये जाते हैं।

(३) इंजिनों के टेण्डरों में स्वचालित डोजिंग गीयर लगा दिये जाते हैं ताकि टेण्डर में पानी शोधन होता रहे।

प्रशिक्षण पोत 'डफरिन'

†१६२०. श्री राम शंकर लाल : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षण पोत 'डफरिन' पर नवयुवकों को कोई प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस के लिये विभिन्न केन्द्रों में परीक्षा ली जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक केन्द्र से कितने व्यक्ति लिये गये हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां :

(ग) गत तीन वर्षों के सम्बन्ध में जानकारी निम्नलिखित है :—

केन्द्र	अभ्यर्थियों की संख्या		
	१९५७	१९५८	१९५९
बम्बई . . .	२२	४३	२१
कलकत्ता	२	७	६
दिल्ली	१९	११	३६
एरणाकुलम	..	६	६
लखनऊ	१	..	३
मद्रास	१३	५	५
नागपुर	३	३	४
पटना . . .	..	..	@

†मूल अंग्रेजी में

@ पटना से लिया गया टैस्ट रद्द कर दिया गया क्योंकि उस केन्द्र में बहुत कम लोग परीक्षा में बैठ रहे थे।

रेलवे सुरक्षा बल

†१६२१. श्री राम शंकर लाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को स्थायी बनाने के सम्बन्ध में क्या क्या विषय हैं ; और

(ख) जब से बल की स्थापना हुई है, तब से कितने कर्मचारियों को स्थायी बनाया जा चुका है और कितने अभी अस्थायी हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेलवे पुलिस बल के कर्मचारी दो वर्ष तक संतोषजनक सेवा के बाद स्थायी बनने के लिये पात्र बन जाते हैं।

(ख) (१) स्थायी कर्मचारी—१७,२३६

(२) अस्थायी कर्मचारी–११,६०७

पश्चिमी बंगाल में चीनी की मिलें

†१६२२. श्री प्रमथ नाथ बनर्जी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल की चीनी मिलों द्वारा तैयार की गई चीनी की बिक्री के लिये केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा दरों की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि नेशनल शुगर मिल, अहमदपुर (पश्चिमी बंगाल) चीनी ५२ रुपये मन के हिसाब से बेच रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस मिल के प्रबन्धक चीनी के बिक्री के सम्बन्ध में दो रसीदें जारी करते हैं, एक ४५ रुपये की और दूसरी ७ रुपये की ;

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ङ) नेशनल शुगर मिल किस भाव पर गन्ना खरीदती है ;

(च) अहमदपुर की चीनी मिलों और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की मिलों की चीनी की कीमतों में इतना अधिक अन्तर क्यों है ; और

(छ) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी और एजेन्सी की ओर से अहमदपुर की मिल को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उस मिल ने १९५९-६० में सब से पहली बार प्रयोग के रूप में चीनी तैयार की थी और उसे उसी क्षेत्र में ५२ रुपये मन के हिसाब से बेच दिया था।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस बारे में जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) ज्ञात हुआ है कि निम्नलिखित दरों पर गन्ना खरीदा गया था :—

(१)	गन्ना उत्पादकों द्वारा स्वयं मिल में पहुंचाया गया गन्ना . .	१.६२ रु० प्रतिमन
(२)	रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया गन्ना . .	१.५० रु० "
(३)	सड़कों पर से प्राप्त किया गया गन्ना . .	१.४४ रु० "

(च) स्थिति की जांच की जा रही है ।

(छ) पुनर्वास मंत्रालय द्वारा २१ लाख रुपयों का ऋण दिया गया है ।

मध्य प्रदेश में वन कालेज

१६२३. श्री जांगड़े : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार मध्य प्रदेश के बालागढ़ नगर में एक वन कालेज स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कालेज कब खुलने की संभावना है ; और

(ग) क्या कोयम्बटर अथवा देहरादून के वन कालेज के समान मध्य प्रदेश में भी एक अनुसंधान केन्द्र अथवा प्रयोगशाला खोलने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) मध्य प्रदेश में जबलपुर के स्थान पर कोयम्बटर केन्द्र के समान एक क्षेत्रीय वन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव है ।

मीलों के पत्थरों पर अन्तर्राष्ट्रीय अंक

†१६२४. श्री रंगामणि : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़कों पर मीलों के सब पत्थरों पर एकरूप से अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जायगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विभिन्न प्राधिकारों को क्या हिदायतें दी गई हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) मई, १९५३ में सब मुख्य इंजीनियरों और अन्य संबद्ध अधिकारियों से प्रार्थना की गई थी कि जब गुम या खराब मीलों के पत्थर बदले जायें या नई सड़कों पर नये पत्थर लगाये जायें, तो राष्ट्रीय राजपथ समेत सब सड़कों पर मीलों के पत्थरों पर अन्तर्राष्ट्रीय ढंग के भारतीय अंक लिखवाये जायें ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर गाड़ियों में सुधार

†१६२५. श्री भ० दी० मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४७ से लेकर नानपारा और कटारियनघाट के बीच, और पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा जंक्शन एवं नेपालगंज रोड के बीच चलने वाली गाड़ियों में कोई सुधार किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं तो उस का क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि इस सेक्शन पर पहली श्रेणी से तीसरी श्रेणी के सब डिब्बे ऐसी हालत में है कि उन में सफर करना असुविधाजनक है ;

(घ) क्या यह सच है कि लखनऊ से नेपालगंज सीधी जाने वाली गाड़ियों में रोशनी और पंखों की व्यवस्था नहीं है ;

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(च) क्या यह भी सच है कि प्रथम श्रेणी के प्रत्यैक डिब्बे में खिड़कियां, पंखे, रोशनी और गद्देदार स्थान नहीं होता और उन की ठीक से देखभाल भी नहीं होती ; और

(छ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार किया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जांच से पता चला है कि यह बात सही नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(च) जी, नहीं ।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इगतपुरी स्टेशन पर डाउन यार्ड

†१६२६. श्री यादव नारायण जाधव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में इगतपुरी में ८५ और ८७ मील पर एक नया डाऊन यार्ड बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस के लिये आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है ; और

(ग) परियोजना पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). भूमि का सीमांकन और संयुक्त सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है । भूमि का स्थान और अनुसूचियां भी भूमि अधिग्रहण के हेतु राजस्व प्राधिकारियों को भेजी जा चुकी हैं, किन्तु यह अभी रेलवे को सौंपी नहीं गई है ।

(ग) कार्य आरम्भ होने के पश्चात् इस पर २ से ३ वर्ष का समय लगेगा ।

असैनिक विमान चालक

†१६२७. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २३ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५९ को जो ४० विमान-चालक बेकार थे, क्या उन में से कोइ प्रतिरक्षा मंत्रालय या फलाइंग क्लब में नियुक्त किया गया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). असैनिक उड्डयन के महानिदेशक को प्राप्त सूचना के अनुसार १३ विमानचालकों को ३१ दिसम्बर, १९५९ से फलाइंग क्लबों और अन्य संस्थानों में काम मिल गया है ।

इंजन डिब्बे आदि

†१६२८. { श्रीमती पार्वती कृष्णन् : / श्री नार्गि रेड्डी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों में अब तक, ब्राड गेज और मीटरगेज पर, दक्षिण रेलवे को कितने नये इंजन, डिब्बे और माल डिब्बे आवंटित किये गये हैं; और

(ख) दूसरी योजना की अवधि में दक्षिण रेलवे में कितने इंजन डिब्बे आदि रेलवे लाइन पर डाले जायेंगे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७]

एरणाकुलम ओलवाकोट लाइन

†१६२९. श्री ईश्वर अय्यर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरणाकुलम और ओलवाकोट के बीच मीटर गेज बिछाने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या तीसरी योजना में यह काम शामिल किया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिवेन्द्रम–एरणाकुलम पैसेंजर गाड़ी

†१६३०. श्री ईश्वर अय्यर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-एरणाकुलम् सीधी पैसेंजर गाड़ी में लगातार बिजली फेल होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो बार बार की शिकायतों के बावजूद त्रुटि दूर न करने के क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि त्रिवेंद्रम-एरणाकुलम् सेक्शन पर यात्री गाड़ियों में बिजली और पंखे फेल हो जाते हैं । इन शिकायतों की जांच की गई है और यह पाया गया है कि बिजली और पंखों के ठीक से न चलने का कारण मुख्यतया यह था कि चूंकि इस सेक्शन पर औसत गति कम है इसलिये चलते समय गाड़ियों की बैटरियां पूरी तरह चार्ज नहीं होतीं ।

†मूल अंग्रेजी में

तुरन्त स्थिति को सुधारने के लिये किलोन और कोट्टयम स्टेशनों पर बैटरी चार्ज करने का अधिक प्रबन्ध किया गया है। इस सेक्शन पर चलने वाली रेलों पर सामान से सज्जित डिब्बों की संख्या बढ़ाने का भी कार्यक्रम है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) : मैंने बिहार में सूखा तथा बाढ़ की स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। बिहार के सभी समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि बिहार के सत्रह जिले सूखा तथा बाढ़ से ग्रस्त हैं। मैं मानता हूं कि सरकार सूखे और बाढ़ के लिये जिम्मेदार नहीं है परन्तु फिर भी सरकार जनता के कष्टों को कम करने के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही तो अवश्य कर सकती थी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव के बारे में कोई संतोषजनक वक्तव्य दिया जाये।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मैंने अनुमति नहीं दी और उन्हें बताया कि ११ अगस्त को अर्थात् पन्द्रह दिन पहले ही श्री अनिरुद्ध सिंह की ध्यान दिलाने वाली सूचना पर खाद्य उपमंत्री बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में खाद्यान्नों की कमी की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख चुके हैं। विवरण में यह भी बताया गया है कि राज्य के अन्य भागों में जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या क्या कार्यवाही की जा रही हैं। इसीलिए मैंने माननीय सदस्य को सुझाव दिया था कि स्थगन प्रस्ताव के बजाय वह इन कार्यवाहियों के कारण हुई प्रगति जानने के लिए अल्पसूचना प्रश्न पूछ सकते हैं। परन्तु उन्होंने मेरे परामर्श के अनुसार न चल कर स्थगन प्रस्ताव पर ही जोर दिया। ऐसा ठीक नहीं है। जब मैं किसी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं देता हूं तो माननीय सदस्यों को सभा में उठ कर उस पर आग्रह नहीं करना चाहिए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १३ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३८ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-२३१८/६०]**

सामुदायिक विकास—औद्योगिक अग्रिम परियोजनाओं संबंधी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं श्री सु० कु० डे की ओर से सामुदायिक विकास—औद्योगिक अग्रिम परियोजनाओं सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-२३१९/६०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बांसपानी में लोहे की खानों के बन्द होने की आशंका

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (पुरी)**: नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"वैगनों के न मिलने के कारण बांसपानी उड़ीसा में लोहे की खानों के बन्द होने की आशंका"

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: मैं सभा को बताना चाहता हूं कि वेंगनों के न मिलने के कारण बांसपानी (उड़ीसा) में लोहे की खानों के बन्द होने की आशंका के बारे में रेलवे मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। १ जुलाई, १९५९ से ३० जून, १९६० की अवधि में लौह अयस्क के २७,१३३ वैगन (चार पहियों वाले) तथा मैंगनीज़ अयस्क के २९६४ वैगन बांसपानी स्टेशन से लाये गये थे। यानी लौह अयस्क के २२६१ वैगनों का तथा मैंगनीज़ अयस्क के २४७ वैगनों का प्रति मास का औसत निकलता है। जुलाई, १९६० में केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद ३०९८ वैगन लौह अयस्क तथा ५१७ वैगन मैंगनीज़ अयस्क का बांसपानी स्टेशन से लदान किया गया।

मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि राजखरसवान-बराजामदा सेक्शन पर बिजली लगाये जाने के कारण ब्लाकों की स्वीकृति देनी पड़ी जिस से यातायात में कुछ रुकावट आई। इस कठिनाई के होने पर भी रेलवे ने संतोषजनक लदान किया है।

यह भी आशा की जाती है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र में जनवरी १९६१ से बरसुआ खानों से लोहा जाने लगेगा, तब इस क्षेत्र से रूरकेला को लौह अयस्क का लदान कम हो जायेगा और हम यहां से लौह अयस्क का निर्यात कर सकेंगे।

मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं कि इस क्षेत्र से लौह अयस्क को भेजने का काम शीघ्रता से होना चाहिए तथा ऐसा करने के लिए सभी प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही हैं।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं सोमवार, २९ अगस्त, १९६० से शुरू होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) आज की कार्य सूची से बचा कोई विषय;

(२) १९६०–६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और उनका स्वीकृत किया जाना;

(३) निम्न विधेयकों पर विचार और उनका पारित किया जाना :—

(क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दशमिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक, १९६०।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्य नारायण सिंह]

(ख) बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक, १९६०

(ग) भारतीय-मज़दूर संघ (संशोधन) विधेयक, १९६०;

(४) श्री प्र० गं० देव द्वारा २९ अगस्त को ४ बजे प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर भारत सरकार की तेल सम्बन्धी नीति पर चर्चा;

(५) प्रधान मंत्री द्वारा ३१ अगस्त को प्रश्न-काल के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर चर्चा;

(६) गुरुवार, १ सितम्बर, १९६० को आसाम की स्थिति पर संसदीय शिष्टमंडल के प्रतिवेदन पर चर्चा ।

जैसी कि आपकी इच्छा थी कि आसाम की स्थिति पर चर्चा के लिये दो दिन दिये जायें, ऐसा प्रस्ताव है कि सभा की बैठक शनिवार ३ सितम्बर को भी हो और शुक्रवार २ सितम्बर को लिये जाने वाले ग़ैर-सरकारी कार्य को शनिवार को साढ़े चार बजे लिया जाये । मैं समझता हूं सभा इस कार्यक्रम से सहमत होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठक शनिवार, ३ सितम्बर, १९६० को भी होगी । मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा २० अगस्त, १९६० को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी संशोधनों पर चर्चा करेगी :—

"कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप पर, जो १ अगस्त, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये ।"

श्री नंदा अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : इस प्रारूप के सभी प्रस्तावों के बारे में विस्तार-पूर्वक एवं स्पष्ट चर्चा की जा चुकी है । इस समय हमें कार्यक्रमों के विस्तार एवं क्षेत्रों के बारे में विचार नहीं करना था । इस समय तो हमें इस प्रारूप में दिये गये योजना के सामान्य दृष्टिकोण, इसके विशेष उद्देश्यों, इसके ढांचे, प्राथमिकताओं का रूप, योजना की सीमा विस्तार, संसाधनों की योजनाएं तथा कुछ नीति तथा प्रशासन सम्बन्धी उपबन्धों के बारे में ही विचार करना था । यहां सभा में इस बारे में जो चर्चा हुई है उसको देखते हुए ही योजना आयोग तथा सरकार इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम को आगे बढ़ायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यहां जो भाषण हुए हैं उनको सुनने के पश्चात् यह प्रकट होता है कि इस प्रारूप के सामान्य प्रस्तावों से सभी लोग सहमत हैं। इसकी विस्तृत बातों के बारे में चाहे भले ही मतभेद हों। वैसे तो यदि तीन या आधे दर्जन सदस्य इसके पक्ष में न भी हों तो भी कोई अन्तर नहीं पड़ता किन्तु फिर भी हम चाहते हैं कि इस सभा का प्रत्येक सदस्य तथा देश का प्रत्येक नागरिक इसका समर्थन करे। वे दो तीन सदस्य जो इससे सहमत नहीं हैं कह रहे हैं कि इस योजना को सभा का पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं है। वे अपनी विमति टिप्पणी देकर यह कहना चाहते हैं कि यह योजना असफल होनी चाहिये। और जब योजना असफल हो जायगी तो वे हमसे कहेंगे कि हमने तो आपको पहले ही बता दिया था।

लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि यह योजना असफल नहीं होगी। क्योंकि लोगों की क्षमता में हमारा विश्वास है। पिछले कुछ वर्षों में जनता ने जो कार्य किया है उससे हममें विश्वास बढ़ा है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है प्रत्येक लक्ष्य की पूर्ति शतप्रतिशत होगी, किन्तु इतना अवश्य सत्य है कि कुछ न कुछ पूर्ति अवश्य होगी। लोगों ने योजनाओं के अनुसार कार्य करना सीख लिया है और वे योजना के लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिये भरसक प्रयत्न भी कर रहे हैं। श्री मसानी ने कहा है कि हमें उपभोक्ताओं के काम में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करना चाहिये क्योंकि उसी में मुनाफे की अधिक गुंजाइश है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी योजना कोई भी प्रगति नहीं करती। इस प्रकार की प्रगति न तो रोजगार में, न अतिरिक्त उत्पादन में और जीवन स्तर के बढ़ाने में कोई सहायता नहीं करती। श्री मसानी को तो अर्थ शास्त्र की अच्छी जानकारी है अतः उनको यह तथ्य नहीं भूलना चाहिये। अतः यह योजना सफल होगी। शुरू में ही हार मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। श्री मसानी ने हमें सावधान किया है लेकिन मैं भी उन्हें सचेत कर देना चाहता हूं कि भविष्य में उनके तथा उनके सहयोगियों पर काफी भार पड़ने वाला है। उनकी प्रतिक्रिया तो मुझे इस समय कुछ ऐसी प्रतीत हो रही है जैसी कि निर्धनता के विरुद्ध तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये लड़ी जाने वाली लड़ाई के समय कुछ लोगों ने अपना रवैया अपनाया था। मेरा विश्वास है कि कुछ दिनों बाद ही उनकी स्थिति में परिवर्तन आ जायेगा। वित्तीय संसाधनों एवं तत्सम्बन्धी अन्य बातों के बारे में मैं यहां उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि मेरे साथी वित्त मंत्री ने उनकी सविस्तार चर्चा कर दी है। मैं तो योजना की सामान्य बातों को ही लूंगा।

हमने कितनी सफलता प्राप्त की है इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया था। कुछ क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छी प्रगति की है। वित्त मंत्री ने सोदहरण सहित एवं आंकड़ों के साथ उनका विशद विवेचन कर दिया है। लेकिन कुछ माननीय सदस्य जिनमें श्री कृपालानी भी हैं उनकी बात से सहमत नहीं हैं आचार्य कृपालानी को तो देश की किसी भी बात से कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। मैं तो कहूंगा कि उन विरोधी सदस्यों की यह आलोचना बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई है और वह वास्तविकता से दूर की चीज है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इस योजना में कोई कमी अथवा बुराइयां नहीं है। अगर मैं उन कमियों की अवहेलना करता हूं तो मेरी यह महज़ बेवकूफ़ी होगी। हम उन कमियों को दूर करना चाहते हैं उनमें सुधार करना चाहते हैं। अतः मैं रचनात्मक और वास्तविक आलोचना सुनना पसंद करता हूं।

ये कमियां कुछ उन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुईं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। एक बात कृषि के उत्पादन में होने वाली घटत बढ़त के सम्बन्ध में कही गई है। उन्होंने

[श्री नन्दा]

पूछा है कि इस सम्बन्ध में हमने क्या किया। देखा जाये तो हम उन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर सकते अथवा उन्हें कम नहीं कर सकते। परिस्थिति हमारे हाथ की चीज़ नहीं है। हमें तो यह देखना है कि क्या इस दौरान में उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हुई है अथवा नहीं। मेरे विचार से कृषि उत्पादन में बढ़ोत्री का साल है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए मैं तो यही कह सकता हूं कि मौसम ने उत्पादन पर काफी प्रभाव डाला है। मौसम पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। लेकिन इतना अवश्य सत्य है कि इस क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा में काफ़ी विकास हुआ है और यही कारण है कि मौसम का कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। कृषि उत्पादन में कुल मिलाकर ३·५ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं है हम तो और भी अधिक चाहते हैं। लेकिन फिर भी यह कोई नगण्य वृद्धि नहीं है।

राष्ट्रीय आय में १९५०–५१ से १९५८–५९ तक ३·५ प्रतिशत की वृद्धि प्रति-वर्ष के हिसाब से है। अतः श्री मसानी ने जो आंकड़े दिये हैं वे ठीक नहीं हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने उद्योगों—विशेषरूप से कोयला और इस्पात—की कमियों एवं असफलताओं का उल्लेख किया है। जब हम ने दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की थी तो हमारी कुछ मूलभूत कठिनाइयां थीं। लेकिन हमने उन कठिनाइयों को उस योजना के शुरू होने के कुछ दिन बाद ही दूर कर दिया। हो सकता है कि इस क्षेत्र में इधर उधर कुछ कठिनाइयां रही हो लेकिन कुल मिलाकर इस क्षेत्र में उन्नति हुई है। १९६०–६१ के अन्त तक इस क्षेत्र का उत्पादन बढ़कर दुगना हो जायगा। पहली योजना में यह वृद्धि ३९ प्रतिशत हुई, दूसरी योजना में ५९ प्रतिशत और तीसरी योजना में हमारा इरादा ६४ प्रतिशत तक वृद्धि करने का है। यह प्रगति काफी अच्छी प्रगति है।

सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम में आगे बढ़ने की क्षमता है और इसका अनुमान हमें इस्पात तथा मशीनी औज़ार उद्योगों के उत्पादन से लग जायगा। साथ ही हम अपने प्राविधिक व्यक्तियों की सख्या में भी वृद्धि कर रहे हैं। समय आने पर ये हमारे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि आगामी १०–१५ वर्षों में हम पूंजीगत माल के बारे में आत्मनिर्भर हो जायें। विभिन्न दिशाओं, मशीन बनाने तथा विद्युत् आदि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह बहुत ही प्रभावशाली है। अपने देश में रुपांकन सुविधाओं में उन्नति करने के बारे में भी हम काफ़ी सजग हैं और आशा है कि इस क्षेत्र में भी हम काफ़ी उन्नति करने लगेंगे।

इस प्रगति को देखते हुए यह कहना पड़ेगा कि विनियोजन में भी वृद्धि हुई है। यह लागत पूंजी पहली योजना में ५० करोड़ से बढ़कर ८५० करोड़ रुपये हो गई है। दूसरी में १४५० और तीसरी योजना में यह लागत २५०० करोड़ हो की संभावना है। सरकारी क्षेत्र में भी लागत पूंजी का इसी भांति विकास हुआ है। इस क्षेत्र में पहली योजना में यह लागत २०० करोड़ से बढ़कर ४५०, दूसरी में ८०० करोड़ और तीसरी योजना में यह १५०० करोड़ तक हो जाने की संभावना है। अगर हमने योजनाएं न बनाई होतीं तो यह संभव नहीं था।

योजना के बारे में श्री मसानी का अपना ही सिद्धान्त है जो हमारे सिद्धान्त का विरोधी है। उनका कहना है कि छोटे छोटे उद्योगों की उन्नति की जानी चाहिये। आचार्य कृपालानी का कहना है कि हमारी सहायता कृषि और विशेष रूप से ग्रामीण उद्योगों पर ही निर्भर रहनी चाहिये। दोनों ही यह नहीं चाहते कि सरकार आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे और दोनों ही सरकारी क्षेत्र के प्रति घोर अरुचि रखते हैं।

†आचार्य कृपालानी (सीतामढ़ी) : मैंने तो केवल यही कहा था कि हमें सामान्य व्यक्तियों की जिनके पास भूमि नहीं है, जो बेरोज़गार है और जिनके पास अनार्थिक भूमि है—देखभाल की जानी चाहिये। आपके प्रतिवेदन में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि उनके पास कम काम है तथा उन्हें कम वेतन भी मिलता है।

†श्री नन्दा : हमारा उद्देश्य भी यही है और यह कार्य किसी न किसी दिन योजनाओं के द्वारा किया जायगा। श्री मसानी ने कहा है कि हम योजना तो चाहते हैं लेकिन समन्वय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते अर्थात् यह योजना आयोग को पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि मंत्रि-मंडल को यह कार्य करना चाहिये। अगर उनकी बात मान ली जाय तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार बहुत कम कार्य होगी। और योजना के कारण जो उत्तरदायित्व आयेंगे उनकी पूर्ति न हो सकेगी। इसका मतलब तो यह होगा कि सरकार को ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होगा ताकि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। सरकार उनको अधिक सुविधाएं दे, अधिक ऋण दे, कम कर लगाये ताकि वे अच्छा कार्य कर सकें। उनका मतलब तो यह है कि भारी उद्योग नहीं होने चाहिये। कभी कभी जब गैर-सरकारी क्षेत्र में काम न हो सके तो सरकर को सहायता करनी चाहिये। लेकिन अगर सरकार के पास संसाधन न हों तो वह किस प्रकार भारी उद्योगों की सहायता कर सकती है। यह धारणा रखना कि हल्के उद्योग ही हर चीज का अच्छी तरह से उत्पादन कर सकते हैं, गलत बात है। दूसरे देश की प्रगति किस प्रकार हो सकती है। आप हल्के उद्योग इसलिये रखना चाहते हैं ताकि उपभोक्ताओं की वस्तुएं तैयार कर सके। ये चीज़ें तो आपको और स्थानों से भी मिल सकती हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि इन हल्के उद्योगों से आप कितना अतिरिक्त उत्पादन कर सकते हैं। सवाल यह है कि जब तक आप मशीनों का उत्पादन नहीं करने लगते, और जब तक बाहरी साधनों से छुटकारा नहीं पाते तब तक हम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। बेरोजगारी, जीवनस्तर आदि की समस्या का हल नहीं निकाल सकते। यह सब केवल हल्के उद्योगों के सहारे नहीं हो सकता।

श्री मसानी का कहना है कि जब इतना अधिक इस्पात का उत्पादन करने लगेंगे तो उसका क्या होगा? इसका उत्तर तो सीधा सादा है कि यह इस्पात मशीनों के काम आयगा, यह इस्पात माल उत्पादन के काम आयगा। उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के उत्पादन में यह इस्पात तेजी के साथ वृद्धि करेगा। उन्होंने विशेष रूप से बोकारो में लगाये जाने वाले चौथे इस्पात संयंत्र का विरोध किया है। जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं उनके बारे में हमें और दूसरे साधनों से भी पता चला है। हमें ९७ लाख टन इस्पात का उत्पादन करना चाहते हैं और यह हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल ही है। स्थिति तो यह है कि अब भी हमें कुछ दिशाओं में इस्पात की कमी रहेगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस संस्थापित क्षमता को पूरे वेग से काम करने में भी तो समय लगेगा।

सरकारी क्षेत्र का भी विरोध किया गया है। औद्योगिकरण के बिना अधिक लोगों को रोजगार देना बड़ा मुश्किल है। उनका कहना है कि सरकारी क्षेत्र से स्वतन्त्रता का हनन होता है, तानाशाही बढ़ती है और अधिक अपव्यय होता है। तथा लोकतंत्रीय ढांचे में ऐसा करने से हस्तक्षेप होता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र का मुझे बहुत बड़ा अनुभव है और मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि वहां क्या होता है। वहां सभी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न की जाती हैं। और जरा सा भी अवसर मिल जाय तो शोषण करने लगते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

सरका ी क्षेत्र में कुछ कमियां हो सकती हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि चाहे गैरसरकारी क्षेत्र उन्नति करे अथवा न करे सरकारी क्षेत्र में अवश्य ही विकास होगा। इस क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यदि एक या दो संयत्रों में उन्नति हुई है तो और क्षेत्रों में भी उन्नति अवश्य ही होगी। मैंने गैरसरकारी क्षेत्रों के प्रबन्धकों आदि की बैठकों में भाग लिया है वे सब लाभांश घोषित करने में ही चि लेते हैं। गैर-सरका ी क्षेत्र के भागीदार तो खाली नाम के होते हैं जब कि सरकारी क्षेत्र के भागीदार काफी सजग और क्रियाशील होते हैं। सारे राष्ट्र की निगाहें इन पर लगी हैं। विभिन्न समितियों के द्वारा यह सभा भी इस क्षेत्र की गतिविधियों से परिचित रहती है। कोई भी बात इस सभा से छिप नहीं सकती। मैं तो यही आश्वासन दे सकता हूं कि यह क्षेत्र अधिक से अधिक प्रगति करेगा। पहली योजना में कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिये बहुत अधिक नहीं किया गया था लेकिन दूसरी योजना में हमने अधिक सावधानी से कार्य किया, प्रशिक्षण के लिये विस्तृत कार्यवाही की गई, कार्यक्रम बनाये गये। तीसरी योजना में भी हम ऐसी आशा करते हैं। ीस ी योजना में ही हमने चौथी योजना के लिये काफी व्यवस्था कर दी है। अनुभव के आधार पर हमने सबक सीख लिया है। स्वतन्त्रता हनन, तानाशाही तथा योजना को सोवियत ांचे पर बनाने की जो बात कही गई है वह बात मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन जिस राष्ट्र को भी प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है उसे औद्योगीकरण करना होगा। जहां तक कि इस देश में सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है उसके बारे में यह धारणा करना गलत है कि हम इस क्षेत्र के लिये अधिक कार्य कर रहे हैं। उन देशों में जो कि समाजवादी नहीं है हमारी अपेक्षा बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं। सोवियत रूस से अपनी तुलना करना तर्क संगत नहीं है। हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है, हमारे यहां संसद् है। आर्थिक सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता और न कोई ऐसा करने की अनुमति ही देगा।

यह कहा गया है कि गैर सरकारी क्षेत्र ने स्वयं उन्नति की है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कौन कहता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को हानि दी गई है। इस क्षेत्र में भी प्रत्येक योजना में कुछ न कुछ वृद्धि हुई है। अगर योजना न बनाई गई होती तो इस क्षेत्र का भी इतना विस्तार न हुआ होता जितना कि हुआ है।

मैं यह नहीं कहता हूं कि गैर सरकारी क्षेत्र का विस्तार गलत है। आज हमारा मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है। आज हम उन सभी साधनों का उपयोग करना चाहते हैं जिनसे हमारा उत्पादन बढ़े। विरोधी सदस्यों का कहना है कि सरकारी क्षेत्र को पनपने की अनुमति न दी जाये। लेकिन हम तो कहते हैं कि दोनों ही क्षेत्रों का विकास हो। अतः श्री मसानी ने जो कुछ भी कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं।

आचार्य कृपालानी ने रोजगार का प्रश्न उठाया है। मैं भी ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के बहुत पक्ष में हूं। मैं भी चाहता हूं कि उनका अधिक विस्तार हो, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक गांव में उनकी स्थापना की जाये। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि लोग गांव छोड़ कर शहरों की ओर भागें। मैं चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो लेकिन यह तभी हो सकता है जब कि औद्योगीकरण किया जाये। ग्रामीण जीवन और ग्रामीण सभ्यता में कोई बुराई नहीं है। ग्रामीण उद्योगों को सहायता देने की बात कही गई है। लेकिन सहायता तो तभी दी जा सकती है जबकि हमारे पास कुछ अतिरिक्त राशि हो। अतः देहात की बढ़ती हुई जनसंख्या को काम धंधे के अवसर प्रदान करने के लिये कुटीर उद्योगों तथा ग्रामोद्योगों का विकास करना जरूरी है। आधुनिक तरीके के उत्पादन का जो लाभ होता है उसका कुछ भाग देकर इन उद्योगों की सहायता की जा सकती है।

रोजगार देने के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। लेकिन उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उनसे तो स्थिति में बिल्कुल भी विकास नहीं हो सकता। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हम किस प्रकार लोगों को रोजगार देंगे हमारे सामने यह समस्या है। हम देखते हैं कि भूमि तो इसके लिये काफी नहीं होगी, उससे तो स्थिति में कोई लाभ नहीं होगा। रोजगार के लिये अन्य साधन ढूंढ़ने होंगे। हम रोजगार रोजगार की दृष्टि से नहीं चाहते बल्कि जीवन निर्वाह की दृष्टि से चाहते हैं। मेरे विचार से रोजगार देने के लिये अच्छा तरीका सर्वोदय योजना है।

सरकारी क्षेत्र का उल्लेख करते समय गांधी जी का नाम लिया गया है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि गांधी जी भी इस पक्ष में थे कि कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। लेकिन हमने वैसा नहीं किया और न हमारा ऐसा विचार है।

राष्ट्रीयकरण शब्द को लोगों ने अच्छी तरह नहीं समझा है। हमारा इससे अभिप्राय यह है कि इस सरकारी क्षेत्र का विकास लोकतन्त्रीय ढंग से हो। इसके कर्मचारी भी भाग लें और हम ऐसा करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं।

सहकारी खेती के सम्बन्ध में हमने बता दिया है कि यह स्वेच्छा पर निर्भर करता है। और इस दिशा में हम प्रयत्न भी कर रहे हैं कि यह कार्य स्वेच्छा से हो।

सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं के बारे में भी प्रश्न किया गया है। हमारा उद्देश्य इन विषमताओं को कम करने का है। यहां सभा में यह चिन्ता प्रकट की गई है कि ये विषमताएं निरन्तर बढ़ रही हैं। लेकिन हम इनको कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक कि आय की विषमताओं का सम्बन्ध है इसको अधिकतम सीमा या न्यूनतम सीमा निर्धारित करके कम नहीं किया जा सकता। इसको कम करने के लिये अनेक दिशाओं में, अनेक साधनों से अनेक उपाय करने होंगे। सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है। बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय कहां गई है, इसका पता लगाने के लिये विशेषज्ञों द्वारा जांच की जायेगी, जैसा कि प्रधान मन्त्री ने सुझाव दिया है।

अगर आप गैर सरकारी क्षेत्र को राष्ट्र की समृद्धि के लिये बनाये रखना चाहते हैं तो आपको इस क्षेत्र को काफी मात्रा में प्रोत्साहन देना होगा। यह तो हो नहीं सकता कि आप उनसे उन्नति एवं प्रगति करने के लिये भी कहें और दूसरी ओर भूखा मरने के लिये भी कहें। अतः इस दिशा में भी कुछ कार्य किये जायेंगे। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतनी आय हो कि उसकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाये। अगर हम किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम मूल आवश्यकताएं जैसे खाना, कपड़ा और रहने के लिये जगह की तो व्यवस्था अवश्य ही करनी होगी।

योजना में बहुत सी सिफारिशें की गई हैं कि प्रत्येक गांव में पानी का समुचित प्रबन्ध हो, सड़क, शिक्षा के लिये स्कूल, तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। इस दिशा में दूसरी योजना में कुछ कार्यवाही की गई है और तीसरी योजना में भी बहुत कुछ किया जायेगा।

क्षेत्रीय असन्तुलन के बारे में भी प्रश्न किया गया है। जहां तक इसकी बात है इसे धीरे धीरे कम किया जायेगा पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास के विभिन्न साधन हैं, जिनका अच्छी तरह अध्ययन किया जाना है। हम केवल पिछड़ेपन के आधार पर स्थानों को छांट कर वहां किसी भी उत्पादन का काम शुरू नहीं कर सकते। इसका आधार व्यापारिक तथा आर्थिक लाभप्रदता ही होनी चाहिये।

[श्री नन्दा]

यह प्रश्न किया गया है कि क्या ये असन्तुलन घट रहे हैं अथवा बढ़ रहे हैं । यह स्पष्ट हो गया है कि इनमें कमी हो रही है । सिंचाई, विद्युत्, कृषि आदि के मामले में हम देख चुके हैं और शेष मामलों में भी हम प्रयत्न करेंगे । ग्रामीण उद्योगों के बारे में हम देख चुके हैं कि वे निश्चय ही इन्होंने असन्तुलनों को कम किया है तथा और भी करेंगे ।

केन्द्र ने राज्यों को सहायता के रूप में जो धन दिया है ताकि वे बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकें वह राशि योजना में राज्यों को दी जाने वाली राशि का ७० प्रतिशत है । जो राज्य पिछड़े हैं उनकी उन्नति करना है तथा उनकी स्थिति सुधारना है । इसलिये इस धन से यह सम्भव है कि वह इस राशि से उनका सुधार कर सके ।

शहरी तथा ग्रामीण हितों का प्रश्न भी उठाया गया है । उन लोगों की अच्छी देखभाल की जानी है जो बुरी अवस्था में रहते हैं चाहे वे शहरों में रहते हों अथवा गांवों में । अतः शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भेदभाव नहीं उत्पन्न किया जाना चाहिये । यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिये कुछ न कुछ करना है । उनकी स्थिति में सुधार करना है । वहां का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है । लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा । इस मद में किये जाने वाले व्यय में हमें वृद्धि करनी है । ताकि वहां की स्थिति में सुधार हो जाये वहां के लोगों को पीने के लिये पानी, बच्चों की शिक्षा के लिये स्कूल एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सुविधायें मिलने लगें ।

रोजगार का भी प्रश्न है । प्रश्न पूछा गया है कि इस दिशा में तीसरी योजना मे क्या किया गया है ? १० लाख को रोजगार नहीं मिलेगा परन्तु १४० लाख लोगों को तो इस योजना के अन्तर्गत रोजगार मिलेगा । यह लक्ष्य द्वितीय योजना के लक्ष्य से कहीं अधिक है । प्रथम योजना में लक्ष्य इससे भी कम था । अतः योजनाओं में रोजगार की व्यवस्था ठीक ढंग से हो पाई है । हम प्रयत्न तो यह भी करेंगे कि उन १० लाख लोगों को भी काम मिल जाये । विचार किया गया है कि देहाती क्षेत्रों में श्रम कार्य को तेज किया जाय, और उन साधनों का भी प्रयोग किया जाय जिनका कि आज तक प्रयोग नहीं किया गया है कई ऐसी बातें की जा रही हैं जिससे उत्पादन बढ़ने की आशा है और इससे कुछ लाभ तो होगा ही । वैसे भी हम रोजगार के अवसरों का विस्तार कर रहे हैं । तीसरी योजना के अन्तर्गत हम उनको भी ले सकेंगे जो कि पीछे रह गये हैं । इससे स्थिति के काफी सुधर जाने की आशा की जा सकती है ।

सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का प्रश्न है । भूमि सुधार भी है । प्रयत्न किया जा रहा है कि गांवों में विषमता दूर करके अच्छे हालात पैदा किये जायं । इस कार्य में हमें अच्छी सफलता प्राप्त हुई है । यह कहना भी गलत है कि राज्यों ने इस दिशा में कुछ नहीं किया । बेदखलिया रोकने के कानून लगभग सभी राज्यों में बन गये हैं ? फिर भी कहीं न कहीं हो जाय तो यह प्रशासन के ढीलेपन की बात है, और उसे ठीक करने में कुछ समय लगेगा । अवधि की सुरक्षा तथा पट्टे को कम किये जाने का प्रश्न है, पट्टा १/४ से कम करके १/५ कर दिया गया है । वैसे हम हालात को सुधार रहे हैं । भूमि रिकार्ड तैयार करवा रहे हैं, भूमि सम्बन्धी विधानों के प्रशासन में बहुत सुधार हो जायेगा ।

अर्थ शास्त्रियों का कहना है, जो वस्तु तकनीकी दृष्टि से सम्भव है उसे आर्थिक दृष्टि से अवश्य सम्भव बना दिया जाना चाहिये यदि इस बात को मान कर चला जाय तो संगठन करने और उसके ढगों का प्रश्न सामने आता है । जिस वस्तु की आवश्यकता होगी उसकी इस व्यवस्था करेंगे । हम लोगों

को प्रशिक्षण देंगे और जो कुछ इस दिशा में सम्भव होगा हम करेंगे। किसी प्रकार की कठिनाइयों की हम चिन्ता नहीं करेंगे। अतः योजना पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिये।

इस योजना में हमारा लक्ष्य केवल ५ प्रतिशत का है। दो प्रतिशत तो जनसंख्या की वृद्धि में चला जाता है, तीन प्रतिशत बाकी रहता है। एक प्रतिशत विनियोग में चला जाता है और बाकी दो प्रतिशत रहता है। एक प्रतिशत नये विनियोजक को जाता है। बात यह है कि नये लोगों का स्तर पुरानों से ऊंचा है। अतः ५ प्रतिशत ही प्राप्त हुआ तो बाकी लोगों को क्या मिला। अतः यह उचित रूप से ९ प्रतिशत होना चाहिये। यह लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं। जो लोग योजना के आकार की बात करते हैं, शायद उन्होंने इस दृष्टि से इस पर विचार नहीं किया। वे यह तो चाहते हैं कि हम प्रगति करें आगे बढ़े जीवन स्तर ऊंचा उठे, सड़कें बने, जहाज बने और सब काम हो। परन्तु वे यह नहीं सोचते कि पैसे के बिना यह सब कैसे सम्भव हो सकता है। अतः आय बढ़नी चाहिये। आय के लिये हमारे पास दबा हुआ खजाना तो कोई है नहीं। यदि हमारी योजनायें सफल होती हैं, उत्पादन बढ़ता है तो स्वयमेव हमें साधन उपलब्ध हो जायेंगे, हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तब हमें अपने साधनों का सुधार कर आगे बढ़ना होगा।

एक आधारभूत प्रश्न यह है कि यह 'कौम की बचत' का अर्थ क्या हुआ? घरेलू बचत को हमें ८ प्रतिशत से बढ़ा कर तृतीय योजना के अन्त तक ११ प्रतिशत तक ले जाना है। इस बात को असम्भव समझा जा रहा है। यदि यह कहा जाता कि वर्तमान आय का ३ प्रतिशत अधिक लिया जाये तो यह बात जरा दूसरी हो जायेगी। परन्तु हम नई आय का चौथाई भाग ले रहे हैं और इसका प्रयोग नये विकास कार्य में किया जायेगा। इसमें क्या गलती है। आप इस सम्बन्ध में देखिये कि विदेशों में क्या हो रहा है। हम आज तीसरी योजना के अन्त में ११ प्रतिशत की बात कर रहे हैं जब कि हमारे पड़ौस में जो देश हैं उनके यहां यह प्रतिशतता १५, १८, २० और २५ तक है। अतः मेरा निवेदन है कि योजना के आकार के सम्बन्ध में गलत अनुमान लगाया जा रहा है।

जहां तक विदेशी साधनों का प्रश्न है हम इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। परन्तु कुछ लक्ष्य सामने रख कर कुछ आधार तो बनाना ही पड़ता है। एक आशा रख कर चलना तो होता ही है कि अमुक कार्य अवश्य हो जायेगा और हम विदेशी सहायता को प्राप्त करने के लिये कड़े से कड़ा प्रयत्न करेंगे। इसी प्रकार योजना के आकार और साधनों के साथ साथ कीमतों का उल्लेख भी यहां किया गया है। यह महत्वपूर्ण बात है। यह ठीक है कि कीमतें काफी बढ़ गई हैं और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हम नहीं चाहते कि ये मूल्य और भी आगे बढ़े। विनियोग और विकास के कारण कुछ तो दाम बढ़ते ही हैं। परन्तु कीमतों का बहुत बढ़ जाना काफी परेशानी का कारण बन जाता है। गुजरे हुए हालात की पृष्ठ भूमि के साथ इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिये। इस दिशा में आज स्थिति क्या है? इस के लिये तीसरी योजना के अन्तर्गत जो लक्ष्य है उसे समझ लेना चाहिये। हम ने आय और कीमतों के सम्बन्ध में कुछ लचीले अनुमान लगाये हैं। यदि हमारा उत्पादन बढ़ गया तो हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह ठीक है कि विनियोजन और उत्पादन में कुछ अन्तर अवश्य रहता है। इस में एक सीढ़ी का फासला रहता ही है। यदि हम इसे अपेक्षित व्यवस्था करके पूरा कर ले तो कोई समस्या रहती ही नहीं। इस में भी एक शर्त है कि घाटे की अर्थ व्यवस्था का ठीक ढंग से नियंत्रण कर लिया जाये। घाटे की अर्थ व्यवस्था के आधार पर यह अनुमान नहीं लगाये गये। इस का अनुमान राष्ट्रीय आय के विकास, उत्पादन और कौम की धन सम्भरण की आवश्यकताओं को सामने रख कर लगाया गया है। इसे उसी स्तर पर रखना पड़ता है। घाटे की अर्थ व्यवस्था का अनुमान कड़े ढंग से नहीं लगाया जा सकता। प्रति वर्ष की स्थिति को देख कर अनुमान लगाया जाता है। हम इस बात को मान कर आरम्भ करते

[श्री नन्दा]

हैं कि घाटे की अर्थ व्यवस्था सुरक्षित सीमा होगी । अतः यह बात और उपभोक्ता सामान का इत्यादि के आधार पर ही हम इस दिशा में चल सकते हैं । इस बारे में हमें बहुत चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं कि हम सारी चीजों को विनियमित नहीं कर सके । सब कुछ कर सकना कभी भी सम्भव नहीं हुआ ।

हम ने यह भी कहा है कि अनाज, कपड़ा इत्यादि प्रतिदिन की आवश्यकता वाली वस्तुओं के दाम चढ़ने नहीं दिये जायेंगे । साथ ही हमें उन चीजों का भी ध्यान रखना है जोकि ऐश्वर्य की भी नहीं हैं और प्रतिदिन की आवश्यकता वाली भी नहीं । इस पर भी वे काम आने वाली चीजें हैं । अतः उन का भी ख्याल रखा जाना चाहिये । इस दृष्टि से सारी समस्या पर विचार होना चाहिये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ कारणों से कीमत बढ़ी हैं । कुछ प्रथम योजना से चली आ रही थी । घाटे की अर्थ व्यवस्था का प्रभाव भी था जोकि पीछे से चला आ रहा था । कुछ कृषि सम्बन्धी कठिनाईयां थीं और १९५७-५८ में अनाज का उत्पादन बहुत कम हो गया था । इस बात का निश्चित आश्वासन तो नहीं दिया जा सकता कि कीमतें बढ़ेंगी ही नहीं, परन्तु हम इसे रोकने का पूरा प्रयत्न करेंगे ।

कुछ चुनी हुई वस्तुओं के नियंत्रण का अर्थ केवल राशनिंग ही नहीं होता । कई प्रकार के वित्तीय नियंत्रण भी इस के अन्तर्गत आ सकते हैं । अब यहां फिर साधनों का प्रश्न आता है । यदि आप लागों की खरीद करने की क्षमता को छीनते हैं तो कीमतों के प्रश्न की कठिनाई थोड़ी कम हो जाती है । श्री मसानी तो चाहते हैं कि कीमतें बनी रहें । वह यह भी नहीं चाहते कि हम कर लगा कर लोगों की खरीद क्षमता को छीन लें । इस के दो प्रभाव होंगे । एक हमें साधन प्राप्त होंगे और दूसरे कीमतों को भी रोका जा सकेगा ।

आज हमारे पास आगे से अधिक गेहूं और चावल का स्टाक है । और हम इस समस्या को बड़े विश्वास के साथ हल करने का प्रयत्न कर सकते हैं । कुछ भी हो समस्या का प्रति सप्ताह पुनरीक्षण करना बड़ा आवश्यक है ताकि अपेक्षित कार्यवाही की जा सके । कीमतों को चढ़ने से रोकने के लिये सरकार जो कुछ भी सम्भव है कदम उठा सकती है वह उठा रही है । इस समस्या पर विचार करने के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक भी शीघ्र ही होने जा रही है । जो इस की जांच करेगी ।

सब से महत्वपूर्ण प्रश्न योजना को कार्यान्वित करने का है । इसी बात पर ही प्रधान मंत्री जोर देते हैं । यह ठीक है कि प्रशासन की मशीनरी में काफी सुधार हो चुके हैं परन्तु अब लक्ष्यों की वृद्धि के साथ साथ बहुत बड़ी मशीनरी की आवश्यकता होगी । अतः हमें अपने प्रशासन और प्रक्रिया को काफी सुधारना होगा । कार्यान्वित करने को ही प्रशासन नहीं समझ लेना चाहिये । विभिन्न नीतियों को निर्धारित करते समय हमें लोगों को भी साथ लेना होगा । गैर सरकारी नेतृत्व को भी उचित स्थान देना होगा । अर्थ व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिये गैर सरकारी नेतृत्व का भी बहुत महत्व होता है । जन सहयोग और सहकारिता को प्रोत्साहन देना होगा । हर दुकान पर जा कर नियंत्रण करना बड़ा कठिन होता है । यदि थोक कीमतों को ठीक किया जाता है तो परचून में हालत वैसी ही रहती है । अतः इस दिशा में सब से बड़ी बात यह है कि उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाये । यह काम सरकार का नहीं है, इसे लोगों को ही करना होगा । यदि वह ऐसा कर ले तो कीमतों की समस्या स्वयमेव हल हो जाती है ।

हर बात को करने का उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं डाला जा सकता । यदि सब कुछ सरकार को ही करना है तो सहयोग का क्या अर्थ हुआ । सहकारिता का आन्दोलन जन आन्दोलन है । सरकार उस की सहायता कर सकती है और करेगी । इस आन्दोलन द्वारा अच्छे लोग आगे आ सकते हैं । मैं सरकार तथा जनता में भेदभाव नहीं करना चाहता ।

†श्री महन्ती (ढेंकानाल) : मैं जानना चाहता हूं कि देश में सहकारिता का रिकार्ड क्या रहा है । क्या कोई कृषि सहकारी संस्था का निर्माण हुआ ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस दिशा में रिकार्ड बहुत शानदार रहा है । माननीय सदस्य को आंकड़े दिये जा सकते हैं ।

†श्री नन्दा : विभिन्न प्रकार की नीतियों को कार्यान्वित करते हुए देश की वास्तविक शक्ति का विकास करना ही योजना का लक्ष्य है । यह शक्ति चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक, देश की प्रगति का ठोस आधार है । देश कीं प्रतिरक्षा, लोगों के जीवन स्तर को उठाना, रोजगार की व्यवस्था करना और सांस्कृतिक प्रगति करते जाना, इस सब का आधार वही है । इस दिशा में मिल कर काम करने का वातावरण देश में पैदा करने की बड़ी आवश्यकता है । साथ ही उन बातों को भी हटाना है जिन में देश की प्रगति में रुकावट पैदा होती है । सब को यह समझ लेना चाहिये कि इस राष्ट्रीय उपक्रम को सम्मिलित शक्ति और ठोस कार्य करने से ही आगे बढ़ाया जा सकता है । हमारी सब की आकांक्षाओं का कार्यान्वित होना इस काम की सफलता पर ही निर्धारित है । इस दिशा में हम सब को ईमानदारी से प्रयत्नशील होना चाहिये । प्रगति का मूल्य तो देना ही होता है । आशा है कि राष्ट्र इस मूल्य को चुकाने में पीछे नहीं रहेगा ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या किसी संशोधन को अलग से मतदान के लिये रखने की आवश्यकता है ?

†श्री रंगा (तेनालि) : मेरा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा जाये ।

†श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैं अपने संशोधन संख्या ४ और ५ को वापस लेना चाहता हूं ।

†एक माननीय सदस्य : हम इस की अनुमति नहीं देते ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं पहले संशोधन संख्या १ को मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया ।

†अध्यक्ष महोदय : चूंकि इस संशोधन पर माननीय सदस्य मत विभाजन चाहते हैं, इसलिये इस पर ३ बजे मतदान होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, जिसे श्री मेहरचन्द खन्ना ने प्रस्तुत किया था :—

"कि निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : श्रीमान्, विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव मैं ने सत्र के अन्त में रखा था इस कारण मैं इस के पक्ष में कुछ न कह सका था । संशोधन विधेयक का महत्व ठीक से समझाने के लिये पुराने कानून की पृष्ठभूमि बताना आवश्यक है । उस तरह से हमें संशोधनों का ठीक ठीक पता चल जायेगा । इस विधेयक को राज्य-सभा ने स्वीकार कर लिया है ।

१९४७ में देश के विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान से भारत में जन-संख्या का तबादला हुआ था । पश्चिमी पाकिस्तान के सारे हिन्दू भारत आ गये थे । पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, बहावलपुर, बलोचिस्तान तथा सिंध में कुछ एक परिवार ही शायद रहे हों । सिंध को छोड़ कर वस्तुतः समस्त हिन्दू भारत आ गये थे । किन्तु हमारी विचारधारा कुछ और थी, इस कारण यहां की स्थिति भी भिन्न रही । हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है और आज भी भारत में करोड़ों मुसलमान हैं । पूर्वी पंजाब, राजस्थान के कुछ भाग तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों और दिल्ली को छोड़ कर शेष स्थानों से मुसलमान पाकिस्तान नहीं गये ।

परिणामस्वरूप हिन्दुओं की सारी सम्पत्ति पाकिस्तान में निष्क्रान्त सम्पत्ति बन गई और इधर चूंकि परिवारों में से कुछ ही लोग पाकिस्तान गये और शेष यहीं रहे तो उन की सम्पत्तियां अंशतः निष्क्रान्त सम्पत्तियां बनीं । इस कारण १९५१ में हमें एक कानून बनाना पड़ा । उस के अधीन हमें सामूहिक जायदादों में से निष्क्रान्त सम्पत्तियों का पृथक्करण करना पड़ा । यह विधेयक १९५१ में पारित किया गया तथा इस का नाम निष्क्रान्त हित पृथक्करण अधिनियम रखा गया । इस को बने अब ९ वर्ष का समय हो गया है । उसी अधिनियम के अधीन हजारों सम्पत्तियों के सम्बन्ध में निर्णय किया जा चुका है तथा कम्पीटेंट अधिकारियों के आदेशों से उन का पृथक्करण भी हुआ है । कुल मिला कर ७०,००० मामलों को निपटाया गया है । लगभग ११५,००० या १२०,००० मामलों में निष्क्रान्त सम्पत्तियों को अलग भी किया गया है ।

एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा हिस्सेदार को सम्पदा का मालिक होने की सुविधा भी दी गई है । हमारा उद्देश्य यही रहा है कि नियमों से बद्ध होने वाली जायदादों को छोड़ कर शेष भाग परिवार के पास ही रहने चाहियें । जिस समय यह कानून बना था तब यह किसी ने भी न सोचा था कि एक दिन यह समाप्त हो जायेगा । धारा ६ में यह व्यवस्था कि दावेदार से प्रार्थना पत्र की प्राप्ति पर या अभिरक्षक द्वारा दी गई जानकारी पर, कम्पीटेंट अफसर नोटिस जारी करेगा और फिर निर्णय कर के निष्क्रान्त हित को अलग कर देगा ।

इस विधेयक को लाने का उद्देश्य यह है कि गत ९ वर्षों में भारत में यदि कोई हिस्सेदार है जिसके रिश्तेदार पाकिस्तान चले गये हैं और उनका भी हिस्सा है तो उसे यह बात १९५१, १९५२, १९५३ तथा १९५४ में ज्ञात होनी चाहिए थी । इस अर्से में वे हिस्से का दावा कर

---

†मूल अंग्रेजी में

सकते थे । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विस्थापितों को मुआवजा देने के लिए हम ने अपने लोगों की सम्पत्ति पर कभी कब्जा करने की बात न सोची । १९५४ में हम ने अकेले ही निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी कानून को भंग कर दिया था । पाकिस्तान में, जहां कोई हिन्दू या सिख न रहा था, अब तक भी वैसा नहीं किया परन्तु हम ने केवल पांच साल के बाद ही ऐसा काम कर दिया था । हमारी इच्छा थी कि हमारे यहां के मुसलमान निश्चित होकर यहां बसें ।

जहां तक निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी कानून का सम्बन्ध है, पहले चाहे कितनी ही असामान्य स्थिति रही हो पर अब वैसी हालत नहीं है और उस कानून की आवश्यकता नहीं है । इसलिये इस संशोधन का उद्देश्य किसी व्यक्ति के हित पर आघात करना नहीं है ।

जो मामले सद्भावनापूर्ण थे और सच्चे थे और जिन में भारत के राष्ट्रजनों का हिस्सा था उनके निपटाने के लिए हम ने ९ वर्ष का समय दिया । मेरा यह उद्देश्य नहीं कि अब इस कानून का प्रवर्तन पूर्ण रूप से बन्द हो जाय । मैं अब भी हिस्सेदारों को ६ मास की मोहलत दे रहा हूं । राज्य-सभा में हम ने जब यह विधेयक रखा तो कुछ लोगों के कहने पर हम इस अवधि को एक वर्ष तक के लिए बढ़ा देने को तैयार हो गये । किन्तु यहां पर इस अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाने के लिए संशोधन रखे जा रहे हैं । मैं इनका कारण नहीं समझ सकता । हम पहले ही ९ वर्ष का समय दे चुके हैं और एक वर्ष और देने को तैयार हैं । इसलिये अब इन संशोधनों की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता । हां, यदि मंत्रालय को जारी ही रखना हो तो अलग बात है ।

संसद् की प्राक्कलन समिति ने स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की है कि अगले वर्ष तक इस मंत्रालय का सारा काम पूरा हो जाना चाहिए । इस कारण मैं केवल ६ मास की मोहलत देना चाहता था । फिर भी माननीय सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए मैं ने इस अवधि को एक वर्ष तक और बढ़ाने की अनुमति दे दी । सामान्यत: जब कोई सरकारी प्रस्ताव रखा जाता है मुझे उसे स्वीकार करने में काफी हिचकिचाहट होती है क्योंकि गलत या सही मैं यह समझता हूं कि यह सिफारिशें उन विचारों पर आधारित होती हैं जिनका सम्बन्ध विस्थापितों के पुनर्वास से इतना नहीं होता । किन्तु तब भी मैं ने उन्हें स्वीकार किया । किन्तु अब मैं समय को और बढ़ाने के लिए प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता । ऐसा करना प्राक्कलन समिति के निर्णय की अवहेलना करना होगा ।

पुराने कानून के अधीन कम्पीटैंट अफसर, विलम्ब सम्बन्धी त्रुटि को माफ कर सकते हैं और समय को बढ़ा सकते हैं । एक बार श्री दी० चं० शर्मा ने भी कम्पीटेंट अफसरों के काम की शिकायत की थी । अब मैं उनके अधिकार नियंत्रित करना चाहता हूं । मैं नहीं चाहता कि अफसरों को अबाध अधिकार प्राप्त हों । जब तक हमारे अधिकारों पर नियंत्रण नहीं किया जाता तब तक जनता तथा कुछ अन्य लोगों को यही गलतफहमी रहेगी कि इस मंत्रालय का जीवन बढ़ाया जा रहा है । इसी उद्देश्य को सामने रख कर मैं ने यह विधेयक रखा कि मेरे साथ ही कम्पीटेंट अफसरों के अधिकार भी कम कर दिये जायें । श्री अजित सिंह सरहदी ने बताया है कि इस विधेयक में एक बड़ी त्रुटि रह गयी है और वह यह कि जब कि दावेदार के लिए तो समय कम कर दिया गया है परन्तु अभिरक्षक के लिए कोई ऐसी रोक नहीं लगायी गयी है । यह सुझाव ठीक ही है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । अभिरक्षक के लिए भी वैसी ही रोक होनी चाहिए । यद्यपि विधेयक में ऐसी व्यवस्था नहीं है तथापि मैं सभा को स्पष्ट आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जितनी मोहलत इस दिशा में दावेदार को दी गयी है उतनी ही अभिरक्षक को दी जायेगी । उसका परिणाम यह होगा कि यदि आज आवेदन दिया जाय तो उसके निर्णय तथा पृथक्करण में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

थोड़ा समय लगेगा और तब वह सम्पत्ति प्रादेशिक सेटलमेंट कमिश्नर को जायेगी और वह देखेगा कि इसे किस तरह से नीलाम या आवंटित किया जायेगा। इसके बाद हम ने अपील की भी व्यवस्था की है तथा धारा ३३ के अन्तर्गत पुनरीक्षण की व्यवस्था भी है। परिणामस्वरूप इन कामों में काफी समय लग जायेगा।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

अतः मैं कह सकता हूं कि सभा को इस विधेयक के सिद्धान्तों पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि जो भी संशोधन यहां पर रखे गये हैं वे सब अवधि में वृद्धि करने के उद्देश्य से ही रखे गये हैं।

अतः मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह इसके महत्व को ठीक से समझे। समय की वृद्धि से किसी को भी कोई लाभ न पहुंचेगा। यदि प्रादेशिक सेटलमेंट अफसरों तथा कम्पीटेंट अफसरों के काम को बराबर जारी रखने का विचार हो तो अलग बात है। जहां तक हिस्सेदार का सम्बन्ध है उस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले ही उसे काफी समय दे चुके हैं और अब भी उसे काफी समय दिया जा रहा है। इस अवधि में ही वह अपना मामला सामने ला सकता है जिसे कानून के अनुसार निपटाया जा सकता है।

†सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†श्री डी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। वस्तुतः निष्क्रान्त हितों के पृथक्करण की कार्यवाही से देश में काफी भ्रष्टाचार फैल गया था। मैं जब कभी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं विस्थापित यही शिकायत करते हैं कि उनके हितों का ध्यान नहीं रखता। मैं उन से पूछा करता हूं कि उन्हें इस बात की खबर कब लगी तो वे यही कह देते हैं कि वे आवेदन देना भूल गये थे। कुछ लोगों ने यहां तक किया है कि वे पाकिस्तान जाकर कुछ दस्तावेज ले आये हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि अमुक सम्पत्ति में उनका हित है। इस तरह से लोगों ने जायदादों पर कब्जा करने के लिए हर तरह का काम किया है। मैं चाहता हूं कि देश के प्रत्येक आदमी के हितों की रक्षा की जाय परन्तु यह नहीं होना चाहिए कि जिस सम्पत्ति से मुआवजा दिया जाना हो उसमें भी लोग अपना हक जतलायें। तदापि मुझे प्रसन्नता है कि आखिर हमारे मंत्री महोदय जाग ही गये हैं।

मुझे विश्वास है कि इस विधेयक से पुनर्वास सम्बन्धी स्थिति अच्छी हो जायेगी तथा भ्रष्टाचार भी समाप्त हो जायेगा। इसका दूसरा लाभ यह होगा कि हम उन लोगों को मुआवजा दे सकेंगे जिनके दावे अभी पड़े हुए हैं।

इसके अलावा अधिकारियों की मनमानी भी बन्द हो जायेगी। पुनर्वास मंत्रालय के अधिकारियों ने कभी संतोषजनक ढंग पर काम नहीं किया। कुछ अफसर जनता को कठिनाई में ही डालते रहे हैं। जनता नित्यप्रति हमारे पास इनके व्यवहार की शिकायत करती है। पुनर्वास मंत्रालय के कुछ कर्मचारी हमारे पास सहायता पाने के लिए आये थे पर मैं ने उन्हें बताया कि

---

†मूल अंग्रेजी में

वे सहायता पाने कैसे आये जब कि हर रोज जनता उनकी शिकायतें करती है। खैर, मैं ने उनकी सहायता की। मुझे प्रसन्नता है कि इस कानून से कम्पीटेंट अफसरों तथा अभिरक्षकों के अधिकारों की समय-सीमा निर्धारित हो जायेगी। मैं चाहता हूं कि भविष्य में कार्य के निपटारे में विलम्ब न होना चाहिए।

अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा कर विधेयक और भी न्यायोचित बन जाता है। इससे ज्यादा मोहलत और दी भी क्या जा सकती है।

मैं आशा करता हूं कि इस कानून से जनता को न्याय मिलेगा।

†श्री साधन गुप्त (कलकत्ता पूर्व) : निस्संदेह इस समस्या का हल किया जाना वांछनीय है परन्तु यह कुछ सख्त कानून प्रतीत होता है। मुझे पहले तो एक वर्ष की मोहलत पर आपत्ति है और इसके बाद मैं यह भी नहीं समझ सका हूं कि धारा ७ के परन्तुक को किस कारण से हटा दिया गया है।

यदि सरकार पृथक्करण के काम को ही बन्द करना चाहती थी तो वैसे ही कह सकती थी कि अमुक तिथि के पश्चात् तत्सम्बन्धी आवेदन ग्रहण नहीं किये जायेंगे। किन्तु विधेयक में एक वर्ष की सीमा रखने की बात यह प्रकट करती है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिन में आवेदन नहीं हो सकते। ऐसी हालत में एक वर्ष की मोहलत काफी नहीं। एक वर्ष में तो जनता को यह भी पता नहीं चलता कि ऐसा अधिनियम बन चुका है या नहीं। इसी कारण मैं ने यह सुझाव दिया था कि दो वर्ष या १८ मास का समय रखा जाय।

यदि सरकार मेरा यह सुझाव मानने के लिए तैयार नहीं है तो माननीय मंत्री को यह आश्वासन अवश्य देना चाहिए कि वह इस विधेयक को प्रमुख पत्रों में विज्ञापित करेंगे। उन्हें सरकारी गज़ट पर भी भरोसा न करना चाहिए क्योंकि इसे अधिक लोग नहीं पढ़ते।

हमें इस विधेयक के तीसरे खंड के बारे में भी कुछ समझ नहीं आया। इस से कम्पीटेंट अफसर को समय सीमा के बाद आवेदन लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। यह बात सामान्य कानून के अनुरूप नहीं है। कुछ सच्चे मामलों के लिए सदा ही गुंजायश रखी जाती है।

यहां हम अपने राष्ट्रजनों के लिए ही कानून बना रहे हैं और हम किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति मुआवजे के बिना नहीं ले सकते। यदि इस विधेयक में इस सिद्धान्त का विरोध किया जाता है तो यह संविधान के विरुद्ध घोषित किया जा सकता है।

इस कानून का असर मुसलमानों पर पड़ेगा। आप जानते हैं कि मुसलमानों में उत्तराधिकार का कानून बड़ा पेचीदा है। पर्दानशीन औरतों के हक भी हो सकते हैं जो कि दूर रहती हों। इस तरह की सख्ती यदि की गयी तो लोग इस विधेयक पर आपत्ति करेंगे। इसलिये यह बात कम्पीटेंट अफसर को ही देखनी चाहिए कि गुणावगुणों के आधार पर किस मामले को लिया जाना चाहिए तथा किसको नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

श्री शर्मा ने कहा कि इस कानून से धोखेबाजी बन्द हो जायेगी। परन्तु इस बात को देखकर कि लोग धोखेबाजी करते हैं हम कानून को खराब नहीं कर सकते। कुछ लोग झूठे गवाहों की गवाही से दंडित हो जाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपराधियों को दंड ही न देना चाहिए। यदि किसी के सिर में दर्द हो तो क्या सिर कटाना ही उसका उपचार है। यह गलत तरीका है।

इस कारण मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि समय-सीमा के बारे में अच्छी तरह विचार करें और इस कानून को न्यायोचित बनाने के भरसक यत्न करें।

लाला अचिंत राम (पटियाला) : सभापति महोदय, यह जो बिल यहां पर आया इस को राज्य सभा ने पास कर दिया है। यह बिल स्वागत योग्य है। यह कहना मुनासिब नहीं है कि मैं हमेशा ही गवर्नमेंट को अपोज़ करता हूं। इस बिल को मैं कबूल करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस काम को एक्सपीडाइट किया जाये और इसके लिये जो इस बिल में एक टाइम लिमिट मुकर्रर की गई है, यह बहुत जरूरी है। इस का कारण यह है कि जो इवैक्वी प्रापर्टी रिलीज़ होगी, उस का ताल्लुक कम्पेन्सेशन से है और इस को रिलीज़ करने में जितनी देर लगेगी, उतनी ही ज्यादा देर इवैक्वी पूल की असली मिकदार का पता लगाने में होगी। अगर मुझे पता है कि मेरी जेब में एक रुपया है तो मैं उस के मुताबिक ही अपने हाथ बढ़ाऊंगा और अगर मुझे पता है कि मेरी जेब में चार आने है, तो उस के मुताबिक अपने हाथ मैं बढ़ाऊंगा। इसलिये इस बात का पता करना और इस का फैसला करना गवर्नमेंट के लिये बड़ा जरूरी है कि आज इवैक्वी पूल जो है वह किस हालत में है और उस का पता तभी लग सकता है कि जब जो सैपेरेशन इवैक्वी प्रापर्टी में होना है वह जल्दी से हो जाय और मामला साफ हो जाय। मैं इस बिल के बुनियादी तौर पर हक में हूं। यहां पर यह बात कई बार कही गई है कि इस डिपार्टमेंट को हमें वाइंड अप करना है। आज वैस्ट बंगाल की तरफ रिफ्यूजीज़ के रिसेटलमेंट का काम हो रहा है, उसे भी बन्द करना है लेकिन इस बिल का ताल्लुक तो ईस्ट पंजाब और वैस्ट पाकिस्तान से है। मैं समझता हूं जो चीज़ ओरिजनली कंसीवकी गई थी और जो यह कहा गया था कि छः महीने की टाइम लिमिट हो, वह एबसोल्यूटली कोरेक्ट थी। मुझे पता नहीं उस को क्यों बदल दिया गया। इसे देख कर मुझे अफसोस ही हुआ है। यह खन्ना साहब ने क्या किया है। मैं समझता हूं कि इस मामले में उन्होंने जल्दबाज़ी से काम लिया है। मैं इस एमेंडमेंट को अपोज़ करता हूं। मैं समझता हूं कि एक साल की जो टाइम-लिमिट रखी गई है, यह मुनासिब नहीं किया गया है। छः महीने की टाइम लिमिट बिल्कुल ठीक थी। जो अपील होती हैं, रिविज़न होती हैं अगर वे होती रहीं, वे चलती रहीं तो १९६२, १९६३ और १९६४ तक यह काम चलता रहेगा और इस का कुछ भी मतलब नहीं है। मैं इस बिल में खास तौर पर इंटिरेस्टिड हूं क्योंकि इस का ताल्लुक कम्पेन्सेशन के साथ है। जितना पैसा ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रिफ्यूजीज़ को कम्पेन्सेशन मिल सकेगा। मैं देखता हूं कि जो काश्मीर के लोग हैं, जो रिफ्यूजी हैं, उन को शिकायत है कि उन को काफी नहीं मिल रहा है। मैं ने आज अपनी डाक देखी तो उस में कई इस प्रकार की चिट्ठियां थीं जिन में इस बात की शिकायत की गई है। तो अगर रुपया इन के पास नहीं है, अगर इन का हाथ खुला नहीं है, तो ये कहां से दे सकते हैं। इस वास्ते मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब की जो पहली प्रोपोज़ल थी छः महीने की, उस को ही रखा जाय। दैट वाज़ ए वेरी प्रापर प्रोपोज़ल। आज मैं एमेंडमेंट मूव नहीं कर सकता हूं लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि मिनिस्टर साहब पहली बात पर ही स्टिक करें।

इस मिनिस्ट्री को वाइंड अप करना है यह बात तो ठीक है। नौ बरस उन को काफी मौका मिल गया कि वे अपने क्लेम दाखिल करा दें। मुझे दुःख है कि जो कम्पीटेंट आफिसर हैं वे बिल्कुल कुछ काम नहीं करते हैं। यों ही केसिस को लम्बा करते जाते हैं। अगर इसी तरह से केसिस को लम्बा किया जाता रहा तो वे भी कायम रहेंगे और उन को भी तनख्वाहें देनी पड़ेंगी। उन के पास कुछ काम नहीं है। तो साल के लिये, डेढ़ साल के लिये या दो साल के लिये अगर आप उन्हें रखते हैं और अधिक तो आप का जो खर्चा है वह बढ़ेगा और मैं इस में कोई विज़डम नहीं देखता हूं। पहले छः महीने की लिमिट थी, उस को एक साल किया गया। अभी किसी ने कहा कि इस को दो साल कर दिया जाये और दूसरे ने कहा कि तीन साल कर दिया जाय। शुक्र है कि किसी ने यह नहीं कहा कि इस को चार साल कर दिया जाय। इस टाइम को बढ़ाने में मुझे कोई सेंस मालूम नहीं पड़ती है। लेकिन अपने अपने खयाल होते हैं जो माननीय सदस्य यहां पर रखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो ओरिजनली कंसीव किया गया था देट वाज़ एबसोल्यूटली कोरेक्ट।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह एप्लीकेशन्स रिसीव करने के बारे में कहना चाहता हूं। इस में परमिशन की बात है। इस के बारे में जो कुछ आप करने जा रहे हैं वह ठीक है। वह राइट स्टेप है और जो लोग इस प्राविसो को बनाये रखना चाहते हैं, मैं उन का विरोध करता हूं। कहा गया है कि इनसैनिटी की बात है। अब नौ बरस इनसैनिटी को हो चुके हैं। यह इनसैनिटी कब तक बढ़ती चली जायेगी। इस की कुछ हद होनी चाहिये। मौका देने की भी कोई हद मुकर्रर होनी चाहिये। इस के लिये कहा गया था कि सिक्सटी डेज़ के बाद भी एप्लीकेशन्स को एंटरटेन किया जा सकता है। अब इस को भी अगर आप रहने देते हैं, इस प्राविसो को रहने देते हैं और इस चीज़ को बढ़ाते जाते हैं, तो यह हमारे लिये ठीक नहीं होगा।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो छः महीने की बात रखी थी वह ठीक थी और उस पर आप को स्टिक करना चाहिये था और अब भी अगर आप उस को रख सकें तो अच्छा होगा।

†श्री अजित सिंह सरहदी (लुधियाना): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि कलकत्ता के माननीय सदस्य संभवतया यह नहीं जानते कि निष्क्रान्तों के बारे में जो व्यवस्था हुई उस में समय-सीमा निश्चित की गई थी। दावे दाखिल करने तक के मामले में समय निश्चित किया गया था।

केवल यही एक अधिनियम ऐसा था जिस में किसी भी प्रकार की समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी और इस की काफी देर से जरूरत थी। जहां तक विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है मैं उस से सहमत हूं। परन्तु मुझे यह आशंका अवश्य है कि शायद इस से वह उद्देश्य हल न हो सके जिस के लिये इसे बनाया गया है। शायद मामलों का निपटारा शीघ्रतापूर्वक न हो सके।

इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि दावेदार अपने हक को अलग कराने के लिये कानून के लागू होने से एक वर्ष बाद तक आवेदन दे सकेगा। परन्तु अभिरक्षक भी तो कम्पीटेंट अफसर को ऐसी हिदायत कर सकता है। माननीय मंत्री ने कहा है कि वे अभिरक्षकों को समय-सीमा का पालन करने की हिदायतें दे देंगे परन्तु उन्हें शायद पता ही हो कि पंजाब उच्च-न्यायालय ने ऐसी हिदायतों को अमान्य घोषित कर दिया है। न्यायालय उसी चीज़ को स्वीकार करते हैं जो कानून ही का अंग

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अजित सिंह]

हों । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें इस मामले को अभी से अन्तिम रूप दे देना चाहिये । इसी के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विस्थापितों सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाओं को भी अब मर्यादित कर देना चाहिये ।

श्री शर्मा ने कहा कि लोग धोखा देते हैं परन्तु मैं उन की बात नहीं मान सकता । पाकिस्तान से लिखित दस्तावेज किस आधार पर प्राप्त हो सकता है । श्री साधन गुप्त ने सुझाव दिया कि इस कानून का विज्ञापन करना चाहिये । विज्ञापन की बात का मैं विरोध नहीं करता परन्तु उस तरह से हजारों झूठे मामले भी उठ खड़े होंगे । उस में यही खतरा है ।

†**श्री अमजद अली** (धुबरी) : माननीय मंत्री की कुछ बातें मेरी समझ में न आई । उन्होंने कहा है कि उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । परन्तु यह तो बताया ही नहीं गया कि वे कठिनाइयां क्या थीं ?

कम्पीटेंट अफसरों को आवेदन स्वीकार करने का जो अधिकार था वह स्वस्थ अधिकार था और उससे किसी को भी असुविधा नहीं होती थी । उससे जनता के सच्चे मामलों में ही न्याय ही होता था । इसलिये मैं समझता हूं कि यह अधिकार छीनना न्यायोचित नहीं है । कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन में लोगों को पता ही नहीं चलता ; उन के लिये न्याय की व्यवस्था रहनी चाहिये ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मुझे इस विधेयक के उपबन्ध समय-सीमा सम्बन्धी सामान्य कानून के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं लगते । वैसे तो विस्थापितों की समस्याओं को माननीय मंत्री ही ठीक तरह से समझते हैं परन्तु जहां तक इन उपबन्धों का सम्बन्ध है ये सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं ।

ब्रिटेन में हर एक आदमी को अपना हक प्राप्त करने के लिये १२ वर्ष की अवधि की मोहलत है । यदि एक आदमी को कुछ लोग घर से बाहर निकाल दें तो वह अभागा १२ वर्ष तक अपने हक की प्राप्ति के लिये आवेदन पत्र दे सकता है । अतः यह समय-सीमा बहुत ही कम है । वस्तुतः समय-सीमा ही का महत्व होता है ।

वस्तुतः विस्थापितों की समस्याओं को माननीय मंत्री ही अच्छी तरह से समझते हैं हमें इस का ज्यादा पता नहीं है । परन्तु मैं केवल इतनी प्रार्थना ही करूंगा कि १२ वर्ष की मियाद में कमी न की जाय । ६ वर्ष तो उस में से व्यतीत हो ही गये हैं । यदि यह कहा जाय कि सरकार इस मंत्रालय को शीघ्र बन्द करने के लिये ही ऐसा करने जा रही है तोभी कोई बात नहीं है । यह काम किसी दूसरे मंत्रालय को सौंपा जा सकता है ।

जनता को समय-सीमा के बाद भी अपना हक प्राप्त करने का हक होना चाहिये । इस कारण वह परन्तुक रखा जाना चाहिये । अवयस्कों आदि के मामले भी तो हो सकते हैं । कानून को सब के लिये व्यवस्था करनी चाहिय ।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : चेयरमैन साहब, जहां तक इस अमेंडमेंट बिल का ताल्लुक है मैं इस के क्लाज़ २ की तो हिमायत के लिये खड़ा हुआ हूं और क्लाज़ ३ की सख्त मुखालिफत के लिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

ज्यादा अच्छा होता अगर इस किहम का बिल लाने से पहले मिनिस्टर साहब कुछ आंकड़े भी हाउस के सामने रखते । मिसाल के तौर पर, इस बिल की अगर जरूरत है तो इसलिये कि मिनिस्ट्री का काम खत्म नहीं होता । तो अच्छा होता अगर हाउस को बताते कि कितनी कम्पोजिट जायदादें अभी बाकी हैं जिन के लिये आप यह बिल हाउस में ला रहे हैं । यह भी बताते कि दफा ६ के नीचे जो लोग एप्लीकेशन्स दे रहे हैं वह एप्लीकेशंस किस रफ्तार से आप के पास आ रही हैं पिछले साल में या इस महीने में, ताकि हाउस अन्दाजा लगा सके कि इस तरमीमी बिल की जरूरत है या नहीं । यह भी बताना चाहिये था कि दफा ७ के नीचे जो प्रोवाइजो है, जिस के बारे में अभी मुझ से पहले बोलने वाले मेरे साथी ने कहा है, और दूसरे साहब ने भी कहा है कि यह प्रोवाइजो डिलीट नहीं होना चाहिये । इस प्रोवाइजो के तहत कितनी एप्लीकेशन्स आयी हैं जिस से कि हाउस यह अन्दाजा लगा सके कि क्या इस प्रोवाइजो का गलत इस्तेमाल हो रहा है या क्या बात है । इन आंकड़ों के बग़ैर किसी किस्म का अन्दाज़ा लगाना मुश्किल है । जहां तक इस तरमीमी बिल की दफ़ा २ का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि यह छः महीने का पीरियड रहता, या जो अब राज्य सभा ने एक साल का पीरियड मान लिया है, इस में कोई फ़र्क नहीं है । मेरे लायक दोस्त श्री आचार को कोई ग़लतफ़हमी है । जहां तक इम्मूवेबल प्रापर्टी का ताल्लुक है, बारह बरस की मियाद तो आम तौर पर कानून में है अगर किसी ने क्लेम देना है, तो चूंकि १९४७ में डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज़ आये और इवैकुईज़ गये, इसलिए बारह बरस तो खत्म हो गये, बल्कि बारह बरस से भी ज्यादा हो गये । तो बारह बरस की आर्ग्युमेंट मुझे पसन्द नहीं है । इस लिहाज़ से जहां तक क्लाज़ २ का ताल्लुक़ है, मैं उस की मुखालफ़त नहीं, बल्कि हिमायत करता हूं । छः महीने रह जाता, तो अच्छा था । अब राज्य सभा ने एक साल कर दिया है, तो इस में कोई बात नहीं है ।

लेकिन यह जो प्रोवाइज़ो को डिलीट करने की बात है, मैं उस की सख्त मुख़ालफ़त करता हूं । मैं समझता हूं कि शायद इस हाउस के ज्यादातर मेम्बरान को इस की बैकग्राउंड का पता नहीं है कि किस तरह रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री के इनकाम्पीटेंट आफ़िसर्ज़ ने लोकल आदमियों की जायदादों को बग़ैर नोटिस दिये, या दफ़ा ६ के प्राविज़न्ज़ को बिल्कुल तहस-नहस कर के हड़पा है । दफ़ा ६ में लिखा है —

"ऐसे रूप में जैसे कि निर्धारित किया जाय :—

(क) सम्पत्ति में दावा करने वालों को एक सामान्य नोटिस;

(ख) तथा उन सब लोगों को भी नोटिस, जो कम्पीटेंट अफसर की राय में हकदार हों ।"

दो शर्तें थीं दफ़ा ६ में नोटिस जारी करने की । जब कभी भी काम्पोज़िट प्रापर्टी का सवाल हो, तो एक जेनरल नोटिस उस इलाके में दिया जायेगा और उस जेनरल नोटिस के अलावा एक व्यक्तिगत नोटिस, जितने भी हिस्सेदार, कोशेयरर्ज़ प्रापर्टी के हैं इवैकुई इन्ट्रेस्ट के अलावा, उन सब को नोटिस दिया जाये । मैं मिनिस्टर साहब से पूछता हूं कि क्या उन के आफ़िसर्ज़ ने जेनरल नोटिस दिये । क्या वह छाती पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि जेनरल नोटिस देने के इस प्राविज़न पर अमल किया गया ? मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्राविज़न को कतई तहस-नहस कर दिया और जेनरल नोटिस नहीं दिये ।

दूसरी शर्त यह है कि व्यक्तिगत नोटिस दिया जाये । कस्टोडियन के अलावा अगर दूसरी तरफ़ दस हिस्सेदार हैं, तो उन में से एक हिस्सेदार को नोटिस दे कर आप के महकमे ने काफ़ी

[श्री मू० चं० जैन]

समझा और बाकी नौ हिस्सेदारों को कतई नोटिस नहीं दिया। हो सकता है कि जिस हिस्सेदार पर नोटिस दिया गया, वह मर चुका हो। उस के लीगल रिप्रेज़ेन्टेटिव को फ़ाइल पर लाया नहीं गया और उस मुर्दे को नोटिस दे कर काफ़ी समझा गया और किसी ने क्लेम नहीं किया, तो दफ़ा ११ के मातहत काम्पोज़िट प्रापर्टी का काम्पोज़िट प्रापर्टीपना खत्म कर दिया गया और उस को इवैकुई प्रापर्टी समझ लिया गया। यह जुल्म किया है मिनिस्टर साहब के महकमे ने। उन के नोटिस में, महकमे के नोटिस में ऐसी हज़ारों मिसालें लाई गईं। महकमे के काम को खत्म करने के नाम पर लोकल आदमियों की हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपयों के जायदाद के हिस्से को महकमे ने ले लिया। एक एग्रीकल्चरल लैंड है। रेवेन्यु रिकार्ड्ज़ में दर्ज है कि उस के दस हिस्सेदार हैं। एक मुसलमान हिस्सेदार दर्ज है और नौ लोकल आदमी हिस्सेदार दर्ज हैं मैं खास तौर पर पंजाब की बात कह रहा हूं। महकमे को इस बात का क्या हक है कि सिर्फ़ एक हिस्सेदार को नोटिस दे कर—और वह इस में दिलचस्पी नहीं लेता है—बाकी के आठ हिस्सेदारों को नोटिस दिये बग़ैर, उस सारी की सारी जायदाद को इवैकुई बना ले और मालिक बन जाये। मुझे पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस महकमे को लिखा, काम्पीटेंट आफ़िसर को लिखा कि आप यह ग़लत बात कर रहे हैं, आप को चाहिए कि जेनरल नोटिस भी दें और व्यक्तिगत नोटिस भी दें। इस का कुछ असर हुआ, लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ़ से पंजाब गवर्नमेंट को हिदायत दी गई कि इन इंस्ट्रक्शन्ज़ को मत फ़ालो करो और एक ही नोटिस दिया जाना काफ़ी समझा जाये। इस तरह का अन्धेर इस महकमे ने किया है। इस के बावजूद वह यह चाहता है कि यह प्रोवाइज़ो भी उड़ा दिया जाये। अगर किसी भूले-बसरे बेचारे को पता चल जाये कि मेरी एक कम्पोज़िट प्रापर्टी है और उस पर नोटिस जारी हुआ है, लेकिन अगर उस को दो महीने के अन्दर पता न चले, जैसा कि प्राविज़न है, और दो महीने के बाद वह कहता है कि मुझे अब इस का पता लगा है, मेरे पास नोटिस नहीं गया है, नोटिस तो किसी और मेरे को-शेयरर को गया है, अब मैं आप की कचहरी का दरवाज़ा खटखटाता हूं, तो उस क्लेमेंट का वह हक भी आज लिया जा रहा है। कहां तक यह महकमा जुल्म करेगा?

जहां तक डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज़ के हित का सवाल है, इस से उन का कोई खास हित होने वाला नहीं है। मिनिस्टर साहब ने बंगाल के डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज़ का हाल देख लिया है कि वे कितनी उन की तारीफ़ कर रहे हैं। पंजाब के रेफ़्यूजीज़ कितनी तारीफ़ कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, उस सवाल को इस वक्त छोड़िये। लेकिन लोकल आदमियों के साथ वह बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इस बारे में एक किस्सा मैं ने पहले भी बताया था। आज मैं उस को टच नहीं करता हूं। हम ने देखा कि किस तरह से उन्होंने थर्ड पार्टी क्लेम्ज़ को खत्म कर दिया, जो कि करोड़ों की जायदाद थी, करोड़ों रुपये के कर्ज़े लोकल आदमियों के मुसलमानों पर थे। महकमे ने मुसलमानों की जायदाद पर तो कब्ज़ा कर लिया, लेकिन उन कर्ज़ों को नहीं लेने दिया। यह कहां का जस्टिस है? इस तरह के इनजस्टिस की एक एक मिसाल, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मातहत होती है, लोगों के दिमाग़ों में फ़्रस्ट्रेशन पैदा करती है और वह इनजस्टिस इस महकमे ने किया है। अब इस प्रावाइज़ो को उड़ा कर वह एक और इनजस्टिस करने जा रहा है। मुझे हैरानी है कि मेरे दोस्त, जिन में से कुछ बुज़ुर्ग वैस्ट पंजाब से आये हैं, इतना भी नहीं देखते कि लोकल आदमियों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। इस बात की बाबत तो वे कहते हैं कि कस्टोडियन से भी पावर्ज़ ले लो, लेकिन यह नहीं देखते कि प्रोवाइज़ो के डिलीट करने से लोकल आदमियों पर, जो काम्पोज़िट प्रापर्टी के को-शेयरर्ज़ हैं, कितना भारी अत्याचार किया जा रहा है। अगर यह प्रोवाइज़ो यूं का यूं रहे, तो अच्छा है। हालांकि यह महकमा जिस तरह से इस पर अमलदरामद कर रहा

है, उस में उस ने जुल्म की कसर नहीं उठा रखी है। अब इस प्रावाइज़ो को उड़ा कर क्या वह बिल्कुल ही उस को हद से गुज़ारना चाहता है ? क्या वह लिमिट को कतई तोड़ना चाहता है ? मुझे खुशी है कि यह तजवीज़ आई है कि मिनिस्टर साहब इस काम को खत्म करने की इतनी फिक्र में क्यों हैं कि उस को खत्म करते-करते इतने लोगों पर जुल्म किया जाये अगर उन का कोई काम बाकी रहेगा, तो वह कोई दूसरा महकमा करेगा। उन्होंने पचासों काम पंजाब में दूसरे महकमों के ज़िम्मे लगाये हैं, तो यह काम भी दूसरे महकमे के सुपुर्द किया जा सकता है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, तो पंजाब का रेवेन्यू डिपार्टमेंट काफ़ी मज़बूत और तगड़ा है। अगर शहरी जायदाद है, तो और डिपार्टमेंट इस काम को सम्भाल सकते हैं। इस काम को खत्म करने के बहाने जो ज्यादतियां उन के महकमे ने लोकल आदमियों के खिलाफ़ की हैं, वे इस तरमीमी कानून के तहत और ज्यादा हो जायेंगी। मैं चाहता हूं कि उन ज्यादतियों के करने में वह बराये मेहरबानी और ज्यादा हिस्सेदार न बनें, वर्ना जहां कुछ लोग उन को दुआयें दगे, दारीफ करेंगे वहां लोकल आदमियों की आह उन को बहुत नुकसान पहुंचायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं क्लाज़ ३ की मुखालफ़त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस क्लाज़ को इस बिल में नहीं रखेंगे।

†श्री ओझा (झालावाड़) : श्रीमान्, इस विधेयक के पहले खंड से मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। किन्तु जहां तक खंड ३ के परंतुक को हटाये जाने का सम्बन्ध है वह अनूचित है। हो सकता है कि कुछ लोग पुष्ट कारणों से निर्धारित समय में आवेदन न दे सकें तो क्या उनका हक सर्वथा छीन लिया जाना चाहिए ? माननीय मंत्री को अपने अधिकारियों को हिदायत कर देनी चाहिए कि वे इस खंड को न्याय की दृष्टि से देखें। किसी व्यक्ति के सारवान अधिकार को समाप्त करने से पूर्व हमें काफी कुछ सोचना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस परन्तुक को रखा जाय।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : सभापति महोदय, इस बिल में मैं ने एक एमेंडमेंट मूव की जिसके तहत मैंने चाहा है कि जो टाइम लिमिट रखी गई है, उसको तीन साल कर दिया जाये। माननीय मंत्री जी की तरफ से और साथ ही साथ कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से यह दलील दी गई है कि कुछ लोग हैं जो यह चाहते हैं कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट को क़ायम रखा जाये, और ज्यादा दिन तक इसको बरकरार रखा जाये। दूसरा तर्क माननीय मंत्री जी ने यह दिया है कि पाकिस्तान वालों ने बहुत पहले ही इवैक्वी प्रापर्टीज़, एज़ सच, डिक्लेयर कर दी हैं और उन पर जो कब्ज़ा है, वह लोगों को दिला दिया है। पाकिस्तान में बहुत सी चीजें हुई हैं जो कि मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई भी पसन्द नहीं करता और उनको ठीक नहीं समझता और न ही उनकी गलत बातों को ठीक समझा जाना चाहिये।

टाइम लिमिट बढ़ाने की क्यों जरूरत है, इसके बारे में मैं अब कुछ कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट जो है, उसके अन्दर बिल्कुल एक धांधली सी मची हुई है। वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, वहां पर कोई कानून नहीं चलता है, किस तरह से कानून पर अमल किया जाना चाहिये, इसको कोई जानता ही नहीं है और इतनी जालसाज़ी वहां हुई है कि कुछ ठिकाना ही नहीं। गावों के गांवों लोगों को रातों रात एलाट कर दिये गये हैं, रातों रात लोगों को ज़मीनों का कब्जा दिला दिया गया है। इस तरह की धांधली की बहुत सी मिसालें

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री सरजू पाण्डेय]

आपको मिल सकती हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि किसी कांग्रेस कमेटी के आफिस का कस्टोडियन ने फौरन ही रातोरात कब्जा दिला दिया है । इस तरह के वाकात बहुत बड़ी तादाद में हिन्दुस्तान के विभिन्न हिस्सों में हुए हैं ।

इस वास्ते मैं समझता हूं जैसी हमारे देश की हालत है उसको देखते हुए यह लाज़िमी है कि अगर आपने एक ही साल का और समय दिया तो बहुत सारे क्लेमेंट्स को मौका नहीं मिलेगा कि वे अपने दावे दाखिल कर सकें । आज नौ बरस बीन जाने के बाद भी बहुत से लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने कि अपने दावे दायर नहीं किये हैं और अब अगर आपने एक साल की टाइम लिमिट मुकर्रर कर दी तो बहुत से ऐसे लोग रह जायगे जो अपने दावे दाखिल नहीं कर सकेंगे । इस वास्ते यह जरूरी है कि इस टाइम लिमिट को बढ़ा कर तीन साल कर दिया जाये ।

अभी हमारे माननीय सदस्य श्री साधन गुप्त जी ने कहा कि वह अपनी एमेंडमेंट को वापिस लेने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि आप इस चीज़ का इतना प्रचार करें कि कोई भी व्यक्ति ऐसा न बच रहे कि जिसने अगर दावा दाखिल करना है, तो वह दावा दाखिल न कर सके । बहरहाल मैं तो यह चाहता हूं कि अगर आपने इस टाइम लिमिट को एक साल किया है तो इसको कुछ और बढ़ाइये ताकि लोगों को मौका मिल सके दावे दाखिल करने का । डिपार्टमेंट तो आपका आलरेडी है ही, यह बात नहीं है कि आपको कोई नया डिपार्टमेंट क्रियेट करना पड़ेगा। न ही यह बात है कि इस बिल के पास हो जाने से जो कस्टोडियन का डिपार्टमेंट है वह खत्म हो जाएगा और इससे न ही जो रिहैबिलिटेशन का सवाल है वह हल होता है । बहुत सी चीजें फिर भी बाकी बच रहती हैं जो कि आपको करनी हैं । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि मेरी एमेंडमेंट को मान लिया जाए ।

अब जो क्लाज़ ३ है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । आपने कहा है अगर कोई ऐसा केस होगा जिस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो तो उस पर पुनर्विचार किया जाएगा । लेकिन यहां पर तो तो आप सारे अख्तियारात छीन लेना चाहते हैं और उस सूरत में जब राइट ही नहीं रहेगा तो पुनर्विचार करने का सवाल ही कहां से पैदा होता है । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि उस प्राविसो को भी रहने दिया जाए ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि टाइम लिमिट को भी बढ़ाया जाए ताकि लोगों को मौका मिल जाये दावे दायर करने का, अगर उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है और साथ ही साथ सही जांच इस सब चीज़ की हो सके । आज तक होता क्या रहा है ? एक इंस्पेक्टर ने लिख दिया कि कोई आदमी पाकिस्तान चला गया है तो उसको बिना जाने बूझे फौरन अपने कब्जे में कर लिया गया है । बहुत ज्यादा धांधली हुई है इन सब मामलों में । इसलिये मैं अपील करूंगा कि जो सैक्शन ७ है और इसकी जो प्राविसो है, इसको तो रहना चाहिये और साथ ही साथ वक्त की जो लिमिट मुकर्रर की गई है उसको बढ़ा दिया जाए । । मैं यह भी मुनासिब समझता हूं कि अधिकारियों को समझा दिया जाए कि अगर कोई सही चीज़ उनके सामने आती हैं, तो लोगों को दावा करने का मौका दिया जाए ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : जनाबेवाला, मेरे माननीय मित्रों ने तकरीरें की हैं और मैंने उनको सुना है । ज्यादातर यह कहा गया है कि कस्टोडियन का महकमा अच्छा महकमा नहीं है, कम्पीटेंट आफिसर साहिबान जुल्म करते हैं, धांधली करते हैं और लोगों की जायदादों पर नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा कर लेते हैं। जब ये बातें कही जा रही थीं तो मैं समझ रहा था कि यह भी कहा जाएगा कि इस महकमे को

जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए बेहतर होगा। लेकिन यह कह चुकने के बाद, हमें बदनाम कर चुकने के बाद, हमारी ईमानदारी पर शक कर चुकने के बाद, ख्वाहिश क्या जाहिर की गई कि साहब कस्टोडियन को जिन्दा रखा जाए और जो कम्पीटेंट आफिसर हैं, उनके पास जो डिसक्रीशनरी पावर्स हैं, वे भी रहें

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : हम चाहते हैं कि आप सब जिन्दा रहें।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मुझे अफसोस इस बात का है कि ये बातें वुकला साहिबान ने कही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक बुरी चीज़ है तो उसको क्यों रखा जाए, उसको क्यों न खत्म कर दिया जाए, क्यों उस बुरे सिलसिले को आप जारी रखना चाहते हैं। कुछ हमारे वुकला साहिबान बम्बई से आए हैं, कुछ जनूब से आए हैं। लेकिन उनको यह भूल गया कि एक एबनार्मल सिचुएशन में, एक एबनार्मल ला बना था। अगर सिचुएशन नार्मल होती तो नार्मल ला कण्ट्री का मौजूद था। उसमें अपील की गुंजाइश भी है, दलील भी है, वकील भी है, जुरिसडिक्शन भी है और लिमिटेशन भी है। एक मिनिस्ट्री बनाई गई इसलिये कि हम काम को खत्म करें और उसके लिये कुछ क्वानीन बनाये गये और जैसे सरहदी साहब ने कहा कि साहब क्लेम देने के लिये एक मियाद मुकर्रर, रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट की एप्लीकेशन देने के लिये एक मियाद, कम्पेन्सेशन देने के लिये एक डेट मुकर्रर और उसका जो वक्त है वह मुकर्रर। तो एक कानून था जिसमें कम्पीटेंट आफिसर्स को हमेशा के लिये रखा गया था और पार्लिमेंट ने रखा था। उस वक्त मैं पार्लिमेंट का मैम्बर तो नहीं था लेकिन यह बात जरूर है जैसा शर्मा जी ने कहा है कि मैं सोया रहा नौ बरस। तो जो असली मुद्दा था वह यह था कि हमारे हिन्दुस्तान में जो मुसलमान नागरिक हैं, जिनका इस कम्पोजिट प्रापर्टी में हिस्सा है और उन्हें यह हिस्सा मिलना है, वह उनको मिल जाए। हम नहीं चाहते थे कि किसी किस्म की भी शिकायत हो उनकी तरफ से कि उनको काफी मौका नहीं मिला दावा दाखिल करने का। यह वजह थी कि हमने अपने भाइयों को आठ नौ बरस मौका दिया।

अब साधन गुप्त साहब तो यहां नहीं हैं लेकिन उन्होंने कहा कि साहब परदा नशीन कोई मुस्लिम औरत होगी जिसको मालूम नहीं होगा क्वानीन का। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह ख्याल कि मैं इस जायदाद को लेकर इसको निकासी पूल में डाल कर कुछ रिफ्यूजीज को ज्यादा देना चाहता हूं, गलत है। निकासी पूल जो है, वह मुकर्रर है, जो शरणार्थी हैं, उनकी तादाद मुकर्रर हैं, जो हमारे पास क्लेम आ चुके हैं वे हम जानते हैं और यह भी मैं जानता हूं कि ग्रेडिड कट के नीचे उसको क्या कम्पेसेशन मिलना है। इस गवर्नमेंट ने ८०/८५ या ९० करोड़ रुपया कम्पेन्सेशन देने के लिये अपनी गिरह से दिया है, अपने फण्ड में से दिया है। मेरे पास सौ करोड़ की निकासी जायदाद है और कम्पेंसेशन मुझे देना पड़ेगा १८०, १८५ या १९० करोड़ रुपया। तो वह सारा तो निकासी जायदाद से नहीं आता था। तो यह हमारा इरादा कतईन नहीं रहा कि किसी मुस्लिम भाई या किसी परदा नशीन बहन को पूरा मौका न मिले कि कानून के मुताबिक अगर वह हिन्दुस्तान का नागरिक है तो उसका हिस्सा चाहे पूरा है या निस्फ है, उसको वह हम से न ले।

दफा १६ के नीचे हमें यह अख्तियार दिया गया है कि हम हार्ड केस में किसी मुस्लिम भाई की दरख्वास्त को देख कर अगर हम मुनासिब समझें तो उसकी मियाद को छोड़ सकते हैं। हमने तकरीबन ३ करोड़ रुपये की जायदाद ४,००० केसिस में छोड़ी है। तो यह हमारा कतईन इरादा नहीं है कि हम किसी की जायदाद को नाजायज तौर पर लेना चाहते हैं।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि नौ बरस तक तो यह चीज़ चलती रही, नौ बरस तक कस्टोडियन भी रहा, कम्पीटेंट आफिसर भी रहे, आज एक हिन्दुस्तान का नागरिक जो है, जो कि हिन्दुस्तान में रहता है अगर नौ बरस तक उसको यही पता नहीं चला कि उसकी जायदाद कस्टोडियन के कब्जे में है और वह कम्पोजिट है तो साहब एक बरस और देने से क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है ? मैं आपको यह तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि मैंने एक साल इसलिये दिया है कि हमारे ऊपर किसी किस्म का ऐतराज न हो कि हमने यह कानून पास करवाया और कानून की आड़ लेकर हमने अपनी बहनों और भाइयों की जायदाद को, जो कि हमारे नागरिक हैं, नाजायज़ तौर पर ले लिया ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

साधन गुप्त साहब ने कहा कि हमें चाहिये कि हम इस कानून को पूरे तौर पर मुशतहर करें ताकि लोगों को इसका पूरी तरह से पता चल सके । शायद वह जानते नहीं हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो कि कानून बनायेंगी अपने आप । मेरा कानून तो सिर्फ दिल्ली पर लागू होगा । वह एक किस्म का टैम्पल है और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को अख्तियार होगा अपने कानून बनाने का और हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने कानून बनायेगी । वे चीजें स्टेट गवर्नमेंट्स के सामने आयेंगी । इस लिहाज़ से हर एक को यह पता लग जाएगा कि जो हमारा कानून बन रहा है उसकी क्या वजह है, क्या हम चाहते हैं । इसलिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो तरमीमें दी गई हैं, एक साल या दो साल या तीन साल की मैं उनको मानने के लिये तैयार नहीं हूं । बारह महीने की तरमीम को मैं मान चुका हूं और उससे मैं वापिस नहीं जाना चाहता । १८ महीने या २ बरस या ३ बरस इसको कर दिया जाए इसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि किसी कम्पीटेंट आफिसर्ज़ को जो डिसक्रीशनरी पावर दी गई थी आज से नौ बरस पहले, वह उनको दुबारा दी जाए ताकि उनका वे इस्तैमाल करें । मैं नहीं कहता कि बुरी तौर पर इस्तैमाल हुआ लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि यह मिनिस्ट्री खत्म हो, काम्पिटेंट आफिसर्ज़ भी खत्म हों, कस्टोडियन भी खत्म हों और इवैक्वी पूल भी खत्म हो । हमेशा के लिये यह चीज नहीं चलनी चाहिये और मैं चाहता हूं कि इसमें आप मेरी मदद करें और मेरा हाथ बटायें ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "खण्ड १ से ३, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव--जारी

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी प्रस्ताव पर श्री रंगा के संशोधन को मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया । सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ६, विपक्ष में २२१

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़सठवां प्रतिवेदन

†श्री सूरज सिंह (सविन.) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन से, जो २४ अगस्त, १९६० को सभा में उपस्थापित की गई थी, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक

†श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधि व्यवसायी अधिनियम, १८७९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधि व्यवसायी अधिनियम, १८७९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री हेम राज : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधान परिषद् (रचना) विधेयक

†श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यों की विधान परिषदों की रचना तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्यों की विधान परिषदों की रचना तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री श्रीनारायण दास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

†श्री अजित सिंह सरहदी (लुधियाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक

†श्री अजित सिंह सरहदी (लुधियाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

जल तथा वायु को दूषित करने से रोकना (संघ क्षेत्रों में) विधेयक

†श्री मूलन सिंह (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखानों की गन्दगी और निरर्थक पदार्थों से जल और वायु के दूषित किये जाने को रोकने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कारखानों की गन्दगी और निरर्थक पदार्थों से जल और वायु के दूषित किये जाने को रोकने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री झूलन सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

खान (संशोधन) विधेयक

†श्री झूलन सिंह (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खान अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खान अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री झूलन सिंह : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

कारखाना (संशोधन) विधेयक

†श्री झूलन सिंह (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कारखाना अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री झूलन सिंह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्रमिक दुरुपयोग (निषेध) विधेयक

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रमिकों का दुरुपयोग निषिद्ध करने तथा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि श्रमिकों का दुरुपयोग निषिद्ध करने तथा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री झूलन सिंह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

सामाजिक प्रथायें (व्यय में कमी) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय**: सभा अब श्री झूलन सिंह द्वारा १२ अगस्त, १६६० को प्रस्तुत निम्न-लिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :—

"कि सामाजिक प्रथाओं पर होने वाले व्यय में कटौती तथा उस से सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को ३१ दिसम्बर, १६६० तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जाय ।"

श्री झूलन सिंह अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : हमारे देश में विशेषतः हिन्दू लोग अपने सामाजिक रीति रिवाजों में बहुत अधिक अपव्यय करते हैं । अनिवार्य धार्मिक संस्कारों के अतिरिक्त भी कई प्रथाओं व रीति रिवाजों के सिलसिले में अनावश्यक व्यय किया जाता है, इस व्यय को बचाया जा सकता है और इसका उपयोग देश के विकास कार्यों के लिये किया जा सकता है । इस समय हम विकास कार्यों के हेतु रुपया जुटाने के लिये विदेशों से कर्ज ले रहे हैं या लोगों को बचत करने और मित-व्ययता करने के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं । लोक-सभा सचिवालय से प्रकाशित एक पुस्तिका में यह कहा गया है कि हम ने किन किन देशों से ऋण लिया । इस के अध्ययन से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम अमेरिका, रूस, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पश्चिम जर्मनी, जापान, फ्रांस, नौरवे, रूमानिया और जेकोस्लावेकिया इत्यादि देशों से ऋण ले चुके हैं । इस प्रकार हम १४४८ करोड़ रुपये ऋण के रूप में और ३२२ करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त कर चुके हैं ।

अतः क्या यह उचित है कि हम अन्य देशों से सहायता मांगते रहें और उन का मुंह जोहते रहें, जबकि हमारे देश मे ही पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं । मैं ने इस बात का हिसाब लगाने का प्रयत्न किया है कि हम लोग इन अनावश्यक प्रथाओं और रीतिरिवाजों में प्रति वर्ष १०,००० करोड़ रुपया व्यय करते हैं । यदि हम इस राशि को विकास कार्य में प्रयोग कर सकें तो हमें दूसरों के मुंह जोहने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(**श्री हेडा** पीठासीन हुए)

योजनाओं के सम्बन्ध में सभा में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अतः मैं इस मामले में अधिक नहीं कहना चाहता हूं । मैं केवल दो या तीन महत्वपूर्ण आंकड़े देना चाहता हूं । पहिली योजना में हम ने विदेशों से १८८ करोड़ रुपये की सहायता और ४२० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था की है । दूसरी योजना में अब तक सरकार १२०० करोड़ रुपये घाटे की अर्थव्यवस्था से और ८०० करोड़ रुपये विदेशी सहायता से प्राप्त कर चुकी है । अतः क्या यह उचित नहीं है कि वे इस देश में उपलब्ध संसाधनों का यथाशक्ति उपयोग करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि सामाजिक रीति रिवाजों में जो राशि व्यर्थ व्यय की जा रही है, उस के उपयोग का कोई तरीका निकाला जाय। मैं ने अपने विधेयक में यह विहित किया है कि प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के लिये विभिन्न रीति रिवाजों में व्यय करने की एक न्यूनतम राशि विहित कर दी जाय। यदि कोई व्यक्ति विहित सीमा से अधिक व्यय करता है तो उस के लिये मैं ने यह दंड विहित किया है कि वह अधिक व्यय की गई राशि से दुगुनी राशि जमा करेगा। यह दंड इस प्रकार का है कि इस से उस व्यक्ति का और सामान्य जनता का भी हित होगा।

मुझे विश्वास है कि यदि सरकार विधेयक में बताये गये तरीके से कार्य करेगी तो वह काफी बड़ी धन राशि एकत्र करने में सफल हो सकेगी, इस से हमें योजना को क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित कर दिया जाय।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सरजू पांडे (रसड़ा) : सभापति महोदय, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, इस में जो चीजें रक्खी गई हैं उन से मैं आम तौर पर सहमत हूं। यद्यपि मेरा यह ख्याल है कि सारी चीजें कानून के तहत लाने से काम नहीं चलता, किसी भी देश में हर चीज के लिये कानून बनाया जाय, यह ज्यादा अच्छी बात नहीं होती और न यह देश के प्रोग्रास के लिये ही ठीक है। कुछ बातों के लिये तो हमें यह भी मौका देना चाहिये कि जनता अपने तजुर्बे से सीखे, लेकिन यह बात सही है कि इतने लम्बे चौड़े अर्से के बाद भी शादी, पैदाइश, आदि जितनी चीजों का इस बिल में जिक्र किया गया है, उन में काफी रुपया खर्च किया जाता है। मैं नहीं समझता कि कानून इस को कहां तक रोक सकेगा क्योंकि पिछले दिनों इसी सदन में एक कानून पास किया गया दहेज को रोकने के लिये। उस कानून के पास होने के बाद भी, मैं अपने यू० पी० का तजुर्बा बतलाता हूं, कम से कम ३०, ३० और ४०, ४० हजार रुपया तक लोग अपने लड़के की शादी के लिये लेते हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : अभी पूरी तरह बिल पास नहीं हुआ है।

श्री सरजू पांडे : पूरी तौर पर नहीं पास हुआ है, लेकिन हो भी गया तो भी पता नहीं उस का क्या हश्र होगा।

एक माननीय सदस्य : कुछ तो फायदा होगा।

श्री सरजू पांडे : मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह से यह कानून भी बना तो इस से भी कुछ नहीं हो पायेगा। लेकिन इस में शक नहीं कि इस बिल के पीछे जो भावनायें हैं उन का आदर किया जाना चाहिये और ऐसे अखराजात पर रोक लगाई जानी चाहिये।

माननीय सदस्य ने एक तर्क दिया है कि ऐसे खर्चों को रोक कर उन से जो रुपया बचे उस को प्लैन पर खर्च किया जाय। यहां पर प्लैन के बारे में भी काफी डिस्कशन हुआ, इस से जो खर्चा बचेगा उस से पता नहीं हम कितना रुपया इकट्ठा कर पायेंगे, लेकिन यह बात सही है कि इस मे कुछ हद तक तो फ़ायदा होगा ही। इसलिये मेरी राय में ला मिनिस्ट्री को चाहिये कि इस सिलसिले में एक काम्प्रिहेन्सिव बिल वह इस सदन में लाये, और उस में इस बात की व्यवस्था की जाय। लेकिन यह जो बिल है जिस के बारे में कहा जा रहा है कि लोगों की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सरजू पांडे]

राय जानी जाय, इस में ऐसी कोई बात नहीं है जिस के बारे में लोगों की राय जानने में आपत्ति हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह बिल जनता की राय जानने के लिये सारे देश में सर्कुलेट किया जाय और साथ ही साथ इस सिलसिले में ला मिनिस्ट्री को एक कानून इस सदन में लाना चाहिये ताकि आज कल जिस तरह से इन चीजों पर रुपया खर्च हो रहा है वह रुक जाय और इस से लोगों में जो असन्तोष उत्पन्न हो गया है वह भी मिट जाय। लाजिमी तौर पर जिन के पास आज पैसा ज्यादा है वे उस को इन बातों पर खर्च करते हैं और इस बिल को पास करने से दूसरे लोगों के दिलों में जो जलन की भावना होती है वह भी खत्म हो जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि यह बिल पूरे देश में जनता की राय जानने के लिये भेज दिया जायेगा।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : मैं इस विधेयक का वैधानिक सिद्धान्तों के आधार पर विरोध करता हूं। विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि अनावश्यकीय व्यय क्या है, तथापि ऐसा करने वाले को दंड देने का विधान रखा गया है। यह विधि पारित करने का गलत तरीका है। यह उचित नहीं है कि विधेयक की प्रमुख वस्तु को निश्चित करने का काम किसी अधीनस्थ विधान अधिकारी या प्रत्यायोजित विधान अधिकारी को सौंप दिया जाय। अतः प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, तथापि मैं सिद्धान्ततः इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अंग्रेजी जबान के एक बड़े लेखक हुए हैं जिन का नाम था गोलिवर गोल्डस्मिथ। वे एक प्रकाशक के पास गये कि मेरी किताब को छापो। प्रकाशक ने कहा कि आप की किताब में क्या है। उस ने कहा कि मैं ने अभी किताब का नाम चुन लिया है, बाकी कुछ नहीं है किताब मैं अब लिखूंगा। तो किताब के नाम की बिना पर वह प्रकाशक के पास गये कि जनाब वाला, मेरी किताब को छापिये, और किताब के सफहे खाली थे। किताब के जो अध्याय थे वे नदारद। तो मैं आप से कहता हूं कि इस बिल को आखिर किस बात के लिये जनता के पास भेजा जाय? इस बिल को किस बात के लिये जनता की राय पूछने के वास्ते भेजा जाय? इस में जो सब से बड़ी चीज है वही नहीं है। वह यह कि आखिर अवायडेबल एक्स्पेन्डिचर है क्या चीज? अवायडेबल एक्स्पेन्डिचर का फैसला पीछे होगा, राय पहले मांगी जा रही है। यह तो ऐसा मालूम होता है जैसे गाड़ी को घोड़े के आगे रख दिया। आम तौर पर घोड़ा गाड़ी के आगे होता है लेकिन यहां उल्टी बात की जा रही है। तो मैं आप की सेवा में अर्ज करूंगा कि अगर आप ने इस बिल को जनता के सामने भेजा तो जनता कहेगी कि हमारे जो लोक सभा के सदस्य हैं वे कैसे बिलों की हिमायत करते हैं? यह लोक सभा के सदस्य जो हैं वे कैसे बिल हमारे पास भेजते हैं? या तो आप कुछ मुकर्रर करते कि अगर किसी की पैदाइश हुई तो उस पर इतना खर्च होना चाहिये, किसी की मंगनी हुई तो उस पर इतना खर्च होना चाहिये, शादी हुई तो इतना खर्च होना चाहिये और अगर किसी की मौत हो गई तो उस का कुछ खर्च नहीं होना चाहिये, कारपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी को उस का जिम्मा लेना चाहिये। अगर आप यह करते तो मैं समझता कि कोई बात हुई, लेकिन इस के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैं तो कहता हूं कि कोई जमाना था कि लोग बड़ी खुशियां मनाते थे जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता था, कोई जमाना था जब लोगों को पैसा दिया

---

†मूल अंग्रेजी में

जाता था जब किसी की शादी होती थी। कोई जमाना था जब अगर कोई बूढ़ा मर जाता था तो बड़ा जश्न होता था। लेकिन आज कल खुशी तब मनाई जाती है जब लड़का इम्तहान में पास होता है उस के लिये टी पार्टी होती है, किसी के लड़के को नौकरी मिल गई तो जश्न होता है, किसी को कोई और चीज मिल गई तो जश्न होता है, किसी को लाटरी मिल गई तो वह अलग पार्टी करता है, अगर ५०,००० रु० मिल गया तो उस में से ५,००० रु० खर्च कर दिया। इस तरह के खर्चे जो हैं उन को लोगों ने वैसे ही कम कर दिया है, अब इन खर्चों पर ज्यादा रोक लगाने की जरूरत नहीं है, अब तो खर्चे और जगहों पर होते हैं। मैं आप को बतलाऊं, अगर कहीं कोई भाई वजीर बन जाता है तो उस के लिये हर जगह, हर शहर में पार्टियां होती हैं। परमात्मा करे मेरे सारे भाई वजीर बन जायें और उन के लिये पार्टियां हों। मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है कि यह पार्टियां होती हैं। आज तो कोई भाई किसी म्यूनिसिपैलिटी में या कारपोरेशन में या विधान सभा में, विधान परिषद् में, लोक सभा में या राज्य सभा में चुने जाते हैं तो उन के लिये हर जगह पार्टियां होती हैं और बड़ा खर्च होता है। मैं तो कहता हूं कि उन के लिये आज शादियों से और दूसरी बातों से भी ज्यादा खर्च करते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि जो हमारे सामाजिक रिवाज हैं वह दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, कभी कहीं इम्फैसिस है कभी कहीं इम्फैसिस है, कभी किसी बात पर जोर है, कभी किसी बात पर जोर है। इस वास्ते इस बिल में बतलाया गया कि सोशल कस्टम सिर्फ तीन हैं, एक पैदाइश, एक मौत और एक शादी। बहुत कुछ और भी हो सकते हैं, अगर आप प्रेस्क्राइब करने लगेंगे उन को तो पता नहीं कितनी चीजों को प्रेस्क्राइब करना होगा। उन को रिकग्नाइज करने का मतलब यह है कि उन पर जो खर्च होता है उस को नैशनल लोन्स में लिया जाय। हम सब चाहते हैं कि हमारी कौम रुपया जमा करे ताकि हमारी प्लैन्स कामयाब हों, लेकिन यह कहना कि हम खुशी मनाना बिल्कुल छोड़ दें, थोड़ी बहुत जो खुशियां मना लेते हैं उन की जगह पर अपनी प्लैन्स को सपोर्ट करें, यह एक बड़ी अजीब बात है।

मैं आप को बतलाऊं, मैं एक गांव में जा रहा था अपनी कांस्टिटुएन्सी में। हमारे साथ और लोग भी थे। कुछ भाई वहां से निकल कर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्लियामेंट के मेम्बर हैं वह आ रहे हैं, उन की बात भी जरा सुनो। दूसरे लोग कहने लगे कि क्या बात सुनें उन की? वे भी यही कहेंगे कि बच्चे कम पैदा करो। हम लोग काफी बदनाम हो गये हैं कि हम जा कर लोगों से कहते हैं कि फैमिली प्लैनिंग करो। अब अगर यह बिल पास होगा तो लोग कहेंगे कि हम लोग वहां इस लिये गये हैं कि शादी में कम खर्च हो, या खर्च ही न हो। लड़का पैदा हो तो लोग खुशी न मनायें। पहले से ही हमारा नाम बहुत कुछ रौशन नहीं है, अब अगर इस मामले में कोई कानून बना दिया गया तो मेरा खयाल है कि हमारे लिये गांवों में जाना भी बड़ा मुश्किल हो जायेगा।

इस वास्ते मैं अर्ज करूंगा कि हमारे भाई जो हैं, जिन्होंने यह बिल रखा है, उनकी जो नियत हैं उस की मैं बड़ी तारीफ करता हूं। उनकी नियत बहुत अच्छी है, उनके विचार बहुत ऊंचे हैं और वे चाहते हैं कि जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं वे कम हों। वह चाहते हैं कि हमारा खर्च कम हो, लेकिन यह ठीक नहीं है।

सब से आखिरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम ने यह समझ लिया है कि हमारी जो भी कोई सामाजिक बीमारी है, जो भी हमारा किसी किस्म का दुःख है, उसका एक ही इलाज है, और वह इलाज यह है कि कानून बना लो। हमने अनटचेबिलिटी के सम्बन्ध में कानून बनाया, लेकिन क्या अनटचेबिलिटी खत्म हो गयी। अभी हमने उसकी रिपोर्ट पर डिसकशन किया है।

[श्री दी० चं० शर्मा]

क्या अनटचेबिलिटी खत्म हो गयी ? हर बात के लिए कानून बनाना और यह समझना कि कानून की मदद से हम हर एक कमजोरी को दूर कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। पहले राय आम्मा पैदा करनी चाहिए। उसके बाद हो सकता कि वह कमजोरी दूर हो। इसलिए मैं अपने भाई से कहूंगा कि मेरे प्यारे भाई, बजाये इस के कि तुम यह कानून हम से पास कराओ, हर एक पार्लियामेंट के मेम्बर को यह कहो कि जब यहां से छुट्टी हो और वह अपने हलकों में जायें, तो वहां जा कर कम से कम ५-६ लेक्चर इस सम्बन्ध में दें कि भाई इन चीजों पर कम खर्च करो। यह जब होगा तो मेरा खयाल है कि उससे हमारा कुछ न कुछ काम बनता जायेगा।

और मैं यह कहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट को बदनाम करने का सब से आसान तरीका यह है कि आप लोगों से कहें कि खर्च कम करो, और इस तरह से सामाजिक मामलों में दखल दें। किसी भी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए यह बहुत आसान खयाल है। तो मेरा यह भाई तो कांग्रेस का एक प्यारा है, कांग्रेस गवर्नमेंट का एक बाजू है, कांग्रेस गवर्नमेंट को पुष्ट करने वाला है, तो मैं कहता हूं कि मेरे भाई इस बिल को वापस ले ले। मेरा खयाल है कि ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जायेगा ये कुरीतियां दूर होती जायेंगी।

†**श्री कालिका सिंह** (आजमगढ़) : इस विधेयक के विरुद्ध मेरी पहिली आपत्ति यह है कि यह विधेयक संविधान के अधीन दी गई बुनियादी प्रत्याभूतियों का उल्लंघन करता है।

इस विधेयक के विरुद्ध मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि यह विधेयक शीर्ष और परिभाषा के पश्चात् तत्काल दंड पर आ जाता है, इसमें तीन महीने की सादी कैद या अपव्यय की राशि का दुगुना जमा करने की सजा दी गई है। खंड ४ में यह विहित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यह शिकायत कर सकता है कि अमुक समारोह में अपव्यय किया गया। इसका परिणाम यह होगा कि झूठी शिकायतों का तांता बंध जायेगा, और हमारे देश में जहां पहिले ही मुकदमों की संख्या बहुत अधिक है और भी बढ़ती चली जायेगी। इस विधेयक का यह नतीजा होगा कि झूठी शिकायत के आधार पर भी लोगों को सजा हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने उत्सवों या समारोहों के व्यय का हिसाब नहीं लिखता अतः प्रमाण के अभाव में उसे दंडित किया जा सकता है।

जहां तक उत्सवों का प्रश्न है जन्म, मृत्यु और विवाह के अतिरिक्त और भी बहुत से सामाजिक उत्सव होते हैं। उन के संबंध में भी विचार करना होगा।

वस्तुतः इन उत्सवों या रीति रिवाज़ों में जो कुछ भी अपव्यय होता है वह अधिकांश गांव के गरीब व्यक्तियों को ही मिलता है इस विधेयक से उनको ऐसे मौकों में जो थोड़ा बहुत मिलता था वह भी बन्द हो जायेगा। अतः इससे गरीब वर्ग के लोगों को भी हानि होगी, इस आधार पर भी मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : सभापति जी, इस विधेयक को उपस्थित करने के लिए मैं श्री झूलन सिंह को दो दृष्टियों से धन्वयाद देता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक तो यह कि उन्होंने ने इस विधेयक को उपस्थित करते समय इसको किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह हिन्दुओं पर लागू होगा या मुसलमानों पर लागू होगा या सिखों पर लागू होगा। उन्होंने इस विधेयक को अप ी सद्भावना के साथ सब के लिए उपस्थित किया है।

दूसरे मैं इस दृष्टि से इस विधेयक को उपस्थित करने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को उपस्थित करते समय सारा अधिकार सदन के या अपने हाथ में सीमित नहीं रखा है। वह चाहते हैं कि इसको देश की सम्मि. जानने के लिए प्रसारित किया जाए।

मैं समझता हूं कि ये परम्पराएं कोई साल दो साल में तो बनती नहीं। जिन परम्पराओं की ओर इस विधेयक में संकेत दिया गया है उनको बनने में शताब्दियां लगी हैं। लेकिन कुछ सामाजिक परम्पराएं ऐसी हैं कि जो हमारे स्वतंत्र होने के पश्चात् हमारे लिए भार बनती चली जा रही हैं। इस विधेयक के पीछे भावना यही है कि इस प्रकार की कुरीतियां जो हमारे लिए भार हो रही हैं, वे बन्द हो जाएं। हमारे देश में जो लोग आर्थिक दृष्टि से सबल नहीं हैं लेकिन कुछ सामाजिक परम्पराऐं ऐसी हैं कि उनमें उन लोगों को भी फंसना पड़ता है। यह विधेयक इस भावना से रखा गया है कि ऐसे लोग उस खर्च से बच सकें।

मुझे आश्चर्य है कि इस विधेयक के विरोध में यह कहा गया कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि सामाजिक प्रचार से ही उनको हटाया जा सकता है। उनके लिए कानून की शरण लेना आवश्यक नहीं है। यह सही है कि सामाजिक प्रचार से कुछ बातों में सुधार हो सकता है, लेकिन अगर यही व्यवस्था हो तो फिर आपको कानून को तो एक ओर उठाकर रखना होता क्योंकि जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं वे सब सामाजिक प्रचार मात्र से ठीक हो जायेंगी। कानून का आधार तो इसी लिए लिया जाता है कि जो परम्परा बहुत बिगड़ चुकी है उसमें कानून के सहारे सुधार किया जाए। आप देखें कि देश में अस्पृश्यता की बुराई चली आ रही थी उसके लिए कानून बनाया गया। ऐसी बात नहीं थी कि भूत ाल में इस बुराई को दूर करने के लिए किसी संगठन ने कार्य नहीं किया ताकि यह कलंक हमारे देश से दूर हो। किन्तु इस के लिए कानून की भी आवश्यकता अनुभव की गयी और कानून के जरिए भी यह चीज़ दूर होती चली जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि इस विधेयक के कानून बन जाने से इस दिशा में सुधार होने में कोई न्यूनता आ जाएगी।

एक बात को विशेष रूप से कह कर मैं सबल भाषा में इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं। सचमुच कुछ परम्पराएं बहुत बिगड़ चुकी हैं। देश में मृतक संस्कारों की परम्प ा कुछ चली आ रही है उसके पीछे कुछ ऐसी ही भावनाएं काम कर रही हैं। हमारी परम्परा के अनुसार जब आदमी का शरीरान्त हो जाता है तो हमारा उसके साथ तभी तक सम्बन्ध रहता है जब तक कि हम श्मशान में जाकर उसका दाह कर्म नही कर देते। और दो तीन दिन बाद गृह शुद्धि कर ली जाती है। लेकिन यह परम्परा बन गई है कि जब तक उसके बच्चे जीवित रहें तो आश्विन मास में जिस तिथि को उसकी मृत्यु हुई हो उस दिन उसका श्राद्ध करें। इसमें आज सामाजिक प्रचार से कुछ सुधार हुआ है लेकिन अगर इसके लिए कानून की व्यवस्था हो जाएगी तो उस सुधार को और अधिक बल मिलेगा।

मैं ने एक व्यक्ति को देखा कि वह अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे। और वह पुरोहित को एक चारपाई देना चाहते थे क्योंकि किसी ने उनसे कहा था कि जो तुम यहां दोगे वह स्वर्ग में

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

तुम्हारे पिता को मिलेगा। चारपाई और तो सब प्रकार से ठीक थी लेकिन बीच में वह बुनी नहीं थी। उसमें एक बान इधर से उधर तक और एक उधर से इधर तक लगा हुआ था। मैं ने कहा कि जब आप की यह चारपाई स्वर्ग जाएगी तो आपके पिता जी इसका उपयोग किस प्रकार करेंगे। उन्होंने कहा कि जाती थोड़े ही है, एक परम्परा का निर्वाह किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के खर्चों से भी लोगों को बचाने में इस कानून से कुछ सहारा मिल जाएगा।

इसलिए जो सामाजिक परम्पराएं हमारे लिए भार हो गई हैं और जिनके कारण कभी कभी हमको लज्जित भी होना पड़ता है और जिनको सहज ही नहीं हटाया जा सकता, कि उनको हटाने का उद्देश्य इस प्रकार के कानून से पूरा हो सकेगा। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को जनता की सम्मति जानने के लिए प्रसारित किया जाए और उसके बाद इस दिशा में सक्रिय पग उठाया जाए।

श्री ओझा (झालावाड़) : मैं इस प्रवृत्ति के विरूद्ध हूं कि हमें प्रत्येक विषय के लिये संसद् में विधान पारित करना चाहिये। यद्यपि यह सच है कि सामाजिक उत्सवों में तड़क-भड़क के लिये इतना व्यय करना उचित नहीं है। इस संबंध में हमें चाहिये कि हम उनमें इस प्रकार की सामाजिक भावना पैदा करें कि वे विवाह इत्यादि से संबंधित उत्सवों में इतना अपव्यय न करें। राज्य तथा केन्द्रीय मंत्रियों को इस संबंध में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये कि वे ऐसे उत्सवों में न जायें जहां इस प्रकार का आडम्बरपूर्ण अपव्यय होता है, आज कल यह फैशन चल पड़ा है कि लोग अधिकांश मंत्रियों को ऐसे अवसरों पर आमंत्रित करते हैं, यदि वे उनका बहिष्कार करना आरम्भ करें तो इसका पर्याप्त प्रभाव हो सकता है।

इस प्रकार के विधेयकों को जिनका लागू करना बहुत कठिन है, पारित करने से सामान्य जनता का विधियों के प्रति आदरभाव नहीं रहता है।

इस विधेयक के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों के लिये, उत्सवों में व्यय की एक सीमा विहित की जायेगी। समाज के विभिन्न वर्गों के अनुसार व्यय की सूची बनाना बहुत कठिन है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लेवें।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं उन माननीय सदस्यों से पूरी तरह सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि समाज सुधार करने का हमारा उत्साह संसद् में विधि पारित करने के रूप में व्यक्त नहीं होना चाहिये। यह ज्ञात होना चाहिये कि प्रत्येक सामाजिक बुराई का इलाज विधि पारित करने में नहीं होता है, क्योंकि विधि केवल विधिसंगत भाषा में उन भावनाओं को व्यक्त करती है जो समाज दूसरे रूपों में व्यक्त करता है। जब स्वयं समाज, जिस बात को यह ठीक या गलत समझता है उसे लागू नहीं कर सकता है तो भला सामाजिक विधान उस बात को कैसे लागू कर सकते हैं।

यह सामान्य समस्या उस प्रत्येक मामले में लागू होती है जहां आप एक सामाजिक बुराई को विधि बना कर हटाना चाहते हैं। विधि किस प्रकार प्रयुक्त होगी। उदाहरण के लिये इस विधेयक की योजना को ले लीजिये। इस बुराई को दूर करने की भावना से बहुत कम लोग असहमत होंगे। तथापि इस विधेयक को विधि बनते ही हमें अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह विधेयक सामाजिक प्रथाओं के संबंध में एक सीमा से अधिक व्यय करने पर प्रतिबंध लगाता है। सामाजिक प्रथाओं की परिभाषा यह की गई है कि वे जन्म, मरण और विवाह से

---

†मूल अंग्रेजी में

संबंधित धार्मिक संस्कार या उत्सव हैं। मान लिया जाय कि वह धार्मिक संस्कार या उत्सव नहीं है, केवल स्वागत समारोह है तो आप इसे उत्सव कहेंगे या संस्कार। दूसरे, धन राशि विहित करने की शक्ति सरकार की नियम बनाने की शक्ति के ऊपर छोड़ दी गई है। जनता के सभी वर्गों के लिये एकरूप सीमा किस प्रकार विहित की जा सकती है। जो मात्रा एक हजार रुपये कमाने वाले किसान के लिये अपव्यय कही जा सकती है वही मात्रा ५००० रुपये कमाने वाले व्यक्ति के लिये बिल्कुल उचित हो सकती है। हम सामाजिक तथा अन्य भोज समारोहों के लिये एकरूप सीमा विहित नहीं कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी स्थिति बहुत उपहासप्रद हो जायेगी।

यदि विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिये पृथक पृथक नियम और सीमायें रखेंगे तो इस विधेयक को लागू करने में बहुत कठिनाई उत्पन्न होगी। इसका तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हमें विभिन्न आय वर्गों पर नजर रखने की व्यवस्था करनी होगी। यह व्यवस्था उनके भोज समारोहों पर कड़ी नजर रखेगी। इस समय भी भारत भर में कई उत्सव और समारोह हो रहे होंगे। ४० करोड़ व्यक्ति जो ४०० हजार गांवों में फैले हुए हैं, उनके धार्मिक और सामाजिक उत्सवों पर कोई भी व्यवस्था नजर नहीं रख सकती है। किसी भी सरकारी व्यवस्था के लिये यह काम करना संभव नहीं है।

अंतिम विश्लेषण से यही ठीक प्रतीत होता है कि इसे व्यक्ति की अंतःप्रेरणा और सामाजिक बुद्धि पर ही छोड़ दिया जाय। यह भारी उत्तरदायित्व की भावना पर छोड़ दिया जाय जिससे कि हम शान शौकत और दिखावे के लिये अपव्यय करने को रोक सकें और हम देश के विकास कार्यों को करने के लिये रुपया बचा सकें।

अंततः यही बातें प्रभावशाली सिद्ध हो सकती हैं। यदि हम इसे विधि के जोर से लागू करना चाहेंगे तो इससे हमारा उद्देश्य असफल रहेगा। मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने कहा कि प्रत्येक विषय पर विधि पारित न की जाय। हम यहां केवल विधियां पारित करने के हेतु नहीं, अपितु प्रभावशाली तरीके पर काम करने के लिये भी हैं, जिससे कि हम रास्ते की कठिनाइयां दूर करते हुए प्रभावशाली ढंग से काम कर सकें।

अन्त में मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के विधेयक के बिल्कुल विरुद्ध है।

श्री झूलन सिंह : सभापति महोदय, जो मेरी आशा थी इस बिल को लाने में उसके खिलाफ बातें यहां पर नहीं हुई हैं। मैंने अन्दाजा किया था कि थोड़े से माननीय सदस्य यहां और उससे भी थोड़े लोग बाहर इस बिल के मकसद को ठीक तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे खुशी है कि इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस बिल को ठीक समझा और इस बिल की धाराओं के ठीक माने लगाये। जो ऐतराज कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये हैं, उनका उत्तर देने के लिये अब मैं खड़ा हुआ हूं।

मैं कभी भी इस भ्रम में नहीं रहा हूं कि सामाजिक सुधार सिर्फ कानून पास कर देने से ही हो सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा भाषण सुनने की तकलीफ की, उन्होंने देखा होगा कि मैंने सिर्फ इतना ही दावा किया था कि कानून बना देने से ज़रा हम उन सामाजिक सुधारों को कुछ उत्तेजना दे सकते हैं। माननीय श्री ओझा जी की सोशल कांशेंस की बात को भी मैंने सुना है और उसको समझा है। सोशल कांशेंस जागृत करने के लिये जो तरीके उपलब्ध हैं और जिनको लेकर लोग इस बारे में प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन सामाजिक सुधार का खयाल जैसा माननीय सदस्यों ने और सरकार की तरफ से भी कहा गया है तभी पूरा हो सकता है जब सोशल कांशेंस जागृत हो और उस सोशल कांशेंस को कुछ हद तक जागृत करने के लिये इस बिल के द्वारा पग आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है।

[श्री झूलन सिंह]

मेरे इस निर्दोष बिल में कुछ माननीय सदस्यों को यह गन्ध भी आई है कि मैं धार्मिक स्वाधीनता में बाधा डालना चाहता हूं। मेरे दिल और दिमाग के किसी भी कोने में यह बात कभी भी नहीं आई है और न मैंने इस किस्म की कभी कोशिश की है। मैंने लोगों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्त-क्षेप करने की कभी कोशिश नहीं की और न ही उनकी इस बारे में जो इच्छा है, उसको डिसटर्ब करने की कभी कोशिश की। मैंने स्पष्ट कहा है कि जहां तक धार्मिक पहलू का सम्बन्ध है मैं इसमें कोई बाधा डालना नहीं चाहता हूं। मैं इस बिल को सिर्फ सोशल रिफार्म की बात भी नहीं मानता हूं। माननीय ला मिनिस्टर साहब ने सोशल रिफार्म की जो बात सुनाई, मैं उनकी राय से सहमत हूं। लेकिन यह तो सिर्फ सोशल रिफार्म की बात नहीं थी, यह तो सोशो-इकोनोमिक रिफार्म की बात थी।

मैंने अपने भाषण में स्पष्ट बताया है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय चारों तरफ प्याला लेकर मांगते फिरते हैं और कहते फिरते हैं कि आप भी दे दो, आप भी दे दो ताकि हमारा प्लान चल सके। क्या यह शर्म की बात नहीं है ?

श्री न सिंहन (कृष्णगिरि) : कल उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है।

श्री झूलन सिंह : कोई भी मांगने वाला अपने को स्वाभिमानी से कम नहीं समझता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह हमारे देश के लिये प्रतिष्ठा की बात है कि जब हम चालीस करोड़ हैं तो हमारे प्रधान मंत्री और हमारे अर्थ मंत्री बाहर जाकर मांगते फिरें, चाहे वह दोस्ती के नाते मांगते फिरते हों, चाहे किसी और नाते। मैंने बताया कि चौदह सौ करोड़ रुपया या कितना रुपया लोगों ने दिया लेकिन उसका लाभ नहीं उठाया गया। क्या हमारे देश के लिये यह स्वाभिमान की बात होगी, कि पैसे को नाच, तमाशे, दोस्तों को खिलाने में हम खर्च करते फिरें। इम्तहान पास करने की खुशी में या मिनिस्टर बनने के बाद जो जलसा होता है, मैंने उसका जिक्र नहीं किया था। रोज़ लोग मिनिस्टर बनें, रोज़ जलसें करें, कोई झगड़े वाली बात नहीं है। लेकिन हिन्दुस्तान के लिये यह स्वाभिमान की बात नहीं होगी कि लोग नाच में, तमाशे में और धूमधाम में पैसा खर्च करते फिरें और हिन्दुस्तान के जो राजकाज चलाने वाले हैं वे कर्ज़ के भरोसे पड़े रहें और देखते रहें कि कब कर्ज़ मिलता है और कब हमारा काम चलता है। यह इज्जत की बात नहीं है।

स्माल सेविंग्ज़ के लिये आपका एक महकमा है। अकसर लोग घूमते फिरते हैं इसमें लोगों से रुपया लेने के लिये। सरकार का पब्लिसिटी का महकमा भी उसमें अपना योगदान देता है और वह भी प्रयत्न करता है। हम लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने तरीके से उसके लिये कोशिश करते हैं। पर क्या यहां बैठ कर पार्लियामेंट में हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम लोगों को यह कहें कि वे इस तरह से फिजूल पैसा खर्च न करें और अगर करेंगे तो उनको सज़ा होगी और यह चीज़ उनके ही हित में है, यह पैसा उनके पास ही जायेगा, वही इससे लाभान्वित होंगे ?

श्री कालिका सिंह : ये सेविंग्ज़ सरकार के पास कैसे पहुंच जायेंगी ?

श्री झूलन सिंह : आप जानते हैं कि सरकार के पास पैसा कैसे आता है। यह सब आपको पता है, मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूं। मैंने इसके बारे में अपनी टूटी फूटी भाषा में पहले बताने की कोशिश की है। आपके पास समझने की शक्ति है और उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिये। इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं।

इस सिलसिले में मैंने जो बातें कही हैं वे सच्चे दिल से और शुभ भावना से कही हैं ताकि इस देश का आर्थिक भविष्य उज्जवल हो और आर्थिक भविष्य ही उज्जवल न हो बल्कि हम स्वाभिमान से रह सकें। इस देश की आज़ादी भी चली गई थी, हम गिर भी गए थे लेकिन एक बात का हमें गर्व है कि हमारा नैतिक पतन बहुत हद तक नहीं हुआ और वह अभी भी नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर सारी चीज़ हमारी चली गई लेकिन हमारा मान और स्वाभिमान बना रहा तो दुनिया में फिर हम अपना स्थान हासिल कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में मैं चाहता था कि सरकार इस बिल को लोगों की राय जानने के लिये प्रचालित करती लेकिन मैंने देखा है कि सरकार को और कुछ दूसरे माननीय सदस्यों को कुछ इसमें संकोच हो रहा है, उनको दिक्कत मालूम हो रही है। मैं अपने मित्र श्री प्रकाश वीर शास्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल को सही माने में समझा है और उन्होंने इसका समर्थन किया है। मेरी भावनाओं की कद्र जिन अन्य माननीय सदस्यों ने की है, मैं उनका भी आभारी हूं।

मेरा इस बिल को लाने का जो मूल उद्देश्य था वह यह था कि मैं सरकार का तथा देश का ध्यान इस ओर दिलाऊं। साथ ही साथ मैं यह भी चाहता था कि सरकार के दिमाग में इस तरह की जो बातें हो रही हैं, उनको ठोंस दूं। मेरा यह जो ध्येय था वह काफी हद तक पूरा हो गया है। इसलिये मैं सदन से अनुमति चाहूंगा कि मुझे इस बिल को वापिस लेने की आज्ञा दे।

विधेयक, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वृद्धावस्था में विवाह पर रोक लगाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, बिल को पेश करने से पहले कुछ विचार इस सदन में जाहिर किये गये थे कि सोशल रिफार्म्स के सम्बन्ध में कोई बिल पेश करना या कानून बनाना एक बेकार सी बात है। इस सम्बन्ध में शारदा ऐक्ट और दूसरे कानूनों का और अभी जो बिल डाइवोर्स के सिलसिले में पास किया गया है, उनका भी जिक्र आया। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि भले ही इन कानूनों पर सख्ती के साथ अमल न हो सके, लेकिन कानून तो अपनी जगह मौजूद रहेगा और उसका इस्तैमाल भी अगर किसी समय हो गया तो दूसरे लोगों के लिये वह एक सबक बन सकता है। इस तरह के कानूनों की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जहां अपनी ओर से कोई आदमी सुधार नहीं चाहता, या उन को पसन्द नहीं करता। ऐसे लोगों के लिये कुछ थोड़े से कनून की जरूरत होती है। इस लिये मैं चाहूंगा कि सोशल रिफार्म्स के सिलसिले में इस तरह के कानून बने।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मैं कहना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है कि ५० साल से ऊपर के लोगों को, जो कमजोर हो जाते हैं, शादी करने की इजाजत देना समाज में एक विषमता पैदा करना है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : और जो २६ सालों में कमजोर हो जाते हैं ?

श्री मोहन स्वरूप : शादी का जहां तक सवाल है, इसका एक बहुत पुराना इतिहास है। जिस समय दुनिया में कुछ नहीं था, अन्धकार था, ईश्वर ने एक मानव को पैदा किया। थोड़े दिन तक उस

[श्री मोहन स्वरूप]

मानव को इस तरह की सहूलियत दी गई, खाने की, पीने की, पहनने की, सोने की, लेकिन उसने विधाता से कहा कि अकेले रहते हुए मेरा दिल नहीं लगता है, कोई दूसरा प्राणी और भी चाहिये। तब पुराणों की कथा के अनुसार, विधाता के उस मानव को, जो कि प्रथम मानव था, सुला दिया। नींद में उसके शरीर के दो हिस्से किये गये और एक हिस्से को स्त्री और दूसरे हिस्से को पुरुष बना दिया गया। पुरुष का नाम मनु रखा गया और स्त्री का नाम शतरूपा रखा गया। कहते हैं कि रहते रहते दोनों में झगड़ा शुरू हुआ और दोनों फिर विधाता के पास गये। उन्होंने कहा कि इस झगड़े का निपटारा करो, तुम जाओ और झगड़े को खत्म करो। मनुष्यों और दूसरे पशुओं में सेक्सुअल इम्पल्स होता है। इन्सान एक सोशल बीइंग है। उसके साथ सेक्सुअल इम्पल्स भी होता है। इसी तरह से शादी एक महत्वपूर्ण चीज है। इसी के साथ साथ बाइबल में भी आदम और हव्वा का किस्सा मशहूर है। आदम बनाया गया और हव्वा बनाई गई। जब हव्वा के कहने से आदम ने निषिद्ध फल खा लिया तो दोनों को जन्नत से निकाला गया। इस तरह से मालूम होता है कि शादी का जो सम्बन्ध है, शादी की जो सहूलियत है, वह बहुत अर्से से है। ज्यों ज्यों दुनियां बढ़ती गई, आदम और हव्वा की सन्तानें, मनु और शतरूपा की सन्तानें बढ़ती गईं त्यों त्यों लीगलाइज्ड वे में सेक्सुअल इम्पल्स को रोकने के लिये शादी का सिलसिला जोड़ा गया। शादी का जहां तक सवाल है, हिन्दू ला और हिन्दू संस्कृति में वह एक सैक्रामेंट है, वह एक कंट्रैक्ट नहीं है जैसा कि ईसाइयों में है और दूसरी जगहों पर है। उनके यहां एक कंट्रैक्ट होता है, किसी अदालत में गये और दोनों ने कंसेंट दी और शादी हो गई। लेकिन हिन्दू समाज में और हिन्दू सभ्यता के अनुसार शादी एक सैक्रामेंट है, एक बन्धन है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से जो शादियां होती हैं और शादी के सम्बन्ध में जो खराबियां पहुंच जाती हैं, वह समाज में विषमता पैदा करती हैं।

एक बार सिकन्दर ने अरस्तु से पूछा कि रति प्रसंग कितनी बार होना चाहिये। अरस्तु ने कहा कि सिर्फ एक बार और वह भी बच्चा पैदा करने के लिये, आनन्द के लिये नहीं। इसी तरह से एक बार रुस्तम से, जो कि ईरान का बहुत बड़ा ताकतवर पहलवान था, उस के बेटे ने कहा, उस के बेटे का नाम सोहराब था, और वह अपने जमाने का मशहूर ताकतवर था, कि मेरा मन नहीं लगता है, एक भाई मुझे और चाहिये। तो रुस्तम ने कहा कि मेरी एक टांग तो कट चुकी है, क्या अब दूसरी टांग भी कटवाने का इरादा है? इस का मतलब यह था कि इतनी शारीरिक शक्ति तो मैं दे चुका, उस के बाद दूसरी बार अपनी शक्ति नहीं देना चाहता। इस तरह से शादी का एक महत्व है और उस को किसी तरह से खराब तरीके से इस्तेमल नहीं होना चाहिये। बूढ़े को, पंगु को और कमजोर को कोई हक नहीं है कि शादी कर के गलत तरीके इस्तेमाल करे।

ठीक है, एक दोस्त ने भी कहा कि बुड्ढों को भी हक है शादी का। कई बार लोगों ने कहा कि शादी इसलिय होती है कि खाना पकाया जा सके और गृहस्थी का काम चल सके। यह क्या कोई खिलवाड़ है, मजाक है? खाना पकाने के लिये शादी नहीं होती। इस के लिये कुक मिल सकता है, गृहस्थी का काम सम्भालने के लिये मुलाजिम मिल सकता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ५० सालसे ऊपर के आदमी के लिये किस लिये स्त्री चाहिये? शादी का मतलब क्या है?

जहां तक उम्र का सवाल है, १२ साल की लड़की के गर्भ रह सकता है, ऐसी डाक्टरों की राय है। इस के साथ साथ १५ वर्ष का लड़का भी इस काबिल हो जाता है कि वह गर्भ धारण करा सके।

जहां तक हिन्दुस्तान में आदमियों की एज का सवाल है वह ६० और ७० साल के बीच में है। हिन्दुस्तान में १८ से २१ साल तक की उम्र तक शरीर में कुव्वत और स्फूर्ति रहती है। उस के बाद शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती और ५० साल के बाद तो आदमी बिल्कुल बेकार, बुड्ढा और कमजोर होने लगता है। यह इस वक्त हिन्दुस्तान का ढंग है। पहले शायद कभी १०० बरस तक लोग जिन्दा रहते हों, लेकिन आज तो हिन्दुस्तान में १०० बरस तक के आदमी ज्यादा नजर नहीं आते।

इसी के साथ साथ एक चीज और भी है कि डाक्टरों की राय के मुताबिक स्त्री ४५ वर्ष तक ही गर्भ धारण कर सकती है। ४५ साल के बाद उस के बच्चा नहीं होता। इस तरीके से ५० वर्ष के बाद वह भी बेकार हो जाती है। इसी तरह से ऐसी अवस्था में, ५० साल का आदमी शादी करे तो नतीजा यही होगा कि थोड़े दिनों के बाद, दस बरस के बाद वह मर जायगा और एक बेवा को छोड़ जायेगा। बहुत से ऐसे वाकयात देखे जाते हैं।

बुड्ढों की शादी की कई एस्पेक्ट्स हैं। कुछ शादियां तो इस कारण हो जाती हैं कि वर महोदय धनवान होते हैं और लड़की का पिता बहुत गरीब होता है, धन का लालच देकर वर महोदय लड़की के मां बाप को राजी कर लेते हैं और शादी हो जाती है। ज्यादातर केसेज़ में ऐसा ही होता है। नतीजा यह होता है कि वर की मौजूदगी में ही इस तरह की नौजवान लड़कियां कुलटा हो जाती हैं और समाज के लिए कलंक बनती हैं। या दूसरी चीज यह होती है कि दस बरस के बाद जब वर महोदय दुनिया से चल बसते हैं तो वह एक बेवा की शक्ल में संसार में जीवन बिताने के लिए मजबूर हो जाती है।

एक चीज और काबिले गौर है। फैमिली प्लानर्स ने यह तै कर दिया है कि जो बच्चे हों वह चालीस साल की उम्र तक पैदा हों ताकि बाप के ६० साल का होने तक वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अगर कोई बच्चा ५० साल की उम्र में पैदा होगा तो वह अपने बाप के साठ साल का होने तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पायेगा और अगर पिता खत्म हो जाता है तो ऐसे बच्चों को दूसरों का मुंह देखना पड़ता है और दूसरों का आसरा ताकना पड़ता है। इसलिए इस चीज पर गौर करने की आवश्यकता है।

इसी के साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एक गरीब देश है। यहां पर खाने पीने की बहुत कमी है। अभी हमारे दोस्त झूलन सिंह ने एक बिल रखा। उसकी अवहेलना की गयी, उसका मजाक उड़ाया गया। कहा जाता है कि देश में खाने पीने की चीजों की कमी है। इसी लिए परिवार नियोजन पर जोर दिया जा रहा है ताकि बच्चों की संख्या में कमी की जा सके। इसका कारण यह है कि आबादी बढ़ रही है। हिन्दुस्तान में हर साल ५० लाख आबादी बढ़ जाती है, दो साल में एक करोड़ आदमी बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि सन् १९६२ तक हिन्दुस्तान की आबादी ४२ करोड़ हो जायेगी और उसी के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि खाद्यान्न की भी कमी हो जायेगी। कहा जाता है कि ९ लाख टन गल्ले की उस वक्त कमी होगी। तो ऐसी स्थिति में जब कि आबादी बढ़ रही हो, जब कि खाद्यान्न की कमी हो, मुल्क गरीब हो, और फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया जा रहा हो, तो यह कहां तक मुनासिब है कि ५० साल से ज्यादा उम्र वाले शादी करने के ख्वाब देखें। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता।

[श्री मोहन स्वरूप]

सरकारी आंकडों द्वारा बताया गया कि गरीब लोगों में ७२ प्रतिशत लोग ऐसे हैं कि जिनके आधे दरजन से अधिक बच्चे हैं। भारत में बहुत ज्यादा बच्चे मर जाते हैं। एक लाख में से करीब ८० हजार बच्चे ५ साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। इसी के साथ बहुत सी गर्भिणी स्त्रियां भी मरती हैं। मेरे पास फिगर हैं। सन् १९५५-५६ में भारत वर्ष में ६,१७,६२८ गर्भिणी स्त्रियों की मृत्यु हुई। ये स्त्रियां कमजोर होने के कारण मरती हैं। बच्चा पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली शरीर चाहिए। जब स्त्रियां कमजोर और शक्ति विहीन होंगी तो बच्चे ख्वाहमख्वाह मर ही जायेंगे। यह स्थिति है कि बच्चों की मृत्यु संख्या बढ़ रही है, गर्भिणी स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है, और ५० साल से अधिक के महाशय शादी की बात सोचें। आज मुल्क फैमिली प्लानिंग की बात सोच रहा है और वह इस उम्र में शादी की बात सोच रहे हैं।

एक माननी सदस्य : वह ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, फिर आप को क्या ?

श्री मोहन स्वरूप : कहा जाता है कि आरटिफिशियल साधनों से परिवार नियोजन हो। एक बार गांधी से मिलने एक महिला मारगरेट सिंगर १९३६ में आयी थी। वह आरटिफिशियल फैमिली प्लानिंग में एक्सपर्ट (कृत्रिम परिवार नियोजन में विशेषज्ञ) थीं। वह जापान गई थीं और दूसरे मुल्कों मे भी गई थीं और हिन्दुस्तान भी आयी थीं। उन्होंने गांधी जी से इस विषय पर बातचीत की। गांधी जी ने कहा कि ऐसा करने का अर्थ होगा कि हम समाज में विषमता पैदा करें। हमारी पुरानी परम्परा ब्रह्मचर्य की है जिसके द्वारा वीर्य को रोकना चाहिए। अगर हम उस परम्परा को छोड़ देंगे तो देश में करप्शन बढ़ जायेगा। आरटिफिशियल फैमिली प्लानिंग का यही मतलब है। गांधी जी ने यह मिसाल दी थी कि अगर किसी किसान से यह कहा जाये कि जो उसके पास उम्दा बीज है गेहूं का उस को वह चट्टान पर बो दे, तो यह आरटिफिशियल फैमिली प्लानिंग की बात भी वैसी ही होगी। आज इस के लिए क्लिनिक्स खुले हैं। मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार लोगों से कहा जा रहा है कि तुम और ज्यादा इस तरह की बातें करो क्योंकि बच्चा तो होना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इससे और ज्यादा व्यभिचार बढ़ेगा, इससे व्यभिचार को और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो मेरा कहना है कि अगर हिन्दुस्तान को जिन्दा रहना है और उसको अपनी परम्पराओं के मुताबिक चलना है तो चरित्र पर बल होना चाहिए।

हमारे यहां हिन्दुस्तान में जिन्दगी के चार स्टेजेज़ बनाये गये थे। एक स्टेज तो ब्रह्मचर्य की थी जो कि २५ साल तक रहती थी। उस समय तक उस्ताद लड़कों को पढ़ाते थे। २५ वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम शुरू होता था। गृहस्थ आश्रम ५० साल तक चलता था, और उसके बाद वाणप्रस्थ शुरू होता था, और उसके बाद आदमी भगवान की याद किया करता था। यह हिन्दुस्तान की वैदिक एज की परम्परा थी। उसके अनुसार भी ५० बरस के बाद शादी करना उन परम्पराओं की अवहेलना करना है, उनका मजाक उड़ाना है।

जहां तक सैक्सुअल सैटिसफैक्शन (काम संतुष्टि) का सवाल है वह सिर्फ सन्तान उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए। अगर सन्तान की उत्पत्ति के अलावा भी उसका कुछ मतलब है, तो मैं निहायत अदब से कहूंगा कि वह इन्सानियत के खिलाफ, सभ्यता के खिलाफ और समाज के खिलाफ एक घोर अत्याचार है।

श्री स० मो० बनर्जी : जो आप कह रहे हैं उसको मानते हैं ?

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि इस बिल के लिए केवल एक घंटा दिया गया है और माननीय सदस्य ने अब तक २२ मिनट ले लिये हैं। और भी दूसरे लोग इस पर बोलना चाहेंगे।

श्री मोहन स्वरूप : चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट ऐक्ट (बाल विवाह रोक अधिनियम) १६२६ में धारा ३-४ के अन्तर्गत यह कहा गया है कि अगर वर १८ साल से ऊपर और २१ साल से नीचे है और वह किसी नाबालिग वधू से, जिसकी उम्र १५ साल से कम है, शादी करता है तो १५ दिन की सजा और एक हजार रुपया जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर पचास साल का आदमी १४ साल की लड़की से शादी करे तो क्या वह सजा के योग्य नहीं होगा। चूंकि आपने समय के मुताल्लिक कहा है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं फिर निवेदन करता हूं कि इन बातों पर गौर करके और समाज की विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार अपना कदम उठाये और इस विधेयक को स्टेट्यूट बुक में स्थान दे।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का कुछ बुनियादी सिद्धान्तों के आधार पर विरोध करता हूं, इसका कारण यह है कि बुढ़ापे का मापदंड विभिन्न देशों, व्यक्तियों, वर्गों के लिये भिन्न है, वस्तुतः बुढ़ापा केवल आयु पर निर्भर नहीं करता है वह कई बातों पर निर्भर करता है, आज आधुनिक समय में बुढ़ापे की परिभाषा बदल गई है।

इस विधेयक में ५० वर्ष की आयु को वृद्धावस्था माना है। यह परिभाषा विज्ञान सम्मत सिद्धान्तों के एकदम विपरीत है। इस विधेयक में यह विहित किया गया है कि ५० वर्ष या उस से अधिक का वृद्ध या २० या उस से कम आयु की लड़की से विवाह ही कर सकता है, इस का यह तात्पर्य है कि वह उस से एक दिन अधिक आयु की लड़की से विवाह कर सकता है। इस प्रकार वह लड़की भी विधवा हो सकती है। जहां तक विधवाओं का प्रश्न है आज की सामाजिक प्रथा के अनुसार विधवायें पुनर्विवाह कर सकती हैं।

यह कहा गया है कि कलक्टर का यह दायित्व होगा कि वह जिले में इस प्रकार के वृद्ध विवाह न होने दे। मेरे विचार से कलक्टर के लिये यह दायित्व निभाना बहुत कठिन है। हम कलक्टरों का कर्तव्य भी बढ़ाते जा रहे हैं। पहिले उन का कर्तव्य जिले में शांति और व्यवस्था बनाये रखना था, इस के पश्चात् उन्हें जिले में होने वाले विकास कार्यों का भी भार सौंप दिया गया। बाढ़ इत्यादि आपातकाल में भी सहायता कार्य करने का दायित्व उन्हीं का रहता है। अब हम उन्हें सामाजिक कार्यों का भी दायित्व सौंप रहे हैं। उदाहरण के लिये हम शारदा अधिनियम जैसे उपयोगी अधिनियम का भी पालन नहीं कर पा रहे हैं, अतः मेरा विचार है कि इस विधेयक को पारित करने मे भी कोई लाभ नहीं होगा।

इस विधेयक में एक कमी यह है कि सिविल सर्जन के प्रमाण पत्र को आयु का अन्तिम प्रमाण माना जायेगा। मेरे विचार से उस के प्रमाणपत्र को इतना महत्व देना उचित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

विधेयक में यह भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के सम्बन्ध करवाने का दोषी ठहराया जायेगा उसे १००० रुपये जुर्माना और एक वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। इस संबंध में 'प्रोक्यूरर' शब्द का उचित उपयोग नहीं किया गया है। यह आपत्तिजनक है।

विधेयक में जो दंड व्यवस्था की गई है वह अपराध के प्रतिरोध में सहायता नहीं दे सकती है। मेरे विचार से यह अधिक अच्छा था कि यह कह दिया जाता कि एक विहित सीमा से अधिक आयु का व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है। अतः यह विधेयक त्रुटिपूर्ण है। इस से विधेयक का प्रयोजन हल नहीं होगा।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : सभापति महोदय, मेरे मित्र श्री मोहन स्वरूप जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उस का पूरे तौर पर तो नहीं लेकिन उस की भावना का आदर करता हूं और उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

हमारे देश में निस्सन्देह बहुत सी सामाजिक कुरीतियां हैं। बाल-विवाह, दहेज इत्यादि कई प्रकार की हमारे देश में कुरीतियां हैं। ये सामाजिक कुरीतियां जो वृद्धावस्था में लोग विवाह करते हैं, उस से भी उत्पन्न होती हैं और उन से कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती हैं। वृद्धावस्था में जब विवाह किया जाता है उस से जो परेशानी कई बार उठानी पड़ती है, उस के जो दुष्परिणाम कई बार निकलते हैं, वे सचमुच हमारी समाज के लिये घातक सिद्ध होते हैं।

अभी हमारे वयोवृद्ध सदस्य श्री दी० चं० शर्मा जी ने भाषण किया और कहा कि हर देश में जहां तक अवस्था का प्रश्न है, उसके अलग अलग मापदंड हुआ करते हैं। लेकिन हमारे देश में शारीरिक प्रक्रिया को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य को देखते हुए, सचमुच यह कहा जा सकता है कि ५० वर्ष की अवस्था में मनुष्य इस काबिल नहीं रह जाता है कि वह शादी कर सके। जहां तक विवाह का सम्बन्ध है, इस के दो ही अर्थ होते हैं, एक तो शारीरिक आनन्द के लिये विवाह किया जाता है और दूसरे सन्तानोत्पत्ति के लिये। जहां तक अनैतिकता के फैलने का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि हमारे देश में इस बात की सख्त जरूरत है कि इस को फैलने से रोका जाय। पहली बात तो यह है कि ५० वर्ष की अवस्था तक कोई अविवाहित नहीं रहता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस उम्र तक अविवाहित रहते हों। आम तौर से जो लोग विधुर हो जाते हैं उन में से कई शादी नहीं करवाते हैं और कई होते हैं जो दुबारा शादी करवा लेते हैं। दो चार या छः बच्चे हो जाने के बाद जिन की स्त्री का देहान्त हो जाता है तो उन को समाज के कुछ लोग जा कर यह प्रेरणा देते हैं या स्वतः ही इस तरह की प्रेरणा उनके दिल में उत्पन्न होती है कि दुबारा शादी कर लेनी चाहिये। जब इस तरह के लोग दुबारा शादी कर लेते हैं तो और दोष उत्पन्न होते हैं। हम सब जानते हैं कि जो दूसरी पत्नी आती है वह जो उस के अपने बच्चे होते हैं उन की तरह से दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार नहीं करती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। शायद ही कोई विमाता होगी जो अपने बच्चों की तरह से दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार करती हो।

जहां तक ५० वर्ष से ऊपर के लोगों के शादी करने की बात की जाती है, बहुत से उस में दोष हैं। उस के बहुत से दुष्परिणाम निकलते हुए देखे गये हैं। पारिवारिक कलह बहुत देखने में आई है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकार देखे और समाज के बड़े बड़े लोग इस बात को देखें कि इस प्रकार की जो पारिवारिक कलह है जो आगे चल कर समाज पर बुरा असर डालती है, बन्द हो।

आज हमारे देश में विधवाओं की संख्या बहुत अधिक है । हिन्दू समाज में विधवाओं की जो अवस्था है, उन की जो आर्थिक दुर्दशा है, उस की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है । उन के लिये कोई किसी प्रकार का प्रबन्ध सरकार की ओर से या समाज की ओर से नहीं होता है । आम तौर से देखा गया है कि जब व्यक्ति ५० वर्ष की आयु के बाद शादी करता है तो उस को शारीरिक कष्ट होता है और उस के बाद, दो चार या दस वर्ष के बाद उस की जो स्त्री होती है वह या तो उस को छोड़ देती है या फिर अनैतिक व्यापार प्रारम्भ कर देती है या फिर कहीं भाग जाती है। इस का नतीजा यह होता है कि संक्रामक रोग समाज में फैलते हैं । इस दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि इस आयु के ऊपर शादी करने पर कुछ बंदिश लगे ।

आजकल यह भी देखा गया है कि जो लोग इस अवस्था में आ कर शादी करते हैं तो कुछ सामाजिक संस्थायें हैं जोकि इस के विरुद्ध प्रदर्शन करती है । कभी कभी तो शादी करने वाला उन की बात को मान जाता है, लेकिन कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं और वह उन की बात को नहीं मानता है । तो यह जो समस्या है यह बहुत गम्भीर है और इस की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

अभी शर्मा जी ने कहा कि हमारे देश में शारदा एक्ट बना और उस के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की गई लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हो पाया है और उस का नतीजा यह है कि कुरीतियां बढ़ती ही जा रही हैं । शर्मा जी को डर है कि जिस तरह से शारदा एक्ट पर अमल नहीं हुआ और उस के दुष्परिणाम निकले उसी तरह से इस पर भी अमल नहीं होगा अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो । मैं मानता हूं कि इस को पास कर देने मात्र से ही हमारा काम चल नहीं सकता है, इस के बाद भी हमें काफी काम करना होगा । समाज का भी यह काम है कि इस विधेयक के पीछे जो भावना है, उस का प्रचार करे और लोगों का ध्यान इस ओर खींचा जाय और उन को ऐसे काम करने से रोका जाय । जो हमारे सामाजिक नेतागण हैं उन का भी यह काम है कि वे देखें कि इस प्रकार की जो वृद्धावस्था में शादियां होती हैं और उन के फलस्वरूप जो दुष्परिणाम निकलते हैं, वे बन्द हों । शारदा एक्ट में हम ने यह तो कह दिया कि लड़की जिस की अवस्था कम से कम इतनी हो, वह शादी करवा सकती है लड़का जिस की अवस्था कम से कम इतनी हो वह शादी करवा सकता है । उस में कहा गया है एक निश्चित उम्र से कम के लड़के और लड़की की शादी नहीं हो सकती है । लेकिन अभी तक पुरुषों पर इस बात का कोई नियंत्रण नहीं है । कोई पुरुष जब चाहे शादी कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन पर इस प्रकार का एक स्वतः नियंत्रण होना चाहिये । परन्तु, जैसा श्री मोहन स्वरूप जी ने कहा, हमारे देश में जो धनी मानी लोग हैं, जो समाज में कुछ ऊंचे लोग हैं, वे अपने शारीरिक सुख के लिये या किसी और दृष्टि से भी शादी कर लेते हैं। इस का परिणाम बड़ा भयंकर निकलता है । तो ऐसी अवस्था में जब कि हमारे समाज में धनी लोग हैं, जिन के पास पैसा है, जहां वे और सब शोषण करते हैं, वहां इस प्रकार का लाभ भी उठाते हैं। इस से हमारे देश की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन को विशेष प्रोत्साहन मिलता है ।

इसलिये मैं ज्यादा न कह कर केवल यही कहना चाहूंगा कि हमारे मित्र श्री मोहन स्वरूप जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया उस में भले ही बहुत सी और गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन मैं इस बात का समर्थन अवश्य करता हू कि हमारे देश के अन्दर निश्चित रूप से वृद्धावस्था में कोई अवस्था तय की जाय चाहे आप उसे ५० साल रख दें या ५५ साल रख दें, जिस के बाद शादी नहीं हो सकती।

इस के पश्चात् लोक सभा सोमवार, २९ अगस्त, १९६०/७ भाद्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २६ अगस्त, १९६०
४ भाद्र, १८८२ (शक)]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२५०७—३०
तारांकित प्रश्न संख्या	
७९७ रेलवे के लिये विश्व बैंक के ऋण का उपयोग . .	२५०७—९
७९८ भिलों के लिये निर्धारित कोयले का रेलवे द्वारा प्रयोग .	२५०९—१२
७९९ नौवहन उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा . .	२५१२-१३
८०० वाइकाउन्ट विमानों का क्रय . . .	२५१४-१५
८०१ आयुर्वेद की पुरानी पांडुलिपियां . . .	२५१५-१७
८०२ पश्चिमी तट पर तूफान	२५१७
८०३ उर्वरक	२५१८—२१
८०५ दिल्ली में रासायनिक उर्वरकों का वितरण . .	२५२२-२३
८०६ चीनी पर नियंत्रण . . .	२५२३-२६
८०७ रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये छात्रावास .	२५२६-२७
८०८ भारत में जापानी नाविक	२५२७—२९
८१० रेलवे लाइनें	२५२९—३०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	२५३०—७२
तारांकित प्रश्न संख्या	
८०४ रेलवे का विद्युतीकरण	२५३०
८०९ स्त्रियों के डिब्बों में 'पुश बटन' . . .	२५३०
८११ कोचीन पतन	२५३०-३१
८१२ कलकत्ता पतन के लिये बिजली के क्रेन . . .	२५३१
८१३ भारतीय रेलों के लिये इस्पात आदि के टेंडर . .	२५३१-३२
८१४ संतति निरोधक ओषधि	२५३२
८१५ दुर्गम क्षेत्र समिति	२५३२

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी	
तारांकित प्रश्न संख्या		
८१६	कोल्हापुर–रत्नागिरी लाइन पर किराये और भाड़े की दरें .	२५३२–३३
८१७	रेलगाड़ियों के पहिये	२५३३
८१८	कृषि आयोग . .	२५३४
८१९	पोचमपाद परियोजना	२५३४
८२०	दूसरा संयुक्त भारत–अमरीकी दल . . .	२५३५
८२१	टेलीफोन के ट्रंक मार्ग	२५३५
८२२	मन्हेरू के निकट रेल पर हुई घटना . . .	२५३५
८२३	परिवार नियोजन	२५३६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५४५	मध्य रेलवे में आय . .	२५३६
१५४६	मध्य रेलवे में आउट एजेंसी . . .	२५३७
१५४७	सिकन्दराबाद डिवीजन में रेलवे भ्रष्टाचार . .	२५३७
१५४८	मराठवाड़ा में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	२५३७–३८
१५४९	कुष्ठ रोग	२५३८
१५५०	दोरणाकल स्टेशन .	२५३८
१५५१	गाड़ियों में सोने के लिये स्थान .	२५३८–३९
१५५२	बिहार में छोटी सिंचाई योजनायें .	२५३८
१५५३	हिमाचल प्रदेश वन विभाग	२५३९–४०
१५५४	कृषि कालेज . .	२५४०
१५५५	पूर्वोत्तर रेलवे पर विभागीय रूप से भोजन व्यवस्था	२५४०
१५५६	रेलवे कर्मचारियों की पदच्युति	२५४०–४१
१५५७	उड़ीसा में टेलीफोन के कनेक्शन	२५४१
१५५८	मंडी अस्पताल, हिमाचल प्रदेश .	२५४१
१५५९	मौलाना आजाद मैडिकल कालेज	२५४१–४२
१५६०	सूग्नू बस्ती इम्फाल में अस्पताल	२५४२
१५६१	स्टेशनों के नाम तथा टिकटों के किराये	२५४२–४३
१५६२	राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम .	२५४३
१५६३	गंगा ब्रह्मपुत्र जलमार्ग	२५४३
१५६४	आर० एम० एस० पुनर्गठन समिति . .	२५४३–४४
१५६५	दिल्ली में बसों तथा ट्रकों के आधुनिक टर्मिनल .	२५४४

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या

१५६६	टेलीफान करने के लिये टोकन . .	२५४४
१५६७	सड़क परिवहन सेवा का विस्तार	२५४४—४६
१५६८	रेल सड़क परिवहन में ताल मेल	२५४६
१५६९	ब्राह्मी नदी पर पुल . . .	२५४६–४७
१५७०	ग्राम्य ऋण	२५४७
१५७१	राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड	२५४७
१५७२	दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के निकट सड़क–पुल . .	२५४७–४८
१५७३	दिल्ली में फसलों को क्षति	२५४८
१५७४	बाढ़ के कारण पाकिस्तान को बह जाने वाले लकड़ी के रेलवे स्लीपर	२५४८
१५७५	हिमाचल प्रदेश में वन	२५४९
१५७६	पंजाब में सड़कें	२५४९
१५७७	बिहार में अनाज की बिक्री	२५४९–५०
१५७८	राज्यों के सहकार मंत्रियों का सम्मेलन . . .	२५५०
१५७९	बिलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली	२५५०
१५८०	नई दिल्ली में गैर-सरकारी इमारतों के लिये बिजली .	२५५०–५१
१५८१	दिल्ली में बीज़ों का वितरण	२५५१
१५८२	दिल्ली के विकास खण्डोंमें खाद तथा उर्वरक का वितरण .	२५५१–५२
१५८३	दिल्ली में पशुओं को टीका लगाना . .	२५५३
१५८४	दिल्ली में गौशाला विकास योजना . .	२५५३
१५८५	दिल्ली में उद्यान विद्या का प्रशिक्षण . .	२५५४
१५८६	इर्विन अस्पताल, दिल्ली में कोवाल्ट संयंत्र .	२५५४
१५८७	'कोस्टम' नामक जड़ी . . .	२५५४–५५
१५८८	समस्तीपुर–नरकटियागंज बड़ी लाइम . . .	२५५५
१५८९	महाराष्ट्र में सिंचाई की दर्मियाने दर्जे की परियोजनाएं .	२५५५
१५९०	देशी चिकित्सा प्रणाली	२५५५–५६
१५९१	गौहाटी शिलांग सड़क	२५५६
१५९२	लद्दाख में पवन बिजली . . .	२५५६
१५९३	कुर्नूल में मैडिकल कालेज . . .	२५५६–५७
१५९४	मंडी कुल्लू सड़क . . .	२५५७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१५९५	बिना टिकट यात्रा . . .	२५५७
१५९६	लुधियाना में टेलीफोन . .	२५५७
१५९७	नर्मदा की बिजली पैदा करने की क्षमता .	२५५८
१५९८	आणविक जहाजों का नौपरिवहन	२५५८
१५९९	रेलवे पर कुत्तों के दल	२५५८
१६००	भूपाल में स्विचगियर विकास तथा टेस्टिंग प्रयोगशाला .	२५५९
१६०१	शिलांग में प्राकृतिक चिकित्सालय .	२५५९
१६०२	औषध तथा चामत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन संशोधन अधिनियम . .	२५५९
१६०३	कटिहार के समीप गाड़ी का पटरी से उतरना	२५५९–६०
१६०४	बी० आर० सिंह अस्पताल, सियालदह डिवीजन .	२५६०–६१
१६०५	दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की बिक्री	२५६१
१६०६	हिमाचल प्रदेश में मत्स्यपालन का विकास	२५६१
१६०७	टेलेक्स संचार प्रणाली . .	२५६१–६२
१६०८	रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये खादी के कपड़े	२५६२
१६०९	मद्रास में चीनी की मिलें .	२५६२–६३
१६१०	सरकारी कर्मचारियों की आम हड़ताल	२५६३
१६११	हड़तालियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई	२५६३–६४
१६१२	रेलवे कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण	२५६४
१६१३	अन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग . .	२५६४–६५
१६१४	आन्ध्र प्रदेश में विद्युत् विकास के लिये वृहद् योजना	२५६५
१६१५	आंध्र प्रदेश में गाड़ियों के समय में परिवर्तन	२५६५
१६१६	पश्चिम रेलवे के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट .	२५६५
१६१७	सफदरजंग अस्पताल में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय	२५६६
१६१८	आम हड़ताल के दौरान डाक तथा तार विभाग को हानि	२५६६–६७
१६१९	पश्चिम रेलवे पर पानी का संभरण	२५६७
१६२०	प्रशिक्षण पोत 'डफरिन'	२५६७
१६२१	रेलवे सुरक्षा बल . .	२५६८
१६२२	पश्चिमी बंगाल में चीनी की मिलें	२५६८–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६२३	मध्य प्रदेश में वन कालेज	२५६६
१६२४	मीलों के पत्थरों पर अन्तर्राष्ट्रीय अंक	२५६६
१६२५	पूर्वोत्तर रेलवे पर गाड़ियों में सुधार	२५६६–७०
१६२६	ईगतपुरी स्टेशन पर डाउन यार्ड	२५७०
१६२७	असैनिक विमान चालक	२५७०–७१
१६२८	इंजन डिब्बे आदि	२५७१
१६२९	एरणाकुलम्–ओलवाकोट लाइन	२५७१
१६३०	त्रिवेन्द्रम एरणाकुलम् पैसेंजर गाड़ी	२५७१–७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५७२

(१) वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १३ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३८ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम, १९६० की एक प्रति।

(२) सामुदायिक विकास—औद्योगिक अग्रिम परियोजनाओं सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन की एक प्रति।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २५७३

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने मालगाड़ी के डिब्बे न मिलने के कारण बासंपानी, उड़ीसा में लोहे की खानों के बन्द होने की आशंका की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया।

रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) ने उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २५७४—८३, २५९७

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा के प्रारूप के बारे में २२–८–६० को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव तथा उस पर स्थानापन्न प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) ने वाद विवाद का उत्तर दिया। श्री रंगा द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष मे ९; विपक्ष में २२१ तदनुसार स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अन्य सभी स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुए और चर्चा समाप्त हुई।

विधेयक—पारित . . . . . २५८४—९७

निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड वार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

पृष्ठ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत २५९७

अड़सठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . २५९७—२६००

१. विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ तथा १५ का संशोधन) [श्री हेमराज का]

२. विधान परिषद् (रचना) विधेयक, १९६० [श्री श्री नारायणदास का]

३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा ३०२ का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का]

४. हिन्दु विवाह, (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा २३ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का]

५. जल तथा वायु को दूषित करने से रोकना (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक १९६० [श्री झूलन सिंह का]

६. खान (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १२, ६४ आदि का संशोधन) [श्री झूलन सिंह का]

७. कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९क का रखा जाना) [श्री झूलन सिंह का]

८. श्रमिक दुरूपयोग (निषेध) विधेयक, १९६० [श्री झूलन सिंह का]

गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक—वापिस लिया गया . २६००—०९

सामाजिक प्रथायें (व्यय में कमी) विधेयक, १९५८ पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। श्री झूलन सिंह ने वाद विवाद का उत्तर दिया। विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन . २६०९—१५

श्री मोहन स्वरूप ने प्रस्ताव किया कि वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक, पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, २९ अगस्त, १९६०/७ भाद्र, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

औषधि (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दशमिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक, पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाना।